लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Fumigated 19-6-92 Parliament Library 26.12.85

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25—सोमवार, 20 सितम्बर, 1965/29 भाद्र, 1887 (शक)

No. 25—*Monday, September* 20, 1965/*Bhadra* 29, 1887 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	2483-88

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
720	पाक-अधिकृत काश्मीर में सांवैधानिक परिवर्तन	Constitutional Changes in Pak. Occupied Kashmir . .	2488-89
721	अमरीकी टैंकों के चित्र (फोटोग्राफ)	Photographs of American Tanks.	2489-92
722	पूर्वी-पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव	Massing of Pak. Forces on East Pakistan Border . . .	2492-94
723	टेलीविजन सेट	T. V. Sets . .	2494-95
724	बाल मजदूर	Child Workers . .	2495-96
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में		Re. S. N. Q. No. 6 . .	2496

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
719	साम्प्रदायिक तनाव	Communal Tension . . .	2496-97
725	काश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव का प्रतिवेदन	U. N. Secretary-General's Report on Kashmir	2497
726	बैल्ल टेलीफोन निर्माण कम्पनी	Bell Telephones Manufacturing Co.	2497-98
727	संकटकालीन (ऐमरजेंसी) कमीशन प्राप्त अधिकारियों की छानबीन	Screening of Emergency Commissioned Officers . . .	2498
728	भारतीय बस्तियों के निवासियों का पाकिस्तान द्वारा परेशान किया जाना	Harassment by Pakistan of residents of Indian Enclaves .	2498-99
729	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	Netaji Subhash Chandra Bose .	2499
730	किरकी विस्फोटक यंत्र कारखाने में विस्फोट	Explosion in Kirkee Explosives Factory	2500
731	युद्धबन्दी भारतीय	Indian P.O.Ws. . . .	2500

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates ttha the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
732	उद्योगों में अनुशासन सम्बन्धी संहिता	Code of Discipline in Industry .	2500
733	चीन से विरोध पत्र	Protest Note from China . .	2501
734	मिस्टर फिज़ो की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Movements of Mr. Phizo	2501
735	काहिरा रेडियो	Cairo Radio	2501-02
736	भारत में अरब लीग के प्रमुख प्रतिनिधि का भाषण	Speech of Chief Representative of Arab League in India .	2502
737	पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन	Conversion of Hindus in Pakistan	2502
738	विदेशों में प्रचार	External Publicity . . .	2503
739	डाक सेवाओं का यंत्रीकरण	Mechanisation of Postal Services	2503
740	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी टैंकों का प्रयोग किये जाने के बारे में अमरीका से विरोध	Protest to U. S. against use of U. S. Tanks by Pakistan .	2503-04
741	दलाई लामा	Dalai Lama	2504
742	पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दु स्त्रियों का अपहरण तथा बलात् धर्म-परिवर्तन	Abduction and Forcible Conversion of Hindu Women in East Pakistan	2504
743	हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कर्मचारी	Workers of H. A. L. and B. E. L., Banglore	2504-05
744	काश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अपील	U. N. Secretary-General's Appeal about Kashmir . . .	2505
745	पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच सीमांकन	Demarcation of Boundary between East and West Bengal . .	2505
746	विदेशों में प्रचार कार्य	External Publicity . . .	2505-06
747	ब्रिटेन से शस्त्रास्त्र सम्बन्धी सहायता	Arms Aid from U.K. . .	2506
748	पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in Pakistan	2506-07

अ ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2403	परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Transport Workers	2507
2404	कोचीन बन्दरगाह में नाविकों की हड़ताल	Crew Men's Strike at Cochin Port	2507
2405	होटल तथा चाय की दुकानों के कर्मचारी	Hotel and Tea Shop Workers .	2508

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2406	केरल दुकान तथा संस्थान अधिनियम	Kerala Shops and Establishment Act	2508
2407	स्पिती घाटी में सड़कें	Roads in Spiti Valley . .	2508-0
2408	भारत में तिब्बती शरणार्थी	Tibetans in India . . .	2509
2409	मध्य प्रदेश में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत डाकघरों में जमा की गई रकमें	Deposits in Post Offices under Small Savings Scheme in M.P.	2509
2410	सिक्किम के महाराजा की यात्रा	Visit of Maharaja of Sikkim .	2509
2411	किराये की इमारतों में डाकघर	Post Offices in Rented Buildings	2510
2412	मद्रास में चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in Madras .	2510
2413	मद्रास में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Madras	2510
2414	मद्रास में डाकखाने	Post Offices in Madras . .	2510
2415	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिये तेलगु में प्रसारण	Telugu Broadcasts for South-East Asian Countries . .	2511
2416	नागाओं द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Cease Fire Violations by Nagas .	2511
2417	हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग	Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling . . .	2511-12
2418	विमान दुर्घटनायें	Air Accidents	2512
2419	सेना सेवा से जवानों और अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति	Retirement of Jawans and Officers from Army Service . .	2512
2420	स्त्रियों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें	Training Institutes for Women .	2512-13
2421	तार के फार्म	Telegram Forms .	2513
2422	अम्बाजड़ी कारखाना	Ambajhari Factory . . .	2513
2423	फ्रिगेट अल्फेंजो डी-अल्बुकर्क	Frigate Alfenso De-Albuqurque .	2513-14
2424	रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen on Live Registers of Employment Exchanges .	2514
2425	उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी	Unemployment in U. P. . .	2514
2426	उत्तर प्रदेश में अधिसूचित तथा भरे गए रिक्त स्थान	Vacancies notified and filled in U.P.	2514-15
2427	उत्तर प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Caste Candidates registered in Employment Exchanges in U. P. . . .	2515
2428	बर्मा में भारतीय	Indians in Burma . . .	2515
2430	दाहग्राम क्षेत्र में सड़क बनाने पर पाकिस्तान द्वारा विरोध	Pak. Protest against construction of a Road in Dahagram Area	2515-16
2431	छोकी के आयुध कारखाने में आग	Fire in Ordnance Factory, Chheoki	2516

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2432	सरकारी क्षेत्र में रोजगार	Employment in Public Sector	2516-17
2433	अखबारी कागज	Newsprint	2517
2434	विशेष डाक टिकट	Special Stamps	2517-18
2435	नेताजी की भस्मी	Ashes of Netaji	2518
2436	केन्द्रीय चाय बागान मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Tea Plantations	2518
2437	खान अधिनियम का उल्लंघन	Violations of Mines Act	2519
2438	बन्दरगाहों में नौ-भरक (स्टीवडोर) प्रणाली	Stevedore System in Ports	2519
2439	समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाला आण्विक शक्ति संयंत्र	Nuclear Power Plant for Treating Sea-Water	2519-20
2440	स्विटजरलैंड में पर्वतारोहण बरसी	Mountaineering Anniversary in Switzerland	2520
2441	टैलीफोन ऐक्सचेंज, गोरखपुर	Telephone Exchange, Gorakhpur	2520
2442	डाक तथा तार सर्कल	P. & T. Circles	2520-21
2443	कार्यक्रम सलाहकार समिति	Programme Advisory Committee	2521
2444	श्रोताओं सम्बन्धी अनुसन्धान विभाग	Listeners Research Department	2521-22
2445	रायल नेवी सबमैरीन (पनडुब्बी)	Royal Navy Submarine	2522
2446	केरल में पारपत्र जालसाज़ों का गिरोह	Passport Packet in Kerala	2522
2447	इजराइल को मान्यता देना	Recognition of Israel	2522-23
2448	स्वर्ण पदकों का गलाया जाना	Remelting of Gold Medals	2523
2449	विभिन्न उद्योगों के मजदूरों की औसत मजूरी	Average Wages of Workers in Various Industries	2523
2450	मलेशिया के विमान चालकों को प्रशिक्षण	Traning of Malaysian Pilots	2524
2451	प्रेस सूचना विभाग में हिन्दी एकक	Hindi Unit in P. I. B.	2524
2452	आपातकाल में सैनिक सेवा में असैनिक कर्मचारी	Civilians in Military Service during Emergency	2524-25
2453	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	2525
2454	खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour	2525-26
2455	इन्दौर के लिये सीधी ट्रंक डायलन व्यवस्था	Direct Trunk Dialling to Indore	2526
2456	छावनी बोर्ड के कर्मचारी	Cantonment Board Employees	2526
2457	छावनी बोर्ड के कर्मचारी	Cantonment Board Employees	2526-27
2458	विद्युत हृदय स्पंदक	Electric Heart Stimulator	2527

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2459	काश्मीर में वर्षा में रेडियोधर्मी कण	Radio-active particles in Rains in Kashmir	2527-28
2460	चीन में भारतीय युद्धबन्दी	Indian P. O Ws. in China	2528
2461	चीन में रहने वाले भारतीय	Indians residing in China	2528
2462	डीज़ल लोकोमोटिव कारखाना	Diesel Locomotive Factory	2528-29
2463	तीसरी पंचवर्षीय योजना की कमियां	Shortfalls of Third Plan	2529
2464	विश्व शान्ति सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to World Peace Conference	2529
2465	इलेक्ट्रानिक उद्योगों का विकास	Development of Electronic Industries	2529-30
2466	जदूगुड़ा में यूरोनियम मिल	Uranium Mill at Jaduguda	2530
2467	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर	Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur	2530
2468	प्रतिरक्षा संस्थानों में परियोजना भत्ता	Project Allowance in Defence Installations	2530-31
2469	रूस सरकार द्वारा प्रकाशित भारत का मानचित्र	Map of India published by Soviet Government	2531
2470	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	Press Trust of India	2531-32
2471	प्रमाण तथा प्रयोग केन्द्र, चान्दीपुर	Chandipur Proof and Experiment Centre	2532
2472	चिलुका झील, उड़ीसा	Chilka Laka, Orissa	2532
2473	दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का मंत्री सम्मेलन	Ministerial Conference of South-East Asian Countries	2532
2474	मद्रास में अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station in Madras	2533
2475	बर्मा से भारतीयों का वापस भेजा जाना	Repatriation of Indians from Burma	2533
2476	उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा कार्यालय	R. M. S. Offices, Orissa	2533-34
2477	टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय	Telephone Revenue Accounts Offices	2534
2478	संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का संशोधन	Amendments to U. N. Charter.	2534-35
2479	काश्मीर संबंधी भारत-पाकिस्तान विवाद के बारे में उचित प्रचार	Proper Publicity to Indo-Pak Conflict in Kashmir	2535
2480	तिरुचिरापल्लि में छोटे हथियारों का कारखाना	Small Arms Factory, Tiruchirapalli	2535-36
2481	पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति	Unemployment among Educated Persons	2536
2482	कोलार स्वर्ण खाने	Kolar Gold Mines	2536
2483	डाक की चोरी	Pilferage of Mail	2537
2484	धोरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Dhori Colliery	2537

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2485	प्रदर्शनों के बारे में प्रसारण	Broadcasts about Demonstrations	2537-38
2486	स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रदर्शनी	Exhibition on the late Shri Jawaharlal Nehru's Life. .	2538
2487	स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रदर्शनियां	Exhibitions on the Late Shri Jawaharlal Nehru's Life .	2538
2488	वे क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान का अवैध अधिकार है	Areas under Illegal Occupation of Pakistan	2538
2489	मि० फिजो की नागालैंड यात्रा	Visit by Mr. Phizo to Nagaland	2538-39
2490	अफगानिस्तान में बच्चों का अस्पताल	Children's Hospital in Afghanistan	2539
2491	पासपोर्ट देने के बारे में बम्बई उच्च न्यायालय का फैसला	Bombay High Court Judgement Re: Issue of Passports . .	2539
2492	डाक तथा तार औषधालय, नागपुर	P. & T. Dispensary, Nagpur .	2539
2493	नागपुर में रेल्वे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for R. M. S. Employees at Nagpur	2540
2494	डाक तथा तार विभाग के तकनीकी और विकास सर्कल के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के कार्यालय का जबलपुर से नागपुर स्थानान्तरण	Shifting of Offices of A. C. E. T. & D., P. & T., Jabalpur to Nagpur	2540
2495	डाक और तार विभाग के लिये प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर	Training Institute for Posts and Telegraphs Department, Nagpur	2540
2496	रेलवे डाक सेवा भवन, नागपुर	R. M. S. Building, Nagpur .	2541
2497	विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Various industies	2541
2498	नेहरू निधि के लिये अंशदान	Contribution to the Jawharal Nehru Fund	2541-42
2499	सेना अधिकारियों को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to Army Officers	2542
2500	द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन	Second World Population Conference	2542-43
2501	मोर्स-कास्ट प्रणाली का उपयोग	Use of Morse-cast System	2543-44
2502	पाकिस्तान को चीन का समर्थन	China's Support to Pakistan .	2544
2502क	उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन का गृहकार्य मंत्रालय को सौंपा जाना	Transfer of NEFA administration to Ministry of Home Affairs	2544
2502ख	आन्ध्र प्रदेश में भर्ती अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार	Corruption by recruiting Officer in Andhra Pradesh . .	2544-45
2502ग	किसानों के लिए हथियार-शस्त्र आदि	Ammunition for agriculturists .	2545

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में	Re : Statement by Prime Minister	2545
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में--(प्रश्न)	Re : Motion of Privilege (Query)	2545
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table . .	2546
राज्य-सभा से सन्देश	Message From Rajya Sabha .	2546
सदस्य की पैरोल पर रिहाई	Release of Member on Parole	
(श्री म० ना० स्वामी)	(Shri M. Narayana Swamy) .	2546
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report . . .	2546
नाविक भविष्य निधि विधेयक—	Seamen's Provident Fund Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti. .	2546-47
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	2547-48
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2548-49
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	2549-50
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	2550-51
खण्ड 2 से 24 और 1—	Clauses 2 to 24 and 1	2551
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass .	
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur .	2551
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	Employers' Provident Funds (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao .	2552
श्री प्रभात कार	Shri Prabhat Kar . .	2552
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2552-53
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . . .	2553
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka . .	2553
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil . .	2553-54
श्री वारियर	Shri Warior . .	2554
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	2554-55
श्री यशपालसिंह	Shri Yashpal Singh . .	2555

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री कृ० ल० मोरे	Shri K. L. More	2555
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	2555
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	2555
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	2556
खण्ड 1 और 2 पारित करने का प्रस्ताव—	Clauses 1 and 2 Motion to Pass—	2557
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2557
जवाहरलाल नहरू विश्वविद्यालय विधेयक—	Jawaharlal Nehru University Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमत का प्रस्ताव—	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee—	
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan .	2557-59
श्री प्रभात कार	Shri Prabhat Kar .	2559-60
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	2561
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney .	2561-63
श्री मुथिया	Shri Muthiah .	2563-64
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2564
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . .	2564-65
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak	2565
श्री श्रीनारायणदास	Shri Shree Narayan Das .	2565-66
श्री ओंकार लाल	Shri Onkar Lal . .	2566
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	2566-67
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	2567
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	2569
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	2569-70
चीन की अन्तिम चेतावनी के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Chinese Ultimatum—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	2568-69
रंगून स्थित भारतीय दूतावास के पास जमा किये गये आभूषणों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half an-Hour Discussion Re: Jewellery Deposited with Indian Embassy in Rangoon—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	2570-71
श्री उ० मू० त्रिवदी	Shri U. M. Trivedi . .	2571
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	2572-73

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 20 सितम्बर, 1965/29 भाद्र, 1887 (शक),

Monday, September, 20, 1965/Bhadra 29, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

श्री बलवन्त राय मेहता का निधन

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, हमें अपने प्रिय सहयोगी श्री बलवन्तराय मेहता के दुःखद निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। यह और दुख की बात है कि उन की और उनकें पत्नी की मृत्यु ऐसी दुखद परिस्थितियों में हुई हैं। दुर्घटना के कारणों के बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता परन्तु ऐसे समाचार मिले हैं और गुजरात सरकारने भी कहा हैं कि विमान शत्रु द्वारा गिराया गया है। इस बारे में और जांच की जायेगी और स्थिति का पता चलेगा। देश की सेवा करते हुए, बल्कि शत्रु से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई हैं। हमें ऐसी मृत्यु के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री बलवन्त राय मेहता 1919 या 1920 से कार्य कर रहे थे। वह छोटी आयु में जनसेवा कार्य में लग गये थे और राज्यों के स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्होंने इसमें बहुत दृढ़ निश्चय से कार्य किया और इस के एक महान नेता बन गये। वह सर्वेंटस आफ दि पीपल सोसाइटी के सदस्य थे और उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में सेवा कार्य किया और सोसाइटी से बहुत कम भत्ता तथा मानदेय लिया। उनका जीवन सेवा तथा त्याग का था। वह दस साल तक संसद के सदस्य रहे और उन्होंने अनेक समितियों की अध्यक्षता करके बहुत अच्छा कार्य किया हैं। प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में उन्होंने सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में सुधार लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई नई नई बातें सुझायीं। हम सब को ज्ञात है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उन्होंने विशेष रूपसे कार्य किया। गुजरात में उन्होंने बहुत से पदों पर कार्य किया। ठीक दो साल पहले 19 सितम्बर, 1963 को वह गुजरात के मुख्य मंत्री बने थे और ठीक 19 सितम्बर, 1965 को ही उन का निधन हुआ। यह दो वर्ष की अवधि उन के योग्यतापूर्ण कार्य के लिये सदा ही स्मरणीय रहेगी। हो सकता है कि कुछ मतभेद रहे हों परन्तु वह एक शान्त, सुलझे हुए और महान नेता थे। कठिनाई के समय भी जैसे कच्छ में लड़ाई के समय में वह अपना कार्य दृढ़ता से करते रहे। वह हमारे मुख्य मंत्रियों में एक बहुत कार्यकुशल मुख्य मंत्री थे। उनकी मृत्यु से हमें एक बड़ा धक्का लगा है। इससे देश की बहुत बड़ी हानि हुई है और हम सब उन की मृत्यु पर अपनी समवेदना प्रकट करते हैं। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप उनकी तथा उनकी पत्नी की मृत्यु पर उनके परिवार को शोक संदेश भेजें।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लाल बहादुरजी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूँ। श्री बलवन्तरायजी हम सबको बहुत प्रिय थे। उन्होंने बहुत समय तक रियासतों के लोगों के

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हितों की रक्षा के लिये कार्य किया और श्री जवाहरलालजी, डा० पट्टाभि तथा शेख साहिब के नेतृत्व में स्टेट पीपल्स कांफ्रेंस के महासचिव रह कर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। भूतपूर्व अध्यक्ष तथा आप उनको प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में अच्छी तरह जानते हैं तथा सदन को भी ज्ञात है कि उन्होंने मंत्रालयों के कामकाज में सुधार करने के लिये प्रजातन्त्रीय प्रथायें स्थापित की हैं। उन्होंने सुझाव दिये हैं कि कम खर्च से प्रशासन को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रह कर भी उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। कई बार उनका मेरे साथ मतभेद भी रहा परन्तु उन्होंने श्री जवाहरलालजी के कथनानुसार काम किया और अपने विरोधी पक्ष वालों के भी प्रिय बने रह कर पार्टी का काम किया। पंचायती राज प्रशासन के विषय तथा उनका ग्रामीण जीवनपर प्रभाव आदि के बारे में मतभेद था, परन्तु वह सदैव गांव के लोगों के हित की बात करते थे। मुझे श्री हिम्मतसिंहजी ने बताया है कि मुख्य मंत्री बनने पर उन्होंने विपक्ष वालों की आधी से अधिक बातें मान ली थी। वह एक बड़े प्रजातंत्रीय नेता थे। उन्होंने मूंगफली और उसके तेल उत्पादन के बारे में सत्य-ग्रहियों की बात बड़े अच्छे तरीके से मान ली थी। इस प्रकार उन्होंने भारतीय प्रजातन्त्र की बड़ी सेवा की।

मैं जानता हूं कि उनके निधन से प्रधान मंत्री को कितना धक्का लगा है क्योंकि दोनों ही बहुत लम्बे समय से लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित की गई सोसाइटी में साथ साथ काम करते रहे।

मैं उनके परिवार, प्रधान मंत्री तथा गुजरात के लोगों के साथ अपना शोक तथा समवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने, उनके साथ उन की पत्नी को भी इस संसार से उठा लिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है श्री बलवन्त राय मेहता की मृत्यु का समाचार सुनकर हमें आघात पहुंचा है। यह और भी दुख की बात है कि मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई है। यदि यह सच है कि उनके विमान पर एक अज्ञात विमान अर्थात शत्रु विमान से गोली चलाई गई है तो यह एक बर्बरता, घिनौतापन और निराशापूर्ण मनोवृत्ति का उदाहरण है जिसकी मिसाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में नहीं मिलती।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, श्री बलवन्त राय मेहता सेवा कार्य करते हुए मरे है और इन परिस्थितियों में तो उन्होंने एक शहीद की मृत्यु पाई है। जो व्यक्ति देश के लिये जान देता है उसके लिये और कोई वस्तु अधिक प्रिय नहीं होती। यह उन के जीवन के अनुरूप ही है। प्रधान मंत्री उनके बारे में मेरी अपेक्षा अधिक जानते है परन्तु मैंने भी उन्हें भली प्रकार समझा था। मैं कह सकता हूं कि भारतीय रियासतों में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में वहां के लोगों का नेतृत्व किया और वहां स्वतंत्रता की पताका को उठाये रखा और देशवासियों के लिये स्वतंत्रता प्राप्त करने का यश प्राप्त किया।

हमने उन्हें 1952 से इस सदन में देखा है और सभापति के रूप में उन के कार्यकाल को प्राक्कलन समिति के लिए विशेष महत्व का समय कहा जा सकता है। जब कच्छ के बारे में गड़बड़ चल रही थी तो मैंने उन्हें बहुत ही शान्तभाव में कार्य करते देखा था। मैं उनके इस प्रकार के मनोबल से बहुतही प्रभावित हुआ था। प्रधान मंत्री ने भी उनके इस गुण का उल्लेख किया है। इस प्रकार की सन्तुलित भावनाओं में उन्होंने बर्बरतापूर्ण मृत्यु का सामना किया।

मैं उनके भारत की राजनीति में अंशदान के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु वास्तव में सामाजिक विकास की समस्याओं का ठीक हल भारत में पंचायती राज को लोकप्रिय बनाने और प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में है। इस प्रयोजन के लिये श्री मेहता द्वारा किया गया कार्य भारत के इतिहास में सदैव याद किया जायेगा।

मैं भी पहले व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी पार्टी और अन्य लोगों की ओर से इस बड़े देशभक्त की मृत्यु पर समवेदना तथा शोक का संदेश भेज दिया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : अध्यक्ष महोदय, जब रात को 10½ बजे मैंने रेडियो पर वह दुःखद समाचार सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। दो महीने हुए मैं उन्हें भुवनेश्वर के हवाई अड्डे

पर मिला था। तब मैंने उन से पूछा था कि कच्छ के बारे में क्या स्थिति है ? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि यह समस्या का अन्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैया का आरंभ है। और कटू सत्य यह है कि उनके विमान को एक अज्ञात विमान ने मार गिराया है और मैं यह कह सकता हूं कि वह पाकिस्तानी विमान ही होगा।

मैं उन्हें 1935-36 से जानता हूं। उस समय वह उड़ीसा राज्य और उस समिति से सम्बद्ध थे, जिसने रजवाड़ों को भारत से मिलाने की सिफारिश की थी। भारतीय रियासतों के नेता के रूप में उन्होंने उस समय तक संघर्ष जारी रखा जब तक भारत एक नहीं हुआ और रजवाड़े भारत में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए।

एक संसद सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में हम ने उन्हें देखा है और हम उन्हें भली प्रकार जानते हैं। वह एक मिलनसार व्यक्ति थे और रचनात्मक, विचारशील, तथा महान देशभक्त थे। हम उन के निधन पर अपना शोक व्यक्त करते हैं। उनकी मृत्यु से देश को हानि हुई है।

श्री उ० मू० त्रिवदी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः यह समाचार पढ़ कर बहुत दुख हुआ कि एक विमान दुर्घटना में श्री बलवन्तराय मेहता और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। प्रधान मंत्री ने जो यह समाचार दिया है कि उनके विमान को एक अज्ञात विमान ने गिराया है। इससे हमारी युद्ध तैयारी की गोपनीयता में कमजोरी का पता चलता है। एन० सी० सी० की एक परेड देख कर मुख्य मंत्री लौट रहे थे। यह और भी खेद की बात है कि यह दुर्घटना ऐसी परेड के थोड़ी देर पश्चात् हो। गुजरात राज्य को बहुत हानि हुई है। देश वीरपुत्र तथा उनकी पत्नी के दुखद निधन पर मैं और मेरा दल हार्दिक समवेदना व्यक्त करता है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री इसे पीडित परिवार तक पहुंचायेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक भूतपूर्व रियासत से सम्बन्ध रखता हूं। मैं उनको अर्पित की गई श्रद्धांजलि का समर्थन करता हूं। वह एक वीर और वरिष्ठ योद्धा थे। श्री बलवन्तराय मेहता ने अपने प्रिय सहयोगी श्री दीनाराज व्यास के साथ राज्यों के लोगों की स्वतंत्रता का कार्य सफलतापूर्वक किया। इसको सदैव याद किया जायेगा और इतिहास में स्वर्ण शब्दों में अंकित किया जायेगा।

यदि यह सच है और ऐसा मालूम भी होता है कि यह विमान शत्रु ने गिराया है तो इस से पाकिस्तान की भीरुता तथा डरपोकपन का पता चलता है।

मातृभूमि के लिये इस प्रकार मरने का अवसर बहुत कम व्यक्तियों को मिलता है। उन्हें एक शहीद की मौत मिली है। उनकी मृत्यु से हम, एक महान नेता, प्रशासक, एक संसद विज्ञ तथा मानव की सेवा के एक व्यक्ति से वंचित हो गये हैं। मैं सदन तथा दलों के नेताओं द्वारा प्रकट किये गये विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री अ० चं० गुह (बारासार) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं और प्राक्कलन समिति तथा अपनी ओर से उनके स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तथा बाद में देश के लिये किये गये रचनात्मक कार्यों के लिये उनके प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

स्टेट पीपलज कांफ्रेंस के महा सचिव के रूप में उनकी सेवायें सब को मालूम हैं। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने देश के रचनात्मक विकास के लिये कई पदों पर कार्य किया जिनमें कांग्रेस पार्टी के महा सचिव का पद, कांग्रेस कार्यकारिणी के महासचिव का पद, तथा प्राक्कलन समिति के सभापति का पद शामिल हैं।

पहले उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति के सभापति होते थे। यह श्री मेहता के समय से हुआ कि इसका सभापति चुना जाने लगा। समिति के आरंभ के चार वर्षों में उन्होंने इसके विकास के लिये बहुत काम किया। यह, सभा की ओर से सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शन तथा सरकार को दिये गये धन के

[श्री अ० चं० गुहा]

उचित प्रयोग के संबंध में कार्य करती है। चार वर्षों की अवधि में उन्होंने लगभग 120 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिये।

एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो उन्होंने दी वह विकेन्द्रीकृत प्रजातन्त्र के बारे में थी, इससे सरकार को संविधान के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने में ग्रामीण प्रशासन के लिये ग्राम पंचायत स्थापित करने में सहायता मिली है।

यह एक विमान की साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह शत्रु के कारण हुई है जो अस्पताल, गुरुद्वारा, गिरजाघर या मस्जिद पर बमबारी कर सकता है उससे और क्या आशा की जा सकती है। हम आशा करते है कि विश्व में इस पर विचार होगा।

उनकी मृत्यु से भारत से एक महान नेता, एक अच्छा प्रशासक तथा संगठनकर्त्ता छिन गया है परन्तु गुजरात राज्य को—जो एक सीमावर्ती राज्य है—बहुत अधिक हानि हुई है। मैं आशा करता हूं कि वहां के लोग इस अवसर पर धैर्य का प्रमाण देकर संघर्ष जारी रखकर विजय प्राप्त क गे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : यह एक राष्ट्रीय हानि है। हम प्रधान मंत्री की भावनाओं को समझते हैं। वह उनके पुराने साथी थे।

मुझे उनके साथ कांग्रेस में कार्य करने का सौभाग्य मिला था। वह स्पष्ट मस्तिष्क, अच्छे तथा मित्रता वाले स्वभाव, और सन्तुलित मन वाले व्यक्ति थे।

मुझे महात्मा गांधी द्वारा उनके राजनैतिक गुरू गोखले के प्रति कहे गये शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था "उनमें एक राजनैतिक कार्यकर्ता के गुण, स्पष्टता, मेमने के भांति सरलता, तथा बाघ की भांति वीरता थी।" श्री बलवन्तराय मेहता, जो गांधीजी के शिष्य थे, में भी यही गुण थे।

हम देश के इस सैनिक की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं।

मुझे जर्मनी के एक कवि के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा है : "यदि आप मेरा सम्मान करते है तो मेरे शव पर तलवार रखना क्योंकि मैं मानव के मुक्तियुद्ध में सबसे पहले एक सैनिक था।"

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : कल की दु:खद घटना ने हमें बुरी तरह हिला दिया है और इस से हमें भारी क्षति पहुंची है।

श्री बलवन्तरायजी ने, जिन्हें उन के सभी मित्र प्यार से इसी नाम से पुकारा करते थे, अपना जीवन राष्ट्र की सक्रिय सेवा में न्योछावर किया है। उन्होंने छात्रावस्था में ही अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के लिये अर्पित कर दी थी। जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आये तभी गांधीजी की ओर आकर्षित हुये और तब से ही वह गांधीजी के साथ उन के एक विश्वस्त साथी की तरह रहें और आजादी की लड़ाई में ही नहीं अपितु गांधी जी के सभी रचनात्मक कार्यों में उनका निकटतम साथ था।

उनका जन्म एक रजवाड़े में हुआ था। वह ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांफ्रेंस के पथप्रदर्शकों में से एक थे और उन्होंने राज्य के लोगों की स्वतंत्रता के लिये भी कार्य किया था। उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बहुत भाग लिया था, विशेषकर हरिजनों के उत्थान और महिलाओं की शिक्षा में। इस बात को शायद बहुत से मित्र नहीं जानते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने पूरी लगन, उत्साह के साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यों में अपने आप को लगा दिया था। कार्यालय में वह एक महान प्रशासक के रूप में गिने जाते थे परन्तु लगभग 15 वर्ष तक पदारूढ़ रहने के बावजूद उन्होंने अपने उत्साह में कमी नहीं आने दी और उन को जो भी कार्य सौंपा गया चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न रहा हो, उस में उन्होंने पूरी तल्लीनता, अनुशासन और स्थिरता दिखाई। उन्होंने जीवन के किसी क्षेत्र में भी तुच्छ विचारों को अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने लोगों के दुख को सदा अपना दुख ही समझा था।

सरोजबेन मेहता स्वयं भी एक महान कार्यकर्त्ती थीं और उन्होंने देश के हित के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया है। परन्तु एक हिन्दु पत्नी की तरह वह हर कठिनाई में श्री बलवन्तराय जी के साथ रहीं और वह उनके लिये उत्साह का एक साधन थीं।

मैं भी अपने आप को श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल करता हूं। देश पर इस विपत्ति और संकट के दिनों में यह क्षति और भी अधिक होगी। परन्तु हमें जो कर्तव्य सौंपे गये हैं उनको निभाने में वह पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, Hon. Mehtaji was one of the architects of India. He had sacrificed his life while serving the nation as a true patriot. There is no better death than this in religion. The lady who has laid down her life alongwith her husband in the service of the nation is also great. I associate myself with the Prime Minister in their grief and sorrow. Condolence messages may be sent to their family on our behalf. No death is considered better than this in the Hindu religion.

Those people who are dear to God get such death of the brave. It is our duty to complete the work which he has left. It is a prohibited in our religion to weep for such people. May God grant him the salvation.

It is our duty to fulfil those objects for which he has laid down his life. He has laid down his life for the nation. May his soul rest in peace and attain salvation. We will follow his ideals.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, the death of Shri Balwantrai Mehta has caused a loss not only to the Gujerat State but to the whole country. I agree with my calleagues that it is a personal loss to Prime Minister. He was not only his political associate but also a companion in his social and cultural activities by virtue of his being a leading member of Lala Lajpat Rai's Lok Sewak Mandal and he was also a leading adviser of the Prime Minister. The meritorious work rendered by him in connection with Kutch aggression is felt by the country all the more in this hour of crisis. He was a prominent follower of Gandhiji and according to the tradition of Gujerat State he also died a martyr's death like him and people called him a sadhu in white because of the purity of his private life. May God grant salvation to the departed soul and give us strength to fulfil the task left incomplete by him.

अध्यक्ष महोदय : सब सदस्यों की ओर से और विशेषकर उन सदस्यों की ओर से जिन को यहां पर बोलने का अवसर नहीं मिला है, मैं अपने आप को उन सब भावों के साथ जोड़ता हूं जो यहां पर जाहीर किये गये हैं।

हमारे देश के लिये यह एक महान क्षति है। श्री बलवन्तराय मेहता संविधान सभा के सदस्य थे। उन की मृत्यु 66 वर्ष की आयु में हुई है। जब यह दुर्घटना हुई तब वह कच्छ में भूज से लगभग छः मील पर थे। जिस प्रकार यह दुर्घटना हुई वह अत्यधिक दुख की बात है।

जैसा कि कहा गया है, वह प्राक्कलन समिति के सभापति थे और मुझे उन को सच्चे हृदय और परिश्रम से अपना कार्य करते हुये देखने का अवसर मिला है। जैसा कि श्री गुह ने बताया, श्री मेहताजी ने अपने समय में 120 प्रतिवेदन तैयार किये, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव का प्रयोग तत्थ्यों को ढुंढ निकालने और जांच में किया और उस सारे कार्य को, जो उस समय किया जा रहा था, नया रूप दिया। मुझे एक या दो अवसर याद हैं जब सरकार ने यह सोचा कि वह प्राक्कलन समिति की विहित सीमाओं से बाहर जा रहे है परन्तु अन्त में यह मालूम हुआ कि उनका कथन ठीक था और उन्होंने प्राक्कलन समिति की परम्पराओं को स्थापित किया और उन्होंने इस समिति के

[अध्यक्ष महोदय]

मान और स्तर को ऊंचा किया। अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेहता जी अपने इस व्यवहार में ठीक थे और तब से अधिकारियों और प्राक्कलन समिति के सदस्यों में पूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने अपने कार्य के प्रति जिस परिश्रम और लगन का परिचय दिया, वह अद्वितीय है।

मुख्य मंत्री के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हर लिहाज़ से हर कह सकते हैं कि उन को महान् सफलता मिली थी। उन को भारत के सच्चे सपूत के नाते, जिन को बहुत तजुर्बा था, अहंकार नहीं था और उनकी कर्तव्यनिष्ठा, बहुत लम्बे समय तक याद की जायेगी। इस मित्र की क्षति से हमें बड़ा दुख है। इस क्षति पर शोक प्रकट करने के लिये सदस्य कुछ क्षणों के लिये खड़े होंगे।

(तब सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खडे रहे)

जैसी कि सभा की इच्छा है मैं श्री मेहताजी के परिवार के सदस्यों को सब सदस्यों की ओर से समवेदना सन्देश भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मुझे आशा है कि हमें प्रश्नों के लिये एक घंटे का समय मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल वही समय मिलेगा जो प्रश्न काल में बच गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नहीं, श्रीमान, एक पूरा घंटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस का फैसला पिछली बार किया गया था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Constitutional changes in Pak. Occupied Kashmir

+

***720. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagadev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 903 on the 19th April, 1965 and state :

(a) whether any reply to the letter addressed to the United Nations about the constitutional changes made by the Government of Pakistan in the so-called Azad Kashmir under its occupation has been received;

(b) if not, the action Government propose to take in the matter; and

(c) whether the Government of Pakistan have brought about any more changes in the said territory even after the above communication had been sent to them and the United Nations?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : जी हां। पाकिस्तान के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर की एक एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4891/65।]**

(ग) सरकार ने यह समाचार देखा है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में मार्शल लां घोषित कर दिया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : There has been a lot of change in the circumstances when the notice of this question was given and the circumstances which are prevailing now and therefore the words of so called Azad Kashmir had been written therein. I would like to know, as our Prime Minister, the Minister for defence and the Minister for External Affairs have now admitted that after this attack by Pakistan no cease fire line exists and that whole of Kashmir is an

integral part of India, whether Government can give assurance to the country in this regard that question of Kashmir would not be discussed in any organisation of the world?

Mr. Speaker : As you have just now stated, the circumstances have changed since you gave notice of the question. The question which you wanted to ask has no relevance with your present question but that is more concerned with the circumstance prevailing at present.

Shri Prakash Vir Shastri : When Kashmir has become an integral part of India and there is no such thing as cease fire line, may I know whether we can have assurance from the Government that the question of Kashmir would not be discussed in any organisation of the world?

Mr. Speaker : No body can give assurance at this time. You ask for something else. Assurances are not given in Question Hour.

Shri Prakash Vir Shastri : The second thing about Kashmir which I want to know is whether Government is considering to abrogate at an early date article 370 of the Indian Constitution which has become ineffective now?

Mr. Speaker : It was understood that it would affect after the abrogation of article 370.

श्री श्याम लाल सर्राफ : अब जबकि तथाकथित आजाद काश्मीर क्षेत्र में सैनिक विधि की घोषणा कर दी गई है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जो बहुत ही कम स्थानीय अधिकारी वहां पर थे और जो लगभग सभी उस क्षेत्र से आये थे, उनको हटा दिया गया है और यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान का नियंत्रण प्रस्थापित कर दिया गया है? क्या मैं जान सकता हुं कि सरकार ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में, जहां काश्मीर पर चर्चा हो रही है, उठाया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह सच है कि पाकिस्तान सदा ही काश्मीर अधिकृत क्षेत्र पर अपना लगभग पूरा नियंत्रण रखे हुये है यद्यपि उन्होंने आजाद काश्मीर सरकार आदि का ढोंग रच रखा है। इस लिये हमारे पास संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख ले जाने के लिये कोई विषय नही है क्योंकि हमारे विचार से संयुक्त राष्ट्र को जम्मू और काश्मीर राज्य के राजनोतिक भविष्य में हस्तक्षेप नही करना चाहिये ।

अमरीकी टैंकों के चित्र (फोटोग्राफ)

+

***721. श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा प्रयोग में लाये गये विदेशी टैंकों और बन्दु कों के फोटो विदेशों में हमारे दूतावासों मिशनों को प्रचार के लिये भेज दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के अन्दर कितने ऐसे फोटो और फिल्म भेजे गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। कच्छ में पाकिस्तानी आक्रमण के समय एक फ़िल्म की 83 कापियां और संबद्ध पांच चित्रों की कोई 1300 कापियां भारत के विदेश-स्थित मिशानों को भेजी गई थीं ।

Shri M. L. Dwivedi : When the notice of this question was given it was in regard to the Pakistani attack on Kutch but now Pakistan has attacked us from

Kashmir. I would like to know whether these photcgraphs had been sent to the Government of U. S. A., and also the reaction of the Government of U. S. A. thereon?

The Deputy Minister in the ministry of Exteranl Affairs (Shri Dinesh Singh) : These photographs were sent to America also and the people of that country have seen them. The photographs were sent to all countries.

Mr. Speaker : What is the reaction of the Government of America thereon?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, as you would remember, these photographs were in proof of the fact that Pakistan was using the American equipment. It is quite clear from these photographs that Pakistan is using the American equipment.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether these photographs were published in various newspapers of the world; if so, whether these photographs were published in the American press also?

Shri Dinesh Singh : They were published in a number of countries. I think they were published in America also but I cannot say definitely about it.

श्री स० चं० सामन्त : जिन टैंकों और तोपों की तस्वीरें ली गई थी उनमें से कितने ऐसे टैंक और तोपें हैं जिन को मरम्मत करके भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस का तस्वीरों से कोई सम्बन्ध नही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं जान सकता हुं कि इन तस्वीरों के साथ इस प्रमाण को भी प्रकाशित किया गया है, जो कि अधिक आवश्यक है, कि अमरीका की ओर से भारत को दिये गये इस आश्वासन के विरुद्ध कि यह सामान इस के विरूद्ध प्रयोग नही किया जायेगा, पाकिस्तान इस सामान को भारत के विरूद्ध प्रयोग कर रहा है क्योंकि अमरीका के अलावा दूसरे देशों में केवल तस्वीरों का प्रकाशन उन को विश्वास नहीं दिला सकेगा ? यदि यह भी प्रकाशित किया गया था तब अमरीका की सरकार कुछ कार्यवाही करेगी। इस के बिना तो यह तस्वीरें अर्थहीन हैं।

श्री दिनेश सिंह : इस को उचित ढंग से प्रकाशित किया गया था और जैसा कि सभा को अवगत है अब इन तस्वीरों को ही नही परन्तु वास्तविक चीजों को भी वे लोग देख सकते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को भेज कर इन तस्वीरों की सत्यशीलता की पुष्टि करने का कोई प्रयास किया है ?

श्री दिनेश सिंह : दिल्ली में इस सामान की प्रर्दशनी की गई है। तस्वीरों को ही देखना आवश्यक नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार इस आश्वासन में विश्वास रखती थी कि पाकिस्तान को दिये गये अमरीका के हाथयारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नही होगा और यदि ऐसा होगा तो अमरीका की सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी?

श्री दिनेश सिंह : अमरीका सरकार की ओर से दिये गये किसी भी आश्वासन पर विश्वास न करने के लिये हमारी सरकार के पास कोई कारण नही है।

श्री कपूर सिंह : क्या हम इतने सीधे है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान अमरीका के सचिव श्री मैकनामारा के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने कहा है कि यद्यपि अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार दिये हैं फिर भी भारत का सैनिक बल पाकिस्तान से चार से पांच गुणं अधिक है, यह एक तथ्य है जो हमारे तर्क को स्थपित करता है कि अमरीका को अभी विश्वास नहीं हुआ है,—और पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग किये जाने के लिये उन्होंने क्या कारण बताये हैं—और यदि हां तो मैकनमारा के इस वक्तव्य पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि इस का यह अर्थ है कि अमरीका ने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान अमरीकी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। यह तो वह चीज है जिस का हम प्रचार कर रहे थे। जहां तक सेना की संख्या का सम्बन्ध है, चूंकि हमारे पास सेना अधिक है इस लिये पाकिस्तान को हक है कि वह अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करे—इस से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पें वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का प्रयोग कर रहा है, उन टैंकों की तस्वीरें, जो कि अमरीका ने पाकिस्तान को दिये थे, भी हमारे पास है और कि विभिन्न देशों में हमारे दूतावास लोगों को इस बात का विश्वास नहीं करा सके कि पाकिस्तान अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे देशों में अपने प्रचार को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं मान सकता कि हम लोगों को विश्वास दिलाने में असमर्थ थे। मेरा विचार है कि सारी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस में जोडना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी इस बात से इन्कार नहीं करता कि वह छम्ब और दूसरे क्षेत्रों हमारे विरुद्ध अमरीकी हथियारों का प्रयोग कर रहा है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस स्पष्ट बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का प्रयोग कर रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि, पाकिस्तान ने यह सहायता लेते समय जो आश्वासन दिये थे और अमरीका ने जो आश्वासन हमें दिये थे उन को पूरा कराने के लिये अमरीका की वर्तमान सरकार जो कुछ कार्यवाही कर रही है अथवा करेगी उसकी प्रतिक्रिया के बारे में हमारी सरकार को कुछ पता लगा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर यह हथियारों की सहायता दिये जाने के समय हमें अमरीका ने जो आश्वासन दिया था हम ने, अमरीका को उस की याद दिला दी है। फिर भी अमरीका सरकार ने वर्तमान स्थिति में किसी हद तक अपनी असमर्थता मान ली है ?

श्री हेम बरुआ : असमर्थता क्यों।

Shri Bhagwat Jha Azad : Some American Newspapers and high officials have stated that they have received complaints against the use of American arms by both India and Pakistan. May I know whether the Government have contradicted these statements, saying that it is only Pakistan who used the American arms if so, whether we have received any written or oral reply from the American Government in addition to what has just now been said by the Hon. Minister ?

Shri Swaran Singh : We have not received any thing in writing in this regard. We have stated that the American arms which were supplied to us have not been used against Pakistan.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या मैं जान सकती हूं कि अमरीका पाकिस्तान को सहायता दिये जाने के, जो वह हमारे विरुद्ध प्रयोग कर रहा है, उत्तरदायित्व को न मानने के अलावा यह कहता है कि यदि हमने पाकिस्तान को अधिक सहायता दी है तो यह प्राकृतिक है क्यों कि भारत की सैनिक शक्ति पाकिस्तान से संख्या में अधिक है और कि हम इस में कुछ नही कर सकते ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे लिये इस में उत्तर देने के लिये कुछ नहीं है ।

पूर्वी-पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

*722. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 14 मई, 1965 को पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को भेजे गये अपने तार में कहा है कि वह सीमा के साथ-साथ जमा की गई अपनी सेना को हटाये, जो खाइयां खोदी गई हैं उन्हें भरे तथा बंकरों को उखाड़े क्योंकि ये कार्रवाइयां सीमा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) 14 मई 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास एक तार भेजा जिसमें पाकिस्तान के इस आरोप का बलपूर्वक खंडन किया गया था कि डाहाग्राम नामक पाकिस्तानी बस्ती के चारों तरफ भारतीय सैनिकों का जमाव है और पूर्व पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह अपने सीमांत अधिकारियों को हिदायत करे कि भारतीय प्रदेश के अंदर तीन बीघा में सड़क पर तारकोल डालने (मैटलिंग) का जो काम हो रहा है, उसमें व अड़चन न डालें। इस तार में पूर्व पाकिस्तान सरकार से यह भी कहा गया कि वह पश्चिम बंगाल–पूर्व पाकिस्तान सीमा और कुच बिहार क्षेत्र के साथ लगने वाले स्थानों से अपने सैनिक हटा ले ।

(ख) पूर्व पाकिस्तान सरकार ने उत्तर में अपने आरोपों और मांगों को दोहराया लेकिन पूर्व पाकिस्तान––पश्चिम बंगाल सीमा से पाकिस्तान सैनिकों को हटाने की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को नजरदाज़ कर दिया ।

(ग) हमारी सुरक्षा सेनाएं सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपाय बरत रही हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि विस्तार वादीचीन की अंतिम चेतावनी के बाद पूर्व पाकिस्तान से नडियाद और दूसरी सभी सीमाओं पर अपनी फौजों का जमाव कर दिया है और यदि हां, तो हमारी सरकार ने उन का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पूर्व पाकिस्तान में रंगपुर, राजशाही और दीनापूर जिलों में सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति का सा जमाव है। भाग (ग) के उत्तर में मैंने कहा है कि सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न है कि क्या चीन की अन्तिम चेतावनी के बाद उन में वृद्धि हुई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां, श्रीमान् ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जसोर में पाकिस्तान ने एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया है और यदि हां, तो क्या इसके लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं कि पाकिस्तान इस अड्डे से हमारे क्षेत्र में बम न गिरा सके ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरा ऐसा विचार नहीं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। हम जानते हैं कि वहां पर एक हवाई अड्डा है। यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो यह प्रतिरक्षा बल का विषय है। हम क्या जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं इस पर हमें चर्चा नही करनी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैसोर में हवाई अड्डा है और इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि पाकिस्तान वहां से हमारे क्षेत्र पर बमबारी न कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : क्या जैसोर में कोई हवाई अड्डा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, मैं नही जानता यह तो प्रतिरक्षा मंत्री के बताने के लिये है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न यहां हर रोज़ उठाया जा रहा है और हमे समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं परन्तु हमें प्रश्न पूछने की मनाही है। इस लिये स्वाभाविक ही है कि हमे जैसोर सम्बन्धी कोई जानकारी नही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन से पूछा था और वह कहते है कि उन के पास कोई सूचना नही है। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह पता लगा कर यह सूचना दें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मंत्री महोदय इतना भी नहीं कह सकते कि वह इस का सामना प्रभावशाली ढंग से करन की स्थिति में है और उसे रोक सकते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वहां सैबर-जेट विमानों का एक दल है परन्तु मंत्री महादय इस को नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : तो पूछने के लिये कुछ नहीं रह गया।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या विश्वास सूत्रों से पता चला है कि पूर्वी पाकिस्तान में कई चीनी सैनिक सलाहकार, अधिकारी और तकनीशीयन सक्रिय है और यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि भारत को चीनी द्वारा दी गई हाल की चेतावनी का सीधा सम्बन्ध पूर्वी क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा सैनिक आक्रमण के लिये की गई संयुक्त तैयारी से है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीनी पत्र की भाषा से निःसन्देह यही पता लगता है कि चीन और पाकिस्तान में सांठ-गांठ है। परन्तु वहां चीनी तकनीशीयनों और अन्य लोगों के होने से उन का क्या अभिप्राय है इस की जानकारी सरकार को हो सकती है परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई विशेषकर यह कहना कि सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो सकती है। समाचार पत्र इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट रूप से लिख रहे है कि पाकिस्तान मे चीनी सलाहकार काम कर रहे है। मेरे विचार में संसद और जनता से इसे छिपाना लोकहित में न होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बताया जा सकता है कि चीनी वहां हैं या नहीं। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि निश्चित उत्तर सम्भवतः उपलब्ध न हो।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यही बताने का प्रयास किया था। चीनियों के वहां होने के बारे में हमें कुछ सूचना मिली है परन्तु मेरे लिये निश्चित रूप से यह कहना, कि वहां पर चीनी कितनी संख्या में हैं और वे क्या काम करते हैं, कठिन होगा।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, जैसे ही पाकिस्तान ने कच्छ के रन में हमारे उपर आक्रमण किया हम ने अपने सैनिक पूर्वी क्षेत्र में भेजे थे परन्तु जैसे ही युद्ध-विराम करार पर हस्ताक्षर हुये, हम ने अपने सैनिक वहां से वापिस बुला लिये। अब तो असम के मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान पूर्वी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिक जमाव कर रहा है। इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या अब हमारी सरकार ने पूर्वी सीमा पर सैनिक भेजे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम सीमाओं पर सैनिकों की गति और उन की वापीसी के बारे में कोई वक्तव्य न देने की प्रथा को सदा से मानते आ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हमें इस प्रथा को मानना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न के साथ व्यवस्था का प्रश्न नही होना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, आप मानेंगे कि इस का बहुत ही सुसंगत प्रश्न है। युद्ध विराम समझौते पर हस्तक्षार होने के बाद जब हमारे सैनिक पूर्वी सीमाओं से वापिस बुलाये गये थे तो यह घोषणा की गई थी .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। तब उस घोषणा को वहीं रहने दो। जो हम करना चाहते हैं उस को सरकार अवश्य कर रही होगी।

श्री हेम बरुआ : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सैनिकों की अवस्थापना के बारे में कहा था .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति-सैनिकों की अवस्थापना के बारे में हमें यहां कुछ नहीं कहना चाहिये।

Shri Bagri : Apart from the Military safegaurd and action has our Government taken any political steps in east Pakistan, Pakhtoonistan and East Bengal which may cause a set back to Pakistan?

Shri Swaran Singh : We have not taken any political steps in East Pakistan.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार यह समझती है कि पूर्वी सीमाओं पर भड़काने वाली कार्यवाहियां केवल हमारी सरकार का ध्यान पश्चिमी सीमाओं से हटाने के लिये हैं और यदि नहीं तो क्या पूर्वी सीमाओं पर यह कार्यवाहियां चीनी सांठ-गांठ के साथ भविष्य में किसी बडी दुर्घटना की सूचक हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मेरा विचार है कि यह बातें सैनिक विशेषज्ञों के लिये छोड़ देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह अपनी अपनी राय की बात है।

टेलीविज़न सेट

*723. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दस वर्षों की टेलीविज़न सेटों को आवश्यकता का अनुमान लगाया जा चुका है; और

(ख) यदि हां तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अगले 10 वर्षों में टेलीविज़न सेटों की मांग इस पर निर्भर होगी कि टेलीविज़न व्यवस्था का विस्तार कितना होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना तथा दिल्ली केन्द्र का विस्तार करने के लिये 4·7 करोड़ रुपया रखा गया है। ये टेलीविज़न केन्द्र भी स्थापित हो जायेंगें, तो आशा है कि एक लाख टेलीविजन सेटों की दरकार होगी।

(ख) दिल्ली में तत्काल मांग को पूरा करने के लिये बाहर से लगभग 10,000 टेलीविज़न सेट मंगाने का विचार है। पिलानी का सेंट्रल एलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट का लक्ष्य प्रति वर्ष 1000 टेलीविज़न सेट बनाने का है। उद्योग और संभरण मन्त्रालय भी टेलीविजन सेट बनाने के स्वदेशी उद्योग, स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है

Shri Yashpal Singh : Have the Government considered to keep this work in abeyance in view of the requirements of war so that the whole of our energy could be utilized for defence purposes?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : If need arises it will definitely be done.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have also felt that under these arrangements the rich could exploit the situation whereas the poor are deprived of it? Some such arrangement shall be made in the framework of socialism so that the poor may also be benefited?

Shrimati Indira Gandhi : No. Sir, it is not true. The reason being that many things which the rich people get from T. V. are for the first time being carried to our colonies, municipal schools and Tele-clubs etc. You would be glad to know that the T. V. sets which have been brought to Delhi, are separately being provided to military hospitals and are being installed there.

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले 10,000 टी० वी० सैटो का वंटन किस आधार पर किया जायगा और क्या संसद् सदस्यों और पत्रकारों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : क्या सैनिक अस्पतालों में घायल जवानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को या झुग्गी और बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को, इस का फैसला संसद्-सदस्य स्वयं कर लें। इस समय स्कूलों, अस्पतालों, टेली-क्लबों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को संसद् भवन में टी० वी सैट लगाने की सलाह नहीं दूंगा।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has just now stated that one lakh T. V. sets would be needed in next ten years and these will be imported from abroad. May I know the countries with which the negotiations are going on?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इस समय तो हम उन देशों से व्यापार कर रहे है जिन्हे भुगतान रुपयों में किया जाता है और वे हैं हंगेरी, जेकोस्लोवाकिया आदि। मैं इस समय पूरी सूची तो नहीं दे सकता। जहां तक इन सैटों का सम्बन्ध है 10,000 सैट मंगवाये गये है जिन में वे एक हजार सेट भी शामिल हैं जो एक व्यक्ति ने आयात लाइसेंस के अधीन मंगवाये हैं।

बाल मजदूर

*724. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग डेढ़ करोड़ बाल मज़दूर हैं ;

(ख) उन को शोषण तथा अतिश्रम से बचाने के लिये किन-किन उपायों का अनुरोध किया गया है।

(ग) क्या यह भी सच है कि एक करोड़ बीस लाख या इस से अधिक संख्या में मज़दूर ऐसे है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है ; और

(घ) क्या इन मज़दूरों के लिये, विशेष कर कृषि-मज़दूरों के लिये, वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां, रजिस्ट्रार आफ इंडिया द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ।

(ख) पर्याप्त नौजवान व्यक्तियों को पारिवारिक व्यवसायों में विशेषकर कृषि में, जहां स्कूल जाने वाले नवायु बालक और बालिकांए घरेलू खेती-वाड़ी, पशुओं की रखवाली आदि में हाथ बंटाती हैं-- नियुक्त अधिसूचित किया गया है । बालक मज़दूरों को शोषण से बचाने के लिए कारखानों में उनके रोज़गार के बारे में समुचित निर्बन्धात्मक व्यवस्था विभिन्न केन्द्रीय श्रम कानूनों में पहले ही विद्यमान है । परिवार नियोजन, स्वास्थ्य स्तरों में सुधार जिससे अधिक लम्बी आयु की प्रत्याशा हो, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, सामान्य आर्थिक विकास जिससे प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो, आदि से धीरे-धीरे बालक मज़दूरों की ज़रूरत कम हो जायगी ।

(ग) जी हां, रजिस्ट्रार आफ़ इंडिया द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ।

(घ) उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र-प्रदेश, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सरकारों ने निराश्रित बूढों की सहायता के लिए बूढापा-पेंशन योजना चालू की है । उन मज़दूरों के लिए जोकि कर्मचारी निर्वाह निधि और कोयला खान निर्वाह निधि के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति/परिवार पेंशन योजना चालू करने का प्रश्न समाज-सुरक्षा विभाग के विचाराधीन है । उस विभाग में निराश्रित बूढों को पेंशन मंजूर करने के लिए एक आदर्श बुढापा-पेंशन योजना भी विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उन बच्चों के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है जिन की आयु 10-15 वर्ष है और जो कृषि मजदूरों ; और घरेलू नौकरों का काम करते है ? उनको शोषण से बचाने के लिये सरकार क्या निश्चित कार्यवाही कर रही है ?

श्री संजीवय्या : जी हां । इन 150 लाख बच्चों में से लगभग 95 प्रतिशत कृषि के काम में लगे हुये हैं । इस का कारण निर्धन कृषकों का अपने बच्चे को स्कूलों में दाखिल न करवा सकना है और वे उन्हें इस काम में लगा देते हैं । यह उन को इस काम में लगाना अधिक लाभप्रद समझते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्रम और रोजगार मंत्री के साहसपूर्ण वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि जिन लोगों के पास दस वर्ष पूर्व कुछ भी नही था, वे अब उचित और अनुचित साधनों से धनवान बन गये है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने, इन नये धनिक लोगों के बहुत से लाभ पर या अनुपार्जित आय पर कर लगाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री संजीवय्या : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं ।

(अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में)

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने यह अल्प सूचना प्रश्न रखा था उनकी इच्छानुसार यह-प्रश्न किसी अन्य दिन के किए स्थगित किया जाता है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Communal Tension

***719. Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**

Shri S. C. Samanta : **Shri A. M. Vidyalankar :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state the steps being taken to implement the suggestions made in the Home Ministers' Conference held in the first week of June, 1965 that the public should be

enlightened through newspapers, radio and other media with a view to checking the spread of communalism and dispelling the atmosphere of fear and tension, whenever a necessity is felt in this regard?

The Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : No such decision was taken in the Conference of Home Ministers of States convened in June 1965. However, it is the policy of the Government of India to educate the public in a sustained manner through all means and media on the danger to national interest and security from communalism and violence, rumour-mongering and inflamatory writings in the Press.

काश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव का प्रतिवेदन

***725. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री काजरोलकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, श्री ऊ थांट ने हाल ही में काश्मीर के बारे में, एक प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद् को पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस प्रतिवेदन में क्या मत तथा सिफारिशें दी गई हैं ; और

(ग) उस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों का ध्यान 13 सितंबर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 584 के सरकार द्वारा दिए गए उत्तर की ओर दिलाया जाता है, जिसमें महासचिव को रिपोर्ट की प्रति सदन की भेज पर रख दी गई थी।

(ग) 4 सितंबर 1965 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया उसके 6 सितंबर 1965 के जवाब में दी गई है, जिसमें महासचिव की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। भारत के उत्तर की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। दखियें संख्या एल० टी-० 4892/65**]

Bell Telephone Manufacturing Company

***726. Shri Bagri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether an agreement has been reached for the setting up of a telephone manufacturing factory in collaboration with the Bell Telephone Manufacturing Company at Bangalore;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the capital outlay involved?

The Deputy Minister in the Department of Communications : (a) An Agreement was signed on 21-5-1964 for setting up the manufacture of Pentaconta Crossbar Switching telephone system in India in collaboration with the Bell Telephone Manufacturing Company.

(b) The production of the equipment is phased to reach full capacity of 1,00,000 lines per annum in single shift by June, 1967. The crossbar equipment is being manufactured at the Indian Telephone Industries Ltd., and no new factory is being established for the purpose. The International Standard Electric Corporation of New York, who own the patent rights of the Pentaconta Crossbar

equipment, have agreed to invest in the share capital of the Indian Telephone Industries Ltd., to the extent of Rs. 59·52 lakhs and also to advance loans totalling 47·62 lakhs to the Indian Telephone Industries Ltd. Out of the investment in shares of Rs. 59·62 lakhs mentioned above, Rs. 35·71 lakhs will be paid in cash and the balance of Rs. 23·81 lakhs will be in lieu of payment for know-how.

(c) The estimated capital cost on the crossbar unit is Rs. 1·27 crores, which is proposed to be met by the Indian Telephone Industries Ltd., from its own internal resources and out of the equity money received from the International Standard Electric Corporation and another share-holder. The Government of India have not directly invested any money in this project.

संकटकालीन (इमरजेंसी) कमीशन प्राप्त अधिकारियों की छानबीन

*727. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन अधिकारियों की, जिन को 1962 में आपात काल की घोषणा होने के बाद कमीशन दिया गया था, छानबीन करने के आदेश दिये हैं ताकि उन्हें सशस्त्र सेनाओं में स्थायी रूप में नियुक्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो छानबीन के इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) चिकित्सा के कमीशन प्राप्त अफसरों के पहले दल की छानबीन, कि जिन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन दिया, प्रगतिशील है । अन्य आपाती कमीशन–प्राप्त अफसरों की छानबीन अभी शुरू नहीं हुई ।

भारतीय बस्तियों के निवासियों का पाकिस्तान द्वारा परेशान किया जाना

*728. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामसेवक यादव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 1965 के अपने पत्र में पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर जिले में स्थित दो भारतीय बस्तियों के निवासियों को पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के हाथों जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसे रोकने के लिये तत्काल उपाय किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर आया है तो क्या ; और

(ग) उस उत्तर के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) नोट की सिर्फ पावती दे दी गई थी । बहरहाल, पूर्व पाकिस्तान सरकार ने— जिसके पास पश्चिम बंगाल सरकार ने उसी विषय पर विरोध-पत्र भेजा था— इससे इनकार किया कि पाकिस्तान के राष्ट्रिक भोटवाड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों को धमका रहे हैं, या परेशान कर रहे हैं ।

(ग) हालांकि पूर्व पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि भोटबाड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों को परेशान न किया जाय, तो भी भारत सरकार की यह नीति रही है कि स्थिति को सावधानीपूर्वक देखा जाय और पूर्व पाकिस्तान स्थित हमारी बस्तियों

में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से तंग अथवा परेशान किए जाने के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लिखा-पड़ी की जाय।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

*729. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बागडी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय की वकील परिषद् द्वारा पास किय गये इस आशय के संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के रहस्य की पूरी जांच करवाने की मांग की गई है;

(ख) क्या इस समाचार में कोई तथ्य है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने शाह-नवाज़ समिति के प्रतिवेदन के बाद भी नेताजी के भाई को लिखा था कि नेताजी की मृत्यु के बारे में कोई सही तथ्य उपलब्ध नहीं हुए हैं; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने के लिये न्याय वेत्ताओं का एक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता अनुभव करती है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत सरकार को यह मालूम है कि 9 जुलाई, 1965 को कलकत्ता हाई कोर्ट बार ऐसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि 'इस मामले में नए सिरे से जांच-पड़ताल करने के लिए प्रमुख जूरिस्टों का एक जांच कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए'।

(ख) श्री सुरेश चंद्र बोस के 12 मई, 1962 के पत्र का स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 13 मई 1962 को उन्हें उत्तर दिया था। जवाब में पंडितजी ने लिखा था :

"आपने लिखा है कि मैं आपको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का प्रमाण दूं। मैं आपको ठीक-ठीक और स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकता। किंतु परिस्थितियों से जो प्रमाण मिले हैं, और जिनका उल्लेख जांच समिति की रिपोर्ट में भी किया जा चुका है, उनसे हम यह तथ्य मान गए हैं कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है।"

इसके बाद श्री सुरेश चन्द्र बोस के 8 अगस्त, 1962 के पत्र के उत्तर में पंडितजी ने 12 अगस्त, 1962 को उन्हें लिखा था कि :

"मैंने आपको लिखा था कि परिस्थितियों से जो तमाम प्रमाण मिले हैं उनसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। इस उद्देश्य से जो समिति नियुक्त की गई थी और जो जापान भी गई थी, उसकी रिपोर्ट में ये अधिकांश प्रमाण दिए गए हैं। इस समिति की रिपोर्ट में इसकी तिथि, स्थान और परिस्थितियां दी गई है।

"इस रिपोर्ट के अलावा इतना लम्बा जो अरसा गुजर गया है वह स्वयं इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है।"

(ग) भारत सरकार का अब भी यही विचार है कि इस मामले में जांच करने के लिए एक नई समिति बनाने को कोई औचित्य नहीं है।

Explosion in Kirkee Explosives Factory

*730. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yudhvir Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri : Shrimati Maimoona Sultan :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the estimated loss suffered due to the explosion in the Kirkee Explosives Factory on the 21st August, 1965; and

(b) the outcome of the investigations conducted by Government?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The estimated loss, apart from the loss of 11 lives, is approximately Rs. 82,000.

(b) The findings of the Board of Enquiry appointed for this purpose are under examination.

युद्धबन्दी भारतीय

*731. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 272 तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइट लैफ्टिनेंट सिक्का समेत रिहा किये गये भारतीय युद्धबन्दी लोगों से यह बात पूछी गई है कि जब वे पाकिस्तान की हिरासत में थे तो उन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो पूछ ताछ से क्या पता चला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : विमुक्त हुए, सभी युद्धबन्दियों से पूछ-ताछ की गई है और पता चला है, कि पाकिस्तान में उनके साथ किया गया बर्ताव सन्तोषजनक न था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिक्का से पूछताछ अभी जारी है, और इस समय, उस से किए गए बर्ताव के संबंध में, कोई निश्चित राय दे पाना संभव नहीं है।

उद्योगों में अनुशासन सम्बन्धी संहिता

*732. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उद्योगों में अनुशासन सम्बन्धी संहिता के चलन के सम्बन्ध में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य मुख्य मत व्यक्त किये गये थे ; और

(ग) उन मतों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां, 21 अगस्त, 1965 को।

(ख) लोक सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4893/65।**]

(ग) निर्णयों को लागू करने के बारे में कार्यवाही, उनके भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी अधिवेशन द्वारा अनुमोदित होने के बाद की जायगी।

Protest Note from China

*733. **Shri Madhu Limaye :**
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any protest note has recently been received from China charging India of committing aggression near the Sikkim border;

(b) whether there is a danger of military action being taken by China with a view to help Pakistan on the northern borders; and

(c) if so, the precautionary steps being taken by Government in this regard from the security point of view?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon) : (a) Chinese Government's protest note dated 27th August, 1965 accused India violating the Sikkim-China border on four occasions during July 1965. Subsequent, Chinese note dated 8th September, 1965 repeated these charges together with an earlier allegation that Indian troops are entrenched on the Chinese side of the Sikkim-China border. Indian Government's note dated 12th September, 1965 replying the Chinese note of the 8th September, 1965 is placed on the Table of the House. [**Placed in the Library, See No. LT. 4894/65.**]

(b) & (c). The Government of India are alive to the dangers of Sino-Pak collusion and are prepared to meet any eventuality.

मिस्टर फिज़ो की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

*734. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन-स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने देश से निष्कासित नागा नेता, मिस्टर फ़िज़ो की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये ब्रिटेन की सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या उत्तर दिया है ; और

(ग) यदि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या सरकार ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में पुनः अनुरोध करने का विचार रखती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) लंदन-स्थित भारतीय हाई कमिश्नर ने हमारे विचार यूनाइटेड किंगडम की सरकार के पास पहुंचा दिए हैं कि यह सरकार इस बात को ठीक नहीं समझती कि ब्रिटिश नागरिक, श्री फिज़ो, को विदेशों में यात्रा करने की सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वह भारत के हितों के विरुद्ध कार्रवाइयां कर सके ।

(ख) यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ब्रिटिश नागरिक के आनेजाने पर प्रतिबंध लगाने में खेद-पूर्वक असमर्थता प्रकट की है ।

(ग) इस मौके पर मामले को आगे बढ़ाने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हमें श्री फिज़ो द्वारा किसी अन्य देश की यात्रा करने की इच्छा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

काहिरा रेडियो

*735. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र सरकार-नियंत्रित काहिरा रेडियों ने 6 सितम्बर, 1965 को अपने मुख्य अंग्रेजी प्रसारण में, पाकिस्तानी अड्डों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्यवाही के बारे में भारत के प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया और भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में केवल पाकिस्तानी ब्यान तथा प्रेसीडेंट अयूब खां का रेडियो भाषण ही प्रसारित किया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार से उठा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यहां संयुक्त अरब गणराज्य राजदूतावास ने इस प्रेस रिपोर्ट का खंडन किया है । इस राजदूतावास के अनुसार भारत-पाक स्थिति पर भारत सरकार के बयानों को काहिरा रेडियों ने प्रसारित किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में अरब लीग के प्रमुख प्रतिनिधि का भाषण

*736. **श्री कपूर सिंह :**

श्री गुलशन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि भारत स्थित अरब लीग के प्रमुख प्रतिनिधि, डा० क्लोविस मकसूद ने 25 अगस्त, 1965 को नई दिल्ली में हुई "इंडियन कौंसिल आफ़ वर्ल्ड-अफेयर्स" की बैठक में भाषण देते हुए हमारे मित्र देश अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका की आलोचना करते हुए वियतनाम में उसके वैध अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य को एशिया में एक ऐसा "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप" बताया जो कि राजनीतिक विघटन पैदा करता है और हमारे विकास अभियानों को नष्ट-भ्रष्ट करता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना से राजनयिक विशेषाधिकार की जो घोर अवहेलना हुई है, उसके सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार यह समझती है कि अरब लीग के मुख्य प्रतिनिधि की रिपोर्ट ठीक तरह नहीं दी गई । 25 अगस्त को भारतीय विश्व कार्य परिषद में डाक्टर क्लोविस मकसूद ने अपने भाषण में कहा था कि वियतनाम की लड़ाई द्विपक्षीय अथवा प्रादेशिक मसला नहीं है बल्कि उसका असर दुनिया पर पड़ रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Conversion of Hindus in Pakistan

*737. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Hamid Raza Gilani, a Parliamentary Secretary in the National Assembly of Pakistan had informed the Assembly sometime back that 2,700 Hindus have become Christians;

(b) whether it is also a fact that most of these Hindus were Harijans and they were made Christians taking undue advantage of their helplessness; and

(c) whether Government have tried to find out that a large number of Hindus were compelled to embrace Islam similarly?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) The Government have seen reports that Mr. Hamid Raza Gilani told the Pakistan National Assembly on June the 25th that during the past five years 2,479 Pakistani citizens had been converted to Christianity.

(b) Mr. Gilani is also reported to have said that most of those converted belonged to Scheduled Castes.

(c) There is no evidence to indicate that Hindus have been compelled to embrace Islam on a large scale in East Pakistan.

विदेशों में प्रचार

*738. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में हमारे प्रचार को मज़बूत करने के लिये हाल ही में कोई और कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : विदेशों में हमारे प्रचार-कार्य को सुदृढ़ करने के सवाल पर सरकार बराबर निगाह रखे हुए है और समय-समय पर आवश्यक उपाय बरते जाते हैं। हाल ही में, विदेश-स्थित हमारे 38 मिशनों में टेलिप्रिंटर की व्यवस्था कर दी गई है और इस तरह अब हम देश की रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में अपने विदेश-स्थित मिशनों को टेलिप्रिंटर पर और प्रेस के बिलों के ज़रिये दिन में दो बार खबरें भेज सकते हैं। आकर्षक प्रचार पत्रिकाएं भी तात्कालिक आधार पर तैयार की जा रही है और विदेशों में भेजी जा रही हैं।

डाक सेवाओं का यंत्रीकरण

*739. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीनों की कमी के कारण डाक सेवाओं के यंत्रीकरण के कार्य में रुकावट पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी डाक सेवाओं का यंत्रीकृत किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पर्याप्त संख्या में और उपयुक्त ढंग की मशीनें प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) डाक सेवाओं के यंत्रीकरण में बहुत हद तक इसलिए रुकावट पड़ी है कि उसके लिए जिस प्रकार की मशीनों की जरूरत है, उनका देश में निर्माण नहीं होता ।

(ख) डाक सामग्री विक्रेता यंत्रों, प्रभार अंकन मशीनों, सिक्का परिवर्त्तकों, जोड़ने तथा सूची तैयार करने वाली मशीनों, गणकों, पुलिन्दा बांधने वाली मशीनों व डाक-टिकट रद्द करने वाली मशीनों को अधिकाधिक प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है। डाक ले जाने के लिए वाहक और उत्थापक यंत्र लगाये जाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक थैला साफ करने वाली यूनिट कायम की जाएगी ।

(ग) भारतीय निर्माताओं को आवश्यक विशिष्टियां दी जा रही हैं और विभिन्न प्रकार से अपेक्षित यंत्रों का उत्पादन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुछ मशीनों का आयात बाहर से भी किया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी टैंकों का प्रयोग किये जाने के बारे में अमरीका से विरोध

*740. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अमरीकी पैटन टैंकों का प्रयोग किये जाने के विरोध में अमरीका को कोई विरोधपत्र भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) छम्ब-अखनूर सेक्टर में लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान द्वारा जम्मू और काश्मीर में अमरीकी पटन टैंक और एफ-86 विमानों से काम लेने के बारे में दिल्ली और वाशिंगटन, दोनों ही जगह अमरीकी सरकार से ज़ोरदार विरोध प्रकट किया गया था ।

(ख) अमरीका सरकार ने इस बारे में अपनी मजबूरी का संकेत दिया कि उसने अपनी सैनिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान को जो हथियार दिए हैं उनके दुरुपयोग को वह रोक नहीं पा रहा है ।

परंतु, भारत और पाकिस्तान को हथियार भेजने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे पाकिस्तान द्वारा सैनिक सहायता कार्यक्रम के हथियारों का, जो उसे अमरीका से मिले हैं, दुरुपयोग करने के विरुद्ध अमरीका की प्रतिक्रिया समझा जा सकता है ।

दलाई लामा

*741. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने इस वर्ष सितम्बर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सत्र में तिब्बत का मामला पेश करने के लिये न्यूयार्क जाने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

Abduction and Forcible Conversion of Hindu Women in East Pakistan

*742. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that abduction and forcible conversion of the Hindu women and those belonging to the minority communities have been started once again in East Pakistan; and

(b) if so, the steps taken by Government for the safety of the minorities?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) & (b). We have received no such reports recently. However, whenever cases of this nature have come to Government's notice, they have been invariably taken up with the Pakistan Government, though without any satisfactory results.

Workers of H. A. L. and B. E. L., Bangalore

*743. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state:

(a) whether any industrial dispute exists at present in the Hindustan Aeronautics Ltd. and Bharat Electronics Ltd., Bangalore; and

(b) if so, whether his Ministry has instructed the Government of Mysore to place all the demands of the workers before the Industrial Tribunal, except those as have already been referred to the Wage Board?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) The monetary demands are covered by the terms of reference of the Wage Board for Engineering Industries. The non-monetary demands were taken in conciliation by the industrial relations machinery of the Government of Mysore. An agreement was signed on the 14th September, 1965 in so far as the Hindustan Aeronautics Ltd. is concerned. The conciliation proceedings in regard to the Bharat Electronics Ltd. are in progress.

U. N. Secretary-General's Appeal About Kashmir

*744. **Shri Bagri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an appeal from the Secretary-General of the U. N. O. to stop fighting in Kashmir has been received by the Prime Minister;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) to (c). Attention of the Honourable Member is invited to the statement made by the Prime Minister in the House on September 16, 1965.

पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच सीमांकन

*745. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम तथा पूर्वी बंगाल के बीच सीमांकन के लिये हाल ही में भारत-पाक सर्वेक्षण अधिकारी सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4896/65 ।]

विदेशों में प्रचार कार्य

*746. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रचार-कार्य को विशेष रूप से भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के संबंध में, तेज करने के लिए तत्काल प्रभावपूर्ण उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कारण है कि उन उपायों के बावजूद बहुत से मित्र देशों की सरकारों, समाचार पत्रों और रेडियों ने भारत के दृष्टिकोण का पर्याप्त समर्थन नहीं किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जो उपाय बरते गए हैं, उनमें से कुछ ये हैं :

(1) भारत में आजकल विदेशों के प्रेस, रेडियो और टेलिविजन के संवाददाता, जो बड़ी संख्या में हैं, उन्हें सामान्य और विशेष पक्षसार देना;

(2) युद्ध के कुछ क्षेत्रों में विदेशी संवाददाताओं की संगठित यात्रा;

(3) टेलिप्रिंटर के ज़रिये अपने मिशनों को निम्नलिखित विषयों पर रोज़ाना समाचार भेजना;

(1) युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर स्थिति ;

(2) संसद में दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्य, भारतीय नेताओं के भाषण और पत्र व्यवहार का विनिमय आदि ।

(4) पृष्ठभूमि सामग्री, वृत्त लेखों और विदेशी तथा भारतीय समाचारपत्रों में छपे लेखों का भेजना;

(5) विशेष पैम्फ्लेटों का निकालना;

(6) कब्ज़े में लिए गए हथियारों और गोला-बारूद की सामग्री के फोटोचित्र तथा अन्य ऐसे सबूत भेजना जिनसे भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का आक्रमण सिद्ध होता हो।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि "कई मित्र देशों की सरकारों, प्रेसों और रेडियो ने भारत के पक्ष की काफी सराहना नहीं की है" । जहां कहीं हमारे पक्ष की सराहना नहीं की गई है उसका कारण वहां की राजनीतिक विचारधारा अधिक है न कि हमारी ओर से प्रचार के प्रयत्नों की कमी ।

ब्रिटेन से शस्त्रास्त्र सम्बन्धी सहायता

*747. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत को शस्त्रास्त्र देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : इस पग के लिये यु० के० सरकार ने "वर्तमान् स्थितियाँ" कारण बताया है। तदपि भारत सरकार इस पग को अन्याय युक्त मानती है, विशेषकर जब चीनी आक्रमण, जिस के लिए यह सहायता दी गई थी, अभी सामने है और एक अधिक सक्रिय स्वरूप धारण कर रहा है।

Indian High Commission in Pakistan

*748. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Bade :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Hari Vishnu Kamath :**
Shri Gokaran Prasad : **Shri Priya Gupta :**
Shri Bagri : **Shri S. M. Banerjee :**
Shri Maurya : **Shri P. L. Barupal :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri P. H. Bheel :**
Shri Lahri Singh : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Alvares : **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Kashi Ram Gupta : **Shri Balmiki :**
Shri Warior : **Shri Yajnik :**
Shri Buta Singh : **Shri Lakhmu Bhawani :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has imposed restrictions on the activities of Indian High Commission at Rawalpindi and Karachi;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto;

(c) whether the Government of India have also imposed similar restrictions on the Pakistan High Commission in India; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). We have imposed identical restrictions on the Pakistan High Commission in New Delhi on a basis of reciprocity.

(d) Does not arise.

परिवहन कर्मचारियों के लिए मजुरी बोर्ड

2403. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारी राष्ट्रीय संघ से उद्योग में एक मजुरी बोर्ड स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन बन्दरगाह में नाविकों की हड़ताल

2404. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचिन बन्दरगाह के माल बोट नाविक मई और जून, 1965 में हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है; और

(ग) इस विवाद का निपटारा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) कोचीन बन्दरगाह पर नाव मालिकों के लगभग 1200 मज़दूर 1 जून, 1965 की आधी-रात से 13 जून, 1965 तक हड़ताल पर थे।

मई 1965 में माल बोट नाविकों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई।

(ख) उनकी मांग मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी मज़दूरों के मज़दूरी बोर्ड की अंतरिम सहायता सम्बन्धी सिफ़ारिशें लागू करने के बारे में थी।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने हस्तक्षेप किया और 13-6-1965 को आपसी समझौता करा दिया। समझौते के अनुसार मालिक, जिनका प्रतिनिधित्व बोट ओनर्स एसोसियेशन द्वारा किया जा रहा था, नाव कर्मचारियों की मज़दूरी में 1.30 रु० प्रति मज़दूर प्रति दिन की वृद्धि करने के लिये मान लिये गए। समझौते के परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई और 14-6-1965 की सुबह से सामान्य रूप से काम चालू हो गया।

होटल तथा चाय की दुकानों के कर्मचारी

2405. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में होटल तथा चाय की दुकानों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने का है;

(ख) वर्तमान न्यूनतम मजूरी कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कोट्टयम ज़िले में इस श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन 14 से 18 घंटे काम करने पर बाध्य किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) मज़दूरी की वर्तमान न्यूनतम दरें, जोकि केरल सरकार द्वारा नवम्बर, 1960 में अधिसूचित की गई थीं, 1 जनवरी, 1961 से लागू हुई।

(ग) केरल सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उटता ।

केरल दुकान तथा संस्थान अधिनियम

2406. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों में केरल दुकान तथा संस्थान अधिनियम लागू किया गया है;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने कर्मचारी आते हैं; और

(ग) 1964 में अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) राज्य सरकार द्वारा ट्रिवेंड्रम, क्विलोन, अल्लेप्पी, कोटयम, एरनाकुलम, त्रिचुर, पालघाट कोज़ीकोडे और कन्नानोर ज़िलों के संलग्न विवरण में दर्शाए गए क्षेत्रों में यह नियम लागू किया जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4896/65 ।]**

(ख) 87,864.

(ग) 604.

Roads in Spiti Valley

2407. Shri Hem Raj : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Border Roads Development Board has decided to take up the construction work of Sumadoo Kaza and Lithang-Keorik Road (Spiti Valley) in its own hands;

(b) if so, the time by which the construction work on the same will start;

(c) the expenditure to be incurred thereon;

(d) if not, whether it is proposed to entrust the construction work to the Public Works Department, Punjab; and

(e) whether the expenditure to be incurred thereon is to be reimbursed to Punjab Government?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). The construction of a road connecting Sumdo and Rangrik is included in the programme of the Board. But its construction is not being taken up immediately. The construction of a road from Sumdo to Kaurik is in the immediate programme and the work is being done by the Chief Engineer Deepak.

(c) It is estimated that the cost of construction of the road from Sumdo to Kaurik would be Rs. 80 lakhs. This is being borne by Central Government.

(d) and (e). The question of agency for construction of Sumdo-Rangrik road will be considered as and when it is decided to take up its construction.

भारत में तिब्बती शरणार्थी

2408. **श्री हेमराज :**
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी हैं तथा वे किन-किन व्यवसायों में काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या उन्हें विदेशी समझा जाता है या भारतीय नागरिक ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत में तिब्बती शरणार्थीयों की आज तक संख्या लगभग 50,000 है। वे खेती-बाड़ी, दस्तकारी, लघु उद्योग, लघु व्यवसाय अर्द्ध-तकनीकी धंधों और सड़क के कामों में लगे हुए हैं।

(ख) उन्हें विदेशी समझा जाता है।

मध्य प्रदेश में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत डाकघरों में जमा की गई रकमें

2409. **श्री लखमू भवानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को मध्य प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि जमा थी; और

(ख) उसी अवधि के अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1 जनवरी, 1965 से 30 जून, 1965 के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं में जमा की गई कुल रकम 7,48,05,266 रुपये है।

(ख) राज्यवार आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

सिक्किम के महाराजा की यात्रा

2410. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल सिक्किम के महाराजा सरकारी यात्रा पर दिल्ली आए हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राज्यमान्य छोग्याल ने 31 अगस्त से 8 सितंबर, 1965 तक दिल्ली की यात्रा पर आए थे। उनकी यह यात्रा आंशिक तौर पर सरकारी और आंशिक तौर पर निजी थी।

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य 1966-71 की अवधि के लिए सिक्किम की अगली विकास योजना के बारे में प्रारंभिक परामर्श करना था।

किराये की इमारतों में डाकघर

2411. **श्री राजाराम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में इस समय कितने डाकघर किराये की इमारतों में हैं ;

(ख) 1964-65 में सरकार ने इन डाकघरों की इमारतों का कितना किराया दिया; और

(ग) इन डाकघरों के लिये विभागीय इमारतों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1257 डाकघर ।

(ख) 11,71,051 रुपये ।

(ग) (i) 15 डाकघरों के लिये स्थान प्राप्त कर लिया गया है ।

(ii) 82 डाकघरों के लिये स्थान प्राप्त किया जा रहा है ।

(iii) अन्य मामलों में स्थानों का चुनाव किया जा रहा है ।

मद्रास में चलते फिरते डाकघर

2412. **श्री राजाराम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में इस समय कितने चलते-फिरते डाकघर हैं ।

(ख) क्या मद्रास में इस प्रकार के और डाकघर खोलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दो ।

(ख) इस समय नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास में टेलीफोन केन्द्र

2413. **श्री राजाराम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि 31 जुलाई, 1965 को मद्रास राज्य में कितने टेलीफोन केन्द्र थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : 270 ।

मद्रास में डाकखाने

2414. **श्री राजाराम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में मद्रास राज्य में कितने नये डाकघर खोले गये;

(ख) 1964 में उस राज्य में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ; और

(ग) 1964 में उस राज्य में किन-किन स्थानों पर तार सुविधाओं की व्यवस्था की गई ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 434 ।

(ख) 83 ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4897/65 ।**]

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए तेलगु में प्रसारण

2415. **श्री कोल्ला वैंकैया:** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलैयशिया में भारत के उच्चायुक्त की मार्फत वहां के तेलगू भाषी लोगों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिये आकाशवाणी से कम से कम आधा घंटा तेलगू में प्रसारण किया जाये;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : पिछले जून में मलैयशिया के आन्ध्र एसोसियेशन से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। यह भारत के उच्चायुक्त की मार्फत नहीं आया था, बल्कि सरकार को सीधा मिला था।

(ग) और (घ) : विचार करने पर, उनके सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया, क्योंकि आकाशवाणी के पास इसके लिए यथेष्ट यंत्रादि नहीं हैं।

नागाओं द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन

2416. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री बासप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में गत चार महिनों में भूमिगत नागाओं के साथ आक्रमक कार्यवाहियों को बन्द करने के लिये किये गये समझौते के उल्लंघन की घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उल्लंघन की ईन घटनाओं में जान और माल की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस के लिये क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नागालैंड में लड़ाई बंदी की शर्तों का छिपे नागाओं द्वारा उल्लंघन किए जाने की घटनाओं का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4898/65।**]

(ख) इन उल्लंघनों के कारण जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन छिपे नागाओं ने दबाव डालकर बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि छीन ली है।

(ग) सिविल प्रशासन को आदेश दिया गया है कि जब कभी धन छीनने अथवा जबर्दस्ती जमा करने की शिकायतें प्राप्त हों वह जान-माल की रक्षा करने के लिये कानन के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस कार्रवाई में वृद्धि की जा रही है।

लड़ाई बंदी की शर्तों का उल्लंघन करने के सभी मामले शांति मिशन के ध्यान में भी लाए गए हैं जिससे कि वह उन्हें छिपे नागाओं के साथ उठा सकें।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग

2417. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग ने केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संस्था की कार्यकारिणी परिषद द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

विमान दुर्घटनाये

2418. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में भारतीय वायु सेना की कितनी विमान दुर्घटनायें हुई तथा उन में कितने विमान चालक मारे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : यह सूचना देना लोकहित में नहीं है।

Retirement of Jawans and Officers from Army Service

2419. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the approximate number of Jawans and officers who retire from the Indian army every year;

(b) whether any suggestions have been received by Government that these retired Jawans should be given proper facilities to settle in the border areas; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) The approximate number of service personnel who retire or are released from the Indian Army every year based on the average during the period 1960-64 is given below :—

Officers	318
JCO	494
Jawans	7785

(b) and (c). Suggestions for the re-settlement of ex-servicemen in some border areas have been received and are under consideration of the Government.

स्त्रियों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें

2420. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा कुछ अन्य संस्थाओं का कुछ विस्तार किया गया है, जिनमें स्त्रियों को शिल्प और टाईप का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1962–63 तथा 1963–64 में किन-किन शाखाओं का विस्तार किया गया है; और

(ग) गत छ : महीनों में प्रशिक्षणार्थियों, धन्धों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां, यह विस्तार, महिलाओं की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कर्जन रोड, नई दिल्ली और अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में जहां

महिलाओं को दस्तकारी और टाइपिंग सिखाने के लिए अलहदा विभाग है, हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के प्रशिक्षण पर पाबंदी नहीं। दरअसल कुछ व्यवसायों जैसे मैकेनिक (रेडिओ) ड्राफ्टमेन (सिविल) आदि में वे प्रशिक्षण प्राप्त करती है।

(ख) 1962–63—

स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी), हाथ और मशीनी बुनाई तथा कटाई व सिलाई

1963–64—

कटाई व सिलाई और कशीदाकारी तथा सूई का काम।

(ग) शून्य।

तार के फार्म

2421. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार के फार्मों को हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जारी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) : हिन्दी भाषी क्षेत्रों के तारघरों को हिन्दी के तार फार्म पहले से ही भेजे जा रहे हैं। इन फार्मों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में छापने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अम्बाजड़ी कारखाना

2422. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाजड़ी कारखाने का निर्माण-कार्य समय-सूची के अनुसार हो रहा है ; और

(ख) इस में उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, जब तक कि यू० एस० ए० द्वारा हाल ही में सैनिक महत्व के साज़सामान के आयात पर प्रतिरोध नहीं लगाया गया।

(ख) फैक्टरी के जून 1967 से 1968 अन्त तक, प्रावस्थाओं में, उत्पादन आरंभ करने की आशा थी।

फ्रिगेट अल्फेंजो डी-अल्बुर्कक

2423. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले का पुर्तगाली फ्रिगेट अल्फेंजो डी-अल्बुकर्क बेच दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : भूतपूर्व पुरतगाली फ्रिगेट 'अल्फान्सो डी अल्बुकर्क' डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा आम नीलाम द्वारा बेचा गया था, बेचने का कारण यह था कि जलपोत की द्रव्यस्थिति इस प्रकार कि थी उसे समुद्र में चलाने तथा संक्रिया के योग्य बनाने के लिए उस पर मुरम्मत की लागत, उसे युद्धपोत बना पाने के महत्व के अनुपात के, सर्वथा अननुरूप होती।

रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज भूतपूर्व सैनिक

2424. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को प्रत्येक राज्य के विभिन्न रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे जो रोजगार चाहते थे; और

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को 30 जून, 1965 तक रोजगार मिला ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4899/65।]

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

2425. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में 30 जून, 1965 को कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) उनमें शिक्षित, मैट्रिक पास व्यक्तियों तथा स्नातकों की संख्या कितनी थी ;

(ग) उनमें दस्तकारों, डाक्टरों तथा इंजीनीयरों की संख्या कितनी थी; और

(घ) उनमें शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी थी।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,54,511 थी।

(ख) मैट्रिक पास (जिनमें हायर सेकेण्डरी और इन्टर पास उम्मीदवार भी शामिल है) 1,05,251

स्नातक (जिनमें स्नातकोत्तर परीक्षा पास उम्मीदवार भी शामिल है) 9,884

कुल (शिक्षित उम्मीदवार) 1,15,135

(ग) दस्तकार और उत्पादन कार्य में लगे उम्मीदवार . . . 28,727

चिकित्सा स्नातक . 13

इंजीनियरिंग के स्नातक . . 64

(घ) 3,527

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त स्थान

2426. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से 30 जून 1965 तक की अवधी में उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में कुल कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उन संस्थानों में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के जरिये कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) :

क्षेत्र	सूचित रिक्त स्थान	ऐसे रिक्त स्थान जिनकी पूर्ति की गई है।
सरकारी क्षेत्र . . .	39,200	28,640
निजी क्षेत्र	15,331	10,578
कुल योग	54,531	39,218

उत्तर प्रदेश के काम दिलाउ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

2427. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को 1964 में और जनवरी से जुलाई, 1965 तक की अवधि में रोजगार दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 57,866।

(ख)

वर्ष/समय	नौकरी पाने वालों की संख्या
1964 . .	14,676
1965 . . (जनवरी से जून तक)	6,185

बर्मा में भारतीय

2428. श्री मुहम्मद कोया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1965 तक अपनी पुंजी समेत ऐसे कितने भारतीय भारत से बर्मा गये जिनका धन बर्मा सरकार ने अवरुद्ध कर दिया है तथा यह रकम कितनी है; और

(ख) सरकार ने कम से कम उस पुंजी को दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है जो वे भारत से अपने साथ ले गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सूचना सुलभ नहीं है।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों की संपत्ति के देश प्रत्यावर्तन के विषय में बर्मा सरकार से बातचीत अभी चल रही है। अभी कोई नतीजा नहीं निकला है।

Pak. Protest against Construction of a Road in Dahagram Area

2430. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan Government had lodged a protest with the Government of West Bengal against the construction of a road in the Dahagram area;

(b) if so, the basis of their objection; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Pakistan has linked up the matter of this road with the construction of an earthen embankment at Tinbigha. Pakistan alleges that the construction of the earthen embankment is a part of "warlike and aggressive activities" and that it would cause harassment to Dahagramis.

(c) The allegations are utterly baseless.

छोकी के आयुध कारखाने में आग

2431. **श्री बड़े :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वृजराज सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जून, 1965 को या उसके आसपास इलाहाबाद के निकट छोकी के आयुध कारखाने में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, 10 जून 1965 को।

(ख) अन्तर्ग्रस्तक्षति लगभग 20,000 की अनुमानित है ।

(ग) प्राथमिक जांच के अनुसार, आग लगने का कारण थी, डिपो में काष्टभाण्डार क्षेत्र में शंटिंग कर रहे, रेलवे इंजन से उड़ने वाली चिंगारियां।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार

2432. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि 1964 में सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि-दर, विशेष रूप से परिवहन और संचार में, कम होने लगी है;

(ख) इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह इस बात का संकेत है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कर्मचारियों की जन-शक्ति का अधिक अच्छा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये विस्तार कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है;

(घ) क्या अध्ययन से यह भी पता चला है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि, वन उद्योग (फोरस्ट्री), खानें तथा पत्थर की खाने खोदने में रोजगार वृद्धि बहुत पिछड़ी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार अवसरों से सम्बन्धित मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले कार्यकाल की रिपोर्ट से पता चलता है

कि 1964-65 में यातायात और संचार विभागों के रोजगार अवसरों में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि पिछले वर्ष यह वृद्धि केवल 2.7 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) : सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) जी हां।

(ङ) कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में बढ़े रोजगार अवसर तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। यह वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र में होने वाली रोजगार अवसरों की वृद्धि से तिगुनी होगी।

Newsprint

2433. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) the quantity of newsprint produced in the country from the 15th August, 1964 to 15th August, 1965;

(b) the quantity imported during the above period;

(c) the quantity of newsprint given to the different newspapers in the various States;

(d) whether Government have made any enquiry to see that the newsprint allotted to the various newspapers has been actually utilised by them for publishing their newspapers;

(e) if so, the results thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 33,417 Metric tonnes;

(b) Import figures are recorded on the basis of full calendar months. 92,357 metric tonnes of newsprint were imported during the period 1st August 1964 to 30th June 1965. The figures for the months of July and August are not yet available.

(c) Separate statistics of State-wise allotment of newsprint are not maintained.

(d) &(e). A watch is maintained on the utilisation of newsprint by conducting on-the-spot surprise probes on circulation through investigation teams of the Registrar of Newspapers for India as well as through confidential enquiries by State Governments. Necessary adjustment of the newsprint quota is made whenever any exaggerated circulation is detected. Information relating to the circulation probes and the results achieved has been given in chapter XII of the Ninth Annual Report of the Registrar of Newspapers for India, 1965, laid on the Table of Lok Sabha on September 14, 1965.

(f) Does not arise.

विशेष डाक टिकट

2434. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री राम हरख यादव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री मुरली मनोहर :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र के नेताओं की स्मृति में 1965 के अन्त तक कौन-कौन से विशेष डाक-टिकट जारी करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को प्रमुख व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि डाक-टिकट जारी करने के पुनरीक्षित कार्यक्रम में डा० रास बिहारी बोस का नाम भी सम्मिलित किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) (i) सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 31 अक्तूबर, 1965 को जारी होना है ;

(ii) देशबन्धु चित्तरंजन दास, जो 5 नवम्बर, 1965 को जारी होना है।

(ख) जी हां ।

(ग) सुरक्षा प्रेस की सीमित क्षमता के कारण उक्त प्रस्ताव डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका है।

नेताजी की भस्मी

2435. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के द्वारा जापान से वापस लौटने पर दिये गये इस वक्तव्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि वहां पर रखी हुई भस्मी, जो नेताजी सुभाष बोस की बताई जाती है, वास्तव में नेताजी की भस्मी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) उस जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जापान से वापस आने पर, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां वास्तव में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय चाय बागान मजूरी बोर्ड

2436. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बागान मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक प्रतिवेदन पेश किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) बोर्ड ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं भेजी है, परन्तु उसने मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की सिफ़ारिश की है। कुछ क्षेत्रों के लिये दूसरी अंतरिम-सहायता की भी सिफ़ारिश की गई है।

(ख) और (ग) : मजदूरी बोर्ड सम्बधित पक्षों के मत-भेद दूर करने और यदि सम्भव हुआ तो सर्वसम्मत रिपोर्ट भेजने की कोशिश कर रहा है।

खान अधिनियम का उल्लंघन

2437. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी तथा किन कोयला खानों के विरुद्ध खान अधिनियम, नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण 1963, 1964 और 1965 में मुकदमें चलाये गये हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में मुकदमा चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका क्या परिणाम रहा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें 1963, 1964 और 1965 (30 जून 1965 तक) के बारे में सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

बन्दरगाहों में नौ-भरक (स्टीवडोर) प्रणाली

2438. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्दरगाहों में नौभरक प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : यह मामला विचाराधीन है ।

समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाला आण्विक शक्ति संयंत्र

2439. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन के आण्विक शक्ति प्राधिकारियों ने ब्रिटेन के इंजीनियरों को एक फर्म के सहयोग से बहुत भारी मात्रा में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाला एक आण्विक शक्ति संयंत्र बनाया है ;

(ख) क्या भारत के समुद्र तटवर्ती अत्यधिक कठिनाई वाले कुछ भागों में पीने के पानी तथा सिंचाई जल की विद्यमान समस्या को हल करने के उद्देश्य से सरकार समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिये आण्विक शक्ति का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या पग उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सरकार जानती है कि ब्रिटेन के आण्विक शक्ति प्राधिकार ने ब्रिटेन औद्योग के सहयोग से खारापन दूर करने पर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है ताकि प्रचलों का सर्वाधिक उपयुक्त नमूने का पता लगाया जा सके और विभिन्न परिस्थितियों में खर्च का अनुमान लगाया जा सके ।

(ख) और (ग) : ट्राम्बे का आण्विक शक्ति संस्थान आण्विक शक्ति के प्रयोग से खारीपन दूर करने से सम्बन्ध समस्याओं पर सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहा है । अब तक जो अध्ययन किया गया है उस से पता चला है कि साधारणत: दो प्रयोजनों वाले संयंत्र, अर्थात् वे जिन से पानी और विद्युत दोनों का उत्पादन हो सके, एक प्रयोजन वाले संयंत्र जिन से केवल पानी का उत्पादन होता

है, से अधिक लाभदायक होंगे। इस क्षेत्र में प्रविधि की वर्तमान स्थिति के अनुसार घरेलू उपभोग के लिये ही पानी का उत्पादन ग्राहीय मूल्य पर किया जा सकेगा और कृषि कार्यों के लिये यह काफी अधिक महंगा पड़ेगा।

स्विटजरलैंड में पर्वतारोहण वरसी

2440. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैण्ड ने मैट्टरहान चोटी पर विजय पाने की शताब्दी हाल ही में मनाई है और उन्होंने बड़ी संख्या में विश्वविख्यात पर्वतारोहियों को इस समारोह में भाग लेने के लिये बुलाया ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को भी स्विटजरलण्ड ने कोई निमन्त्रण भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो हमारे देश के कितने पवतारोही वहां गये और वे कितने समय तक वहां रहे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अल्पाईन क्लब ने 11 से 18 जुलाई 1965 तक ज़रमट्ट (स्विटज़रलैंड) की मैट्टरहान चोटी पर आरोहण की सौसाला वरसी मनाई थी। समारोहों में लगभग 700 व्यक्तियों ने भाग लिया। पवतारोहियों के अतिरिक्त आमन्त्रितों में विभिन्न देशों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों, टेलीविज़न तथा रेडियो के प्रतिनिधि शामिल थे। पूर्व से, समारोहों में केवल, भारत ने प्रतिनिधित्व किया था।

(ख) जी हां।

(ग) स्विस अल्पाईन क्लब से प्राप्त निमन्त्रणों से संगत हिमालय पवतारोहण संस्था, दारजीलिंग के कल्नल जस्वाल को इन समारोहों में प्रतिनिधित्व करने को चुना गया था। वह, 12 से 19 जुलाई 1965 तक, स्विटज़रलैंड में था।

टेलीफोन ऐक्सचेंज, गोरखपुर

2441. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेंज गोरखपुर में बहुत से आपरेटर अब भी अस्थायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे कितने समय से सेवा में हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई भर्ती की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : गोरखपुर एक्सचेंज में इस समय काम करने वाले कुल 42 टेलीफोन आपरेटरों में से 26 अस्थायी हैं। इन कर्मचारियों को सेवा करते हुए 4 महीने से लेकर 7 वर्ष 9 महीने तक का समय हो गया है।

(ग) और (घ) : टेलीफोन आपरेटरों के संवर्ग में भर्ती और स्थायीकरण मंडल स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष समूचे मंडल के लिए रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार नई भर्ती की जाती है। गोरखपुर टेलीफोन एक्सचेंज गोरखपुर तार इंजीनियरी मंडल का ही एक हिस्सा है।

P. & T. Circles

2442. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of P. & T. Circles at present;

(b) whether these Circles have been re-organised recently; and

(c) if so, the set-up of these Circles after their reorganisation?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 15.

(b) and (c). No major re-organisation has taken place in the recent past except in the case of the Central Circle. The Headquarters of this Circle has been shifted to Bhopal from Nagpur redesignating it as Madhya Pradesh Circle. Simultaneously the Vidarbha Region has been transferred to the Bombay Circle which is now known as the Maharashtra Circle.

The jurisdication of the Madhya Pradesh and Maharashtra P. & T. Circles is now co-terminus with the respective State bounderies, with their Headquarters at the State capitals. This is in line with the general pattern of P&T Circles all over the country.

Programme Advisory Committee

2443. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Programme Advisory Committee attached to the All India Radio, Delhi has offered a suggestion for conducting a survey on a large scale to find out the interest of the children in the programmes for children; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The Committee has suggested the need for a systematic study of listeners' reactions to different programmes, including those directed to children.

(b) The Listener's Research Unit of All India Radio is conducting a study of Children's programme. The report is expected by the end of December, 1965.

श्रोताओं सम्बन्धी अनुसन्धान विभाग

2444. डा० महादेव प्रसाद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये आकाशवाणी, दिल्ली में श्रोताओं सम्बन्धी अनुसंधान विभाग स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और अनुसन्धान विभाग की कार्य प्रणाली क्या है ?

सूचना और प्रासरण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि वह और अच्छी तरह काम करें और श्रोताओं की रुचि पसंद-नापसंद और प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में उनकी राय से आकाशवाणी को बराबर परिचित रख सके ।

(ख) पुनर्गठित विभाग का ढांचा इस प्रकार का होगा :—

(1) श्रोता अनुसंधान की योजना बनाने, काम की देख भाल करने और टुकड़ियों का मार्ग-दर्शन करने के लिए महानिदेशक के कार्यालय में एक केन्द्रीय सेल होगा। भिन्न भिन्न टुकड़ियों से जो सूचना आएगी, उसका यह संकलन करेगा और इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ़ पब्लिक ओपीनियन तथा विश्वविद्यालयों, आदि अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का समन्वय करेगा।

(2) प्रत्येक प्रदेश में एक एक टुकड़ी खोली जायेगी जो केन्द्र की योजना के अनुसार पड़ताल और काम करेगी।

श्रोता अनुसन्धान विभाग श्रोताओं की राय जानने के सभी प्रचलित तरीकों से काम लेगा जैसे नमूने की पड़ताल, डाक से राय मांगना, मत लेना, जाकर जांच करना, समूह अध्ययन आदि। इस विभाग का काम तथ्य इकट्ठा करना होगा और यह वैज्ञानिक ढंग से काम करेगा।

रायल नेवी सबमैरीन (पनडुब्बी)

2445. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1965 में एक रायल नेवी सबमैरीन पनडुब्बी एच० एम० 'ऐस्टयूट' भारतीय नौ-सैनिकों को पनडुब्बी अवरोधक प्रशिक्षण देने के लिये भारत आई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जो प्रशिक्षण दिया जा चुका है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह भारतीय नौसेना के लिये कितनी उपयोगी सिद्ध होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : भारतीय नौसेना के जहाजों तथा विमानों को पनडुब्बियों के विरूद्ध युद्ध प्रशिक्षण के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया गया था। इस प्रशिक्षण ने नौसेना को पनडुब्बियों के युद्ध में आधुनिक तकनीकों के बराबर, चलने की सहायता की है, और इसीलिये, इस क्षेत्र में उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ाई है।

केरल में पारपत्र जालसाजों का गिरोह

2446. **श्री बागड़ी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल पुलिस ने हाल में पारपत्र जालसाजों के एक गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) केरल की पुलिस ने जाली पासपोर्टों के कुछ मामलों का पता लगाया है।

(ख) 13।

(ग) केरल की सी० आई० डी० मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

इजराइल को मान्यता देना

2447. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत इज़राइल को मान्यता देने के प्रश्न पर पुनः विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन समाचारों में कोई सचाई है और उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने 17 सितम्बर 1950 को इज़राइल को मान्यता दी थी और उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण पदकों का गलाया जाना

2448. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1965 के 'मार्च आफ दी नेशन' साप्ताहिक के इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सैनिक बोर्ड जयपुर ने, सैनिकों को उन के वीरतापूर्ण कृत्यों के लिये दिये गये मूल्यवान पदक बिल्लों को गलाया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सरकार ने वह समाचार देखा है। वह निराधार है। ज़िला सैनिक, नाविक तथा विमान सैनिक जयपुर द्वारा कोई भी मेडल या बैज नहीं पिघलाए गए।

विभिन्न उद्योगों के मजदूरों की औसत मजूरी

2449. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा, चाय, पटसन, इस्पात तथा खनन उद्योगों में प्रति मजदूर औसत मजूरी क्या है ; और

(ख) विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं में क्या अन्तर है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) एक विवरण, जिसमें इन उद्योगों की न्यूनतम और अधिकतम मजूरी की औसत दैनिक दरें दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। विवरण में दिए गए आंकड़ों में मूल मजदूरी और महंगाई भत्ता शामिल है और ये आंकड़े श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मजूरी सर्वेक्षण, जनरल रिपोर्ट (1958-59) के आधार पर हैं।

(ख) चीनी, जूट, ऊनी और सूती वस्त्रोद्योगों तथा लोहा और इस्पात उद्योग के मजदूरों को उपलब्ध सुविधाओं की तुलनात्मक स्थिति के बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4901/65।**] यह सूचना श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा 1959-60 में किए गए श्रम स्थितियों के सर्वेक्षण के पहले दौर में एकत्र की गई सामग्री पर आधारित है। अन्य उद्योगों के बारे में इस प्रकार की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

मलयेशिया के विमान चालकों को प्रशिक्षण

2450. **श्री कोल्ला बैंकेया :**
श्री लक्ष्मी दास :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1961 से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना के विभिन्न संस्थानों में मलयेशिया के कितने कर्मचारियों को विमान चालकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ;

(ख) इस समय भारत में विमानचालकों के रूप में मलयेशिया के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) मलयेशिया के कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देने के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

प्रेस सूचना विभाग में हिन्दी एकक

2451. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 3 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 2927 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच प्रेस सूचना विभाग के हिन्दी एकक के विस्तार के लिये और उसे फिर से गठित करने में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पत्र सूचना कार्यालय के जलन्धर दफ्तर में एक हिन्दी टुकड़ी भी स्थापित की जा रही है । इलाहाबाद, कानपुर तथा आगरा, जबलपुर और इन्दौर जैसे अन्य नगरों में पत्र सूचना कार्यालय के दफ्तर खोलने और मुख्य कार्यालय की हिन्दी टुकड़ी का विस्तार करने के प्रस्ताव इस मंत्रालय की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किए गए हैं और इनके मन्जूर हो जाने पर इन्हे कार्यान्वित किया जाएगा ।

आपातकाल में सैनिक सेवा में असैनिक कर्मचारी

2452. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में असैनिक पदों पर काम करने वाले कुल कितने व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक आपातकाल में सैनिक सेवा स्वीकार की ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अभी तक सैनिक सेवा में रखे गये हैं तथा कितने लोगों को सैनिक सेवा से छुट्टी दे दी गई है ; और

(ग) जो लोग असैनिक सेवा में वापस भेज दिये गये हैं उनकी सेवा की निरन्तरता तथा उपलब्धियां कायम रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जिन व्यक्तियों ने आपात स्थिति के दौरान अफसरों के तौर पर सशस्त्र सेनाओं में सेवा आरंभ की उनकी संख्या, 5068 है । जिन्होंने अवर श्रेणि सैनिकों के तौर पर सेवा आरंभ की उनकी संख्या प्राप्य नहीं है क्योंकि कोई अभिलेख बनाया नहीं रखा गया ।

(ख) 5000 अभी सेवा कर रहे हैं और 68 अब तक सेवा से विमुक्त हो चुके हैं ।

(ग) भारत सरकार गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान सैनिक सेवा में जाने की अनुमति दी जाए, अपने असैनिक स्थापन पर, सैनिक सेवा पर अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अपना अधिकार धारण किए

रहेंगे। उनकी सैनिक सेवा उनके साधारण सेवाक्षेत्र से बाहर की सेवा मानी जाएगी, और वह अपने मल विभाग में अपने से निम्न के आगे नियम के अनुसार प्रोफार्मा उन्नति के अधिकारी होंगे, तथा उच्च स्थान पर वरिष्ठता के भी, जिसके सैनिक सेवा पर न चले जाने की दशा में वह अधिकारी होते। अस्थायी सरकारी कर्मचारी सैनिक सेवा से निवृत्ति पर अपने असैनिक स्थान पर लौट आएंगे, अगर तब तक उन स्थानों का अस्तित्व हो, और उन की सेवा 'अनुमोदित' सेवा हो। अधिकतम राज्य सरकारों ने इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन सेविवर्ग को अर्हतारोध वेतन-वृद्धि समेत सभी वेतन-वृद्धियों व्यवहारिक तौर पर दी जाती रहेंगी, जब तक कि सैनिक अधिकारियों से कोई ऐसी रिपोर्ट न आ जाए, कि जिससे किसी ऐसे दण्ड का उल्लेख हो कि वेतन वृद्धि या वेतन तथा भत्तों की रोक अनिवार्य हो जाए।

जहां तक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का संबंध है, कि जिन्होंने सैनिक सेवा आरंभ की, वर्तमान् में एसी कोई सुविधाएं प्राप्य नहीं हैं। परन्तु प्रश्न विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड

2453. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायु सेना और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये बड़े पैमाने पर विमान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विमानों की अब तक की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के लिये अनुमानित मांगें और लक्ष्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० ने भारतीय वायु सेना के लिए बड़े पैमाने पर विमानों के उत्पादन का कार्य हस्तगत किया है, और हाल ही में आई० ए० सी० के लिए विमानों के उत्पादन के लिए भी आर्डर प्राप्त किए है।

(ख) एच० ए० एल० ने आई० ए० एफ० को विभिन्न प्रकार के विमान, अर्थात् प्रशिक्षण विमान जैसे कि प्रेंटिस ट्रेनर और एच० टी० 2, मुहय्या किए हैं। किरण नाम के जेट ट्रेनर का विकास किया गया है, जो आशा है, 1966 में स्क्वाड्रन सेवा आरंभ कर देगा। एच० एफ० 24 मेक I का विकास किया गया है, और कुछ एक वह आई० ए० एफ० को दे दिए गए हैं। "एयर आब्ज़र्वेशन पोस्ट" नाम का एक विमान सफलतापूर्वक सम्पूर्ण कर लिया गया है, और शीघ्र ही यह आई० ए० एफ० को दिए जाने शुरू हो जाएंगे। एच० एस० 748 एक परिवहन विमान है, जो निर्माणाधीन है। एलौटी हेलिकाप्टर का निर्माण भी हस्तगत किया जा चुका है।

(ग) इन विमानों की मांगें, और आगामी तीन वर्षों में उत्पादन लक्ष्य प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

खेतिहर मजदूर

2454. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह जानने के लिए कि खेतिहर मज़दूरों में कितनी बेरोज़गारी और ऋण ग्रस्तता है तथा उनके रहन-सहन के स्तर में कितना सुधार हुआ है ; देहाती श्रमिकों संबंधी जांच आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस अभिकरण के द्वारा करवाया जा रहा है ;

(ग) क्या उस अभिकरण से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां; देहाती श्रमिकों के परिवारों की आमदनी और खर्च, रोजगार और बेरोज़गारी तथा ऋण-ग्रस्तता के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जांच की जा रही है।

(ख) जांच-कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है, परन्तु क्षेत्र-कार्य, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के अभिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर के लिये सीधी ट्रंक डायलन व्यवस्था

2455. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा इंदौर और बम्बई तथा इंदौर के बीच सीधी ट्रंक डायलन व्यवस्था आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) इंदौर के मार्ग से दिल्ली और बम्बई के बीच सूक्ष्मतरंग लिंक लगाये जाने के बाद यह संभव हो सकेगा। इस लिंक के 1968 में चालू हो जाने की आशा है।

(ग) इस कार्य की लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये होगी।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

2456. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 15 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दरों का पुनर्विलोकन करने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : फैसला किया गया है कि छावनी बोर्ड कर्मचारियों की कम से कम उजरतों का न्यूनतम उजरत अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पुनरीक्षण/संशोधन किया जाए, और आवश्यक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

2457. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963, 1964 और 1965 में क्रमशः छावनी बोर्ड के कर्मचारियों ने विवाद के कितने मामले उठाये ;

(ख) कितने मामलों में समझौता की कार्यवाही के लिये आदेश दिये गये थे ;

(ग) कितने मामलों में समझौता की कार्यवाही असफल रही थी ; और

(घ) समझौते की कार्यवाही के असफल होने की सूचना मिलने के पश्चात् कितने मामलों को न्यायिक निर्णयन के लिये भेजा गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

	वर्ष	संख्या
(क)	1962 . . .	33
	1963 . . .	27

	वर्ष	संख्या
	1964 . . .	37
	1965 . . .	39
(ख)	1962 . . .	27
	1963 . . .	25
	1964 . . .	33
	1965 . . .	37
(ग)	1962 . . .	4
	1963 . . .	8
	1964 . . .	27
	1965 . . .	37
(घ)	1962 . . .	1
	1963 . . .	..
	1964 . . .	..
	1965 . . .	1

उपरोक्त (क) से (घ) में दी गई सूचना छावनी बोर्ड अंबाला से संबंधित सूचना शामिल नहीं है, क्योंकि वर्तमान् आपात के कारण, महत्वपूर्ण काम में प्रवृत्त होने से, वह रिपोर्ट नहीं दे सका ।

विद्युत हृदय स्पंदक

2458. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ बंगलौर ने विद्युत हृदय स्पंदक बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सफल साबित हुआ है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां । पूना के आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कालेज के अनुरोध पर एक यूनिट विकसित और निर्मित की गयी है ।

(ख) अभी इस उपकरण का परीक्षण हो रहा है ।

काश्मीर में वर्षा में रेडियोधर्मी कण

2459. श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ट्राम्बे ने इस बात की पुष्टी की है कि काश्मीर में हाल की वर्षा में रेडियोधर्मी कण पाये गये ;

(ख) क्या इस मामले की छान-बीन की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता, तथापि इस सम्बन्ध में यह बताना आवश्यक है कि चीन द्वारा किए गए दूसरे परमाणु विस्फोट के बाद मई-जून, 1965 में वायु में उत्पन्न रेडियधर्मिता में भूमि की सतह पर कुछ वृद्धि पाई गई थी, किन्तु बाद में यह रेडियधर्मिता सामान्य हो गई। रेडियधर्मिता के वर्तमान स्तर पूरी तरह रेडियधर्मिता की अहानिकर समझी जाने वाली सीमा में हैं।

Indian P. O. Ws. in China

2460. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of our soldiers are still prisoners in China; and

(b) if so, the number thereof?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) No, Sir. The Chinese have returned all the Indian prisoners stated to be held by them; in a few cases in the form of dead bodies or ashes of cremated bodies.

(b) Does not arise.

Indians Residing in China

2461. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the press reports date-lined in Berlin stating that the East Berlin sources have drawn attention towards the worsening condition of the Indians residing in China;

(b) if so, whether Government propose to repatriate them; and

(c) the time by which they would be repatriated?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c) The Government of India has seen some press reports to this effect.

There are at present about 25 Indians in China. The majority of them are dairy owners and some work in local offices. Although restrictions have been placed on these Indian nationals by Chinese authorities, in their business as well as in their daily life, there has not been any marked deterioration in their condition. One Indian national has been jailed by the Chinese and the Government of India have protested against it to the Chinese Government. Most of the Indian nationals in China are fairly old and have been living in China for considerable periods of time, some for as long as 40 years, and would find it difficult to uproot themselves entirely.

डीज़ल लोकोमोटिव कारखाना

2462. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में डीज़ल लोकोमोटिव कारखाने स्थापित करने के लिये उचित स्थान चुनने के अभिप्राय से पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के इंजीनियरों के एक दल ने भारत का दौरा किया ; और

(ख) इस दौरे के परिणाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री थ० म० थामस): (क) मेरीन तथा औद्योगिक डीज़ल इंजनों की प्रायोजना के संबंध में पश्चिमी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एन० सें इंजनियरों के एक दल ने कुछ स्थानों और महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थापनों का भ्रमण किया है।

(ख) एम० ए० एन० इंजीनियरों की रिपोर्ट, अक्तूबर 1965 तक प्राप्त होने की आशा है।

Shortfalls of Third Plan

2463. Shri Bagri : Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that by the end of Third Five Year Plan, a shortfall to the tune of 10 lakhs is likely to occur in the employment target ;

(b) the causes thereof ; and

(c) whether this shortfall will be made up during the Fourth Plan period ?

The Minister of Labour & Employment (Shri Sanjivayya) : (a) & (b). Yes ; the anticipated shortfall can be attributed to reduced achievement in respect of Plan Schemes in physical terms due to factors such as rise in prices and shortage of foreign exchange.

(c) Employment targets for the Fourth Plan are under examination along with other aspects of the Plan.

विश्व शान्ति सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2464. श्री मोहन स्वरूप : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई से हेलसिंकी में हुआ विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने क्या भाग लिया ; और

(ख) सम्मेलन द्वारा स्वीकार किये गये संकल्पों का संक्षेप क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पता लगा है कि हेलसिंकी में हुये विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने जो कि गैर सरकारी था सक्रिय रूप में भाग लिया है। इस सम्मेलन में और विषयों के अलावा वियतनाम की स्थिति, औपनिवेशिक अधिराज्यों में रहनेवाले लोगों के लिये आजादी, अणुशक्ति के हथियारों पर रोक, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और शांति के लिये अनुकूल वातावरण बनाने पर भी चर्चा हुई थी।

(ख) सम्मेलन द्वारा स्वीकार किये गये संकल्पों का संक्षेप सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4902/65।]**

इलेक्ट्रानिक उद्योगों का विकास

2465. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रानिक उद्योगों के विकास के संबंध में विचार करके कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक उद्योगों के सम्बन्ध में यह विचार किया गया है कि इनसे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और लगाई जाने वाली पूंजी के अनुपात में कितना उत्पादन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) से (ग) : डा० एच० जे० भाभा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित की गई इलैक्ट्रानिक्स कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट लगभग तैयार है तथा आशा है कि यह शीघ्र ही सरकार को पेश कर दी जायेगी। कमेटी ने इस रिपोर्ट में इलैक्ट्रानिक उद्योग के सब पहलुओं, जिनमें इस उद्योग की रोज़गार देने की क्षमता तथा उसके विभिन्न भागों में लगाई जाने वाली पूंजी के अनुपात में होने वाले उत्पादन भी शामिल हैं, पर गौर किया है।

इस सम्बन्ध में स्मरण करा दिया जाए कि कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पिछले दिसम्बर मास में जारी की गई थी।

जदूगुड़ा में यूरेनियम मिल

2466. **श्री रा० बरुआ :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जदूगुडा की यूरेनियम मिल ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या मिल की आवश्यकता पूरा करने के लिए बिहार के परमाणु खनिज निक्षेप पर्याप्त होंगे ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) यूरेनियम मिल के संबंध में 75 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस वर्ष के अन्त से पहले बड़े उपकरणों के एक बड़े भाग की स्थापना का काम आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ख) जी हां।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर

2467. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में वायु सेना कचेरी, कानपुर से स्थानान्तरित हो कर आने वाले असैनिक कर्मचारियों को लगातार सेवा तथा अन्य सेवा की शर्तों का लाभ नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिरक्षा संस्थानों में परियोजना भत्ता

2468. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नव-स्थापित प्रतिरक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सीमान्त क्षेत्रों में एम० ई० एस० यूनिटों के लिये अब परियोजना भत्ता मंज़ूर कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। आर्डनेन्स फैक्टरी वरंगांव और नई विस्फोटक फेक्टरी भाण्डारा के कर्मचारियों को प्रायोजना भत्ता दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) क्योंकि उनकी हालतों में भत्ता देने की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई।

Map of India Published by Soviet Government

2469. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade : **Shri Hem Barua :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's border has not been indicated clearly in the map of India included in the Atlas of Asian countries published by the Soviet Government ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c). The Government has seen the newspaper reports about publication of some maps in the Soviet Union recently which restricts the reproduction of the map of India to south and Central India and also that of China to eastern China. Our Embassy in Moscow has been asked to ascertain the facts. Report of the Embassy is still awaited.

Press Trust of India

2470. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1056 on the 30th August, 1965 and state :

(a) the value of indirect assistance in the form of facilities such as telegraph and teleprinter lines provided to the Press Trust of India by the Posts and Telegraphs Department ;

(b) the amount paid by the Ministry of External Affairs and other Ministries to this Agency for the news supplied to them by this Agency ;

(c) whether Government have sold land to the Press Trust of India for the construction of its own building ;

(d) if so, the present market price of that land ; and

(e) the amount of loan asked for by the Press Trust of India for the construction of this building ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) A plot of land measuring about 2 acres in Parliament Street was leased out to M/s Reuters Ltd., in 1923 for construction of a building for residential and business purposes. In 1952, this plot of land was transferred by Reuters to their successor organisation, the Press Trust of India. In 1960, the Press Trust of India approached the Ministry of Works and Housing for permission to construct a

multi storeyed building on this plot. Permission was given subject to payment of certain additional premium and ground rent. A piece of land was also resumed from them on payment of suitable compensation.

(d) It is difficult to indicate the actual market price of this land at present as no transactions are reported to have taken place recently in this area. However, the present market price is likely to be Rs. 300-400 per sq. yd.

(e) The amount of the loan required from the Government is still under correspondence with the Press Trust of India.

प्रमाण तथा प्रयोग केन्द्र, चान्दीपुर

2471. **श्री जेना :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जिला बालासोर में चान्दीपुर प्रमाण और प्रयोग केन्द्र का विस्तार और विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विकास के लिये क्या योजना है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) विकास की योजना है मुख्यतः, अपनी बढ़ी चढ़ी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए, सुविधाओं के प्रसार के निमित्त, दो प्रावस्थाओं में व्यवस्था करना। प्रथम प्रावस्था सम्पूर्ति की अन्तिम अवस्था में है। दूसरी प्रावस्था चल रही है। विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

चिलुका झील, उड़ीसा

2472. **श्री जेना :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिलुका झील पर एक नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न की पूर्णरूपेण जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा यह जांच की गई ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : एक नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के विचार से, नौसैनिक अधिकारियों द्वारा उड़ीसा की चिल्का झील के विकास पर विचार किया गया था। झील का विकास अभी तक उस अवस्था तक नहीं हो पाया, कि इसे किसी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए, उपयुक्त स्थान के लिए, उचित समझा जा सकता ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का मंत्री सम्मेलन

2473. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मुख्य रूप से राष्ट्रपति जानसन के एक खरब डालर की एक विकास परियोजना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के प्रस्तावित मंत्री सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया है ; और

(ख) कौन से अन्य देश सम्मेलन में भाग ले रहे है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने सम्मेलन के बारे में कुछ कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी है लेकिन उसके बारे में कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्मेलन में जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया के वे देश शामिल होंगे जो संगठित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता के अंतर्गत नहीं आते। बहरहाल, यह जाहिर होता है कि इस सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले देशों की सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Atomic Power Station in Madras

2474. Dr. Mahadeva Prasad : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has requested Canada for technical assistance for the Atomic Power Station which is to be set up near Madras ; and

(b) if so, the nature and the extent of that assistance ?

Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) & (b). No. The station will be set up by Indian engineers. Under the terms of the Technical Co-operation Agreement concluded by the Department of Atomic Energy with Atomic Energy of Canada Ltd. on December 16, 1963, detailed design data relating to heavy water moderated reactor systems will, however, be obtained from Canada and to a limited extent the services of Canadian Consultants may be obtained.

बर्मा से भारतीयों का वापस भेजा जाना

2475. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनकी रंगून यात्रा के बाद रंगून में भारतीय राजदूत से कहा गया है कि वह भारतीयों के बर्मा से भारत वापस लौटने के प्रश्न को हल करें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बर्मा में रह रहे ऐसे भारतीय परिवारों को जिनके कुछ सदस्य बर्मा के नागरिक हैं और कुछ भारत के, और कुछ दिन भारत में रहने के बाद बर्मा वापस जाना चाहते हैं सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय मूल के उन बर्मी नागरिकों को वीज़ा दिए जाते हैं जिनके पास भारत की यात्रा करने के लिए बर्मा के वैध पासपोर्ट होते हैं ।

उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा कार्यालय

2476. श्री जेना: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में किन किन स्थानों पर तथा कुल कितने रेलवे डाक सेवा कार्यालय हैं ;

(ख) इस राज्य में कितने नये रेलवे डाक सेवा कार्यालयों की मंजूरी दी गयी तथा किस तारीख को मंजूरी दी गई थी ; और

(ग) उनको खोलने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) :

(क)

डाक कार्यालय का नाम	स्थान
1. बरहामपुर (जी० एम०) रेल डाक-व्यवस्था घर	बरहामपुर (जी० एम०) रेलवे स्टेशन
2. खुर्दारोड रेल डाक-व्यवस्था घर	खुर्दारोड रेलवे स्टेशन
3. भुवनेश्वर रेल डाक-व्यवस्था घर	भुवनेश्वर टाउन
4. कटक रेल डाक-व्यवस्था घर	कटक रेलव स्टेशन
5. जाजपुर रोड रेल डाक-व्यवस्था घर	जाजपुर कियोन्झार रोड रेलवे स्टेशन

6. बालासोर रेल डाक-व्यवस्था घर .	बालासोर रेलवे स्टेशन
7. कोण्टाई रोड रेल डाक-व्यवस्था घर	कोण्टाई रोड रेलवे स्टेशन
8. टाटानगर रेल डाक-व्यवस्था घर	टाटानगर रेलवे स्टेशन
9. राऊरकेला रेल डाक-व्यवस्था घर .	राऊरकेला रेलवे स्टेशन
10. झारसुगुदा रेल डाक-व्यवस्था घर .	झारसुगुदा रेलवे स्टेशन
11. सम्बलपुर रेल डाक-व्यवस्था घर	सम्बलपुर टाउन
12. टीटिलागढ़ रेल डाक-व्यवस्था घर	टीटिलागढ़ रेलवे स्टेशन

(ख) खोलने के लिए मंजूर किये गए रेल डाक-व्यवस्था

घरों के नाम	मंजूरी की तारीख
(i) भद्रक रेल डाक-व्यवस्था घर .	7-2-1963
(ii) जेपोर (के) रेल डाक-व्यवस्था घर	7-1-1965

(ग) उपयुक्त स्थान का उपलब्ध न होना। इन स्थानों पर रेल डाक-व्यवस्था घरों की इमारतें बनाने की दिशा में रेल-विभाग से तेजी से बातचीत चल रही है।

टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय

2477. **श्री जेना :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों के टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय अपने राज्यों में नहीं हैं तथा वे किन राज्यों में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के टेलीफोन-ग्राहकों को अपने टेलीफोन के बिल प्रति मास नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनका लेखा कार्यालय उनके राज्य से बहुत दूर है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) पंजाब, उड़ीसा तथा आंशिक रूप से गुजरात। पंजाब तथा गुजरात के कुछ हिस्से से सम्बन्धित टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय दिल्ली से काम कर रहे हैं। उड़ीसा का टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय कलकत्ता से काम कर रहा है।

(ख) ट्रंक काल बिल जारी करने में कुछ देरी हो जाती है जिनमें, हालांकि, यह देरी लेखा कार्यालयों के राज्यों से दूर काम करने के कारण नहीं होती।

(ग) बकाया रक़म वसूल करने के कदम उठाये गए हैं। टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के काम को राज्यों के मंडलों में विकेन्द्रीकृत करने के प्रश्न पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का संशोधन

2478. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के शासपत्र (चार्टर) में हाल ही में संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23, 27 और 61 में 1 सितंबर, 1965 से संशोधन कर दिया गया है।

(ख) अनुच्छेद 23 और 61 में संशोधन करने का उद्देश्य यह है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी जाये और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या

18 से 27 ताकि उसमें भूगोल के आधार पर अधिक संतुलित और समुचित प्रतिनिधित्व हो सके और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना कार्य संपन्न करने में उन्हें अधिक प्रभावशाली अंग बनाया जा सके।

अनुच्छेद 27 के संशोधन में यह व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार हो जाने के बाद उसके फैसले, प्रक्रिया संबंधी मामलों में 9 सदस्यों (7 के मुकाबले में) की सकारात्मक वोट से किए जाएंगे जबकि अन्य मामलों पर, फैसले 9 सदस्यों (7 के मुकाबले में) की सकारात्मक वोट से किए जाएंगे, इसमें सभी पांच स्थायी सदस्यों की स्वीकारात्मक वोट भी शामिल होंगी।

काश्मीर संबंधी भारत-पाकिस्तान विवाद के बारे में उचित प्रचार

2479. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर संबंधी भारत-पाकिस्तान विवाद का उचित प्रचार करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जब से वर्तमान लड़ाई शुरू हुई है, तब से जनसम्पर्क के सभी माध्यमों द्वारा पूरी तेजी से प्रचार किया जा रहा है। जनसम्पर्क के सभी माध्यम, आकाशवाणी, अखबार, मुद्रित साहित्य, फ़ोटो, फ़िल्म, प्रदर्शनी, क्षेत्रीय प्रचार आदि जोरों से काम कर रहे हैं। आकाशवाणी के अधिकांश केन्द्रों में प्रतिदिन अधिक समय तक प्रसारण शुरू कर दिया है और देश रक्षा को अपने कार्यक्रमों का लक्ष्य बनाया है। समाचार बुलेटिन, समाचार समीक्षा और विशेष वार्ताओं की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। फ़ौजियों के कार्यक्रम का समय भी बढ़ा दिया गया है। देशभक्ति पूर्ण गीतों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीमांत क्षेत्रों के आकाशवाणी केन्द्र पाकिस्तानी प्रचार का जवाब देने और जनता का हौसला ऊंचा बनाए रखने की ओर विशेष ध्यान देते हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों का पर्दाफ़ाश करने और भारत के पक्ष का ऐतिहासिक और आज़ के तथ्यों से समर्थन करने तथा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दूसरे आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को प्रकट करने के लिए, अखिल भारतीय और प्रादेशिक तथा विदेशों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को नया रूप दिया गया है। पत्र-प्रतिनिधियों (भारतीय तथा विदेशी) को नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। विशेष लेख, समाचार, फ़ोटो फ़ीचर, आदि बड़ी संख्या में पत्रों को भेजे जाते हैं। इस लड़ाई के समाचार नियमित सिनेमा न्यूजरील में भी दिए गए हैं और कश्मीर पर नई फ़िल्में भी बनाई जा रही हैं। पैम्फ़लेट, पुस्तिकाएं, पोस्टर, आदि भी छापे गये हैं और भारत तथा विदेशों में बड़े पैमाने पर बांटे गये हैं। देश के सभी भागों में 'राष्ट्र की तैयारी' नामक प्रदर्शनी लगाई गयी है। सीमांत क्षेत्रों में और जोरों से प्रचार का काम करने के लिये नई क्षेत्रीय प्रचार टुकड़ियां स्थापित की गई हैं।

(ख) इस प्रचार का क्या प्रभाव हो रहा है, इसका वैज्ञानिक ढंग से कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। परन्तु हमें जनता के ऐसे काफ़ी पत्र मिले हैं, जिनमें इसकी सराहना की गई है। विदेशों के बहुत से अखबारों ने भी भारत के दृष्टिकोण को समझा है। इस प्रचार ने जनता का हौसला ऊंचा रखने में सहायता की है और इस स्थिति का साहस, और आत्म विश्वास के साथ एक होकर मुकाबला करने के इनके पक्के इरादे को और भी दृढ़ किया है।

तिरुचिरापल्लि में छोटे हथियारों का कारखाना

2480. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूचिरापल्लि में छोटे हथियारों का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सिविल निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखाने में पूरी तरह निर्धारित क्षमता से काम होने पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) फैक्टरी के असैनिक कार्यों का निर्माण, उत्पादन के उस आरम्भ के अनुरूप प्रगतिशीलता से हो रहा है जो मध्य 1966 के लिए अनुसूचित किया गया है ।

(ख) अपनी सम्पूर्ण क्षमता से उत्पादन की अवधि में, फैक्टरी द्वारा सभी वर्गों के 4500 व्यक्तियों के काम पर लगाए जाने की आशा है ।

पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति

2481. **श्रीमती मैमूना सुल्तान**] : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कितने स्नातकोत्तरों ने नौकरी के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों में आवेदन-पत्र भेजे थे ;

(ख) 1964-65 के आरम्भ में काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने स्नातकोत्तरों के नाम दर्ज थे ; और

(ग) उस वर्ष में कितने स्नातकोत्तरों को उपयुक्त नौकरी दी गई ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) से (ग) : जुलाई 1964 से रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने वाले स्नातकोत्तर उम्मीदवारों से सम्बन्धित आंकड़ों को हर छःमाही बाद इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जून-दिसम्बर की शेष छःमाही के आंकड़ों से इसकी तुलना की जा सके। जुलाई 1964 से जून, 1965 के कार्यकाल से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है :—

रोजगार कार्यालयों में दर्ज नाम	16,221
नियुक्ति सहायता पाने वाले	2,524
स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जिनके नाम 31-12-1964 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज थे ।	8,574

कोलार स्वर्ण खानें

2482. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण खानों के मजदूरों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी ;

(ग) क्या मजदूरों ने सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की प्रार्थना की थी ; और

(घ) विवाद किस प्रकार निबटाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) (1) महंगाई भत्ते में वृद्धि ; और
(2) वेतन-मानों में संशोधन ।

(ग) जी हां ।

(घ) वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री के हस्तक्षेप पर मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी । मजदूरों की मांगें सरकार के विचाराधीन हैं ।

डाक की चोरी

2483. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में लन्दन से बम्बई पहुंचने वाले हवाई डाक के थैले में से 88,368 रुपये के मूल्य का हीरा गुम पाया गया ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करवाई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) 1965 में अब तक हवाई डाक की चोरी होने के कितने मामलों का पता चला है ; और

(घ) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये क्या कारगर कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। एक बीमा पार्सल, जिसमें 88,000 रुपये के मूल्य के अनगढ़ पन्ने रखे हुए थे, गायब पाया गया।

(ख) जी हां, जांच अभी चल रही है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है।

(ग) विदेश हवाई डाक में 29 मामले।

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी व परीक्षण के तौर पर जांच-पड़ताल करना जैसे कारगर कदम उठाये गए हैं।

Accident in Dhori Colliery

2484. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the enquiry into the accident which occurred in the Dhori Colliery on the 28th May, 1965 has been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) Not yet.

(b) Does not arise.

Broadcasts about Demonstrations

2485. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no mention was made of the demonstration that was to be staged in Delhi on the 16th August, 1965 in the news bulletins of A.I.R. on that day;

(b) whether it is also a fact that the news regarding all other demonstrations that were staged in the capital had always been broadcast from the A.I.R. ; and

(c) if so, the reasons for not broadcasting the said news on that day ?

The Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No, Sir. News of the demonstration was given on the same day.

(b) News regarding demonstrations staged in the capital is covered in All India Radio's news bulletins, depending upon its news value.

(c) Does not arise.

Exhibition on the late Shri Jawaharlal Nehru's Life

2486. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of photographic exhibitions pertaining to the late Shri Jawaharlal Nehru's life held in the country so far ; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) Twentyone.

(b) The accounts of some exhibitions are awaited. The total expenditure will be approximately Rs. 2,30,000.

Exhibitions on the Late Shri Jawaharlal Nehru's Life

2487. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of exhibitions pertaining to the late Shri Jawaharlal Nehru's life held so far in foreign countries ; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Three—New York, Moscow and London.

(b) Rs. 14,77,581.

वे क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान का अवैध अधिकार है

2488. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर के 32,500 वर्ग मील क्षेत्र में, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, बाल्टिस्तान, नगर, हुंजा, चित्राल, गिलगिट तथा पुनयाल के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ; और

(ख) (1) बाल्टिस्तान, (2) नगर (3) हुंजा, (4) चित्राल (5) गिलगिट तथा (6) पुनयाल का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग मील है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। लेकिन चित्राल को छोड़कर।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

श्री० फिजो की नागालैंड यात्रा

2489. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधान मन्त्री से श्री ए० जेड० फिजो को नागालैण्ड आने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो किस कार्य के लिये; और

(ग) ऐसी प्रार्थना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अफगानिस्तान में बच्चों का अस्पताल

2490. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अफगानिस्तान में बच्चों का अस्पताल बनाने तथा उसके लिये उपकरण देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या अफगानिस्तान सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो कब; और

(ग) इसे कार्य रूप देने में कितनी प्रगति की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : फ़रवरी 1965 में अफ़ग़ानिस्तान के प्रधान मंत्री जब भारत आए थे उस समय 100 पलंग वाला बच्चों का एक अस्पताल बनाने पर सहमति हो गई थी।

(ग) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पासपोर्ट देने के बारे में बम्बई उच्च न्यायालय का फैसला

2491. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण, जिसका संबंध पासपोर्ट देने से है, एक विरोधी स्थिति उत्पन्न हो गयी है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के भारतीय नागरिक को जो पासपोर्ट चाहता है, पासपोर्ट देना होगा जब कि अन्य क्षेत्र के मांगने वाले अन्य व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में हुआ है ; और

(ग) कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। यह फ़ैसला बंबई हाईकोर्ट के सिर्फ़ एक जज का है और भारत सरकार ने इसके खिलाफ़ बंबई हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच के सम्मुख अपील की है जिसपर अभी विचार हो रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

डाक तथा तार औषधालय, नागपुर

2492. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर में डाक तथा तार औषधालय में घटिया दवाईयों और इलाज के बारे में अनेक शिकायतें मिल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2493. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर में रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग) : क्वार्टर विभाग की सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें से रेल डाक-व्यवस्था के कर्मचारियों को उनका उचित हिस्सा दिया जाता है। नागपुर में 103 कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं। 14 क्वार्टर बनाने की मंजूरी दे दी गई है जिनमें से चार का निर्माण हो रहा है और शेष को बनाने का काम शीघ्र ही शुरू कर दिये जाने की संभावना है। नागपुर के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनाने को जमीन देने के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है।

डाक तथा तार विभाग के तकनीकी और विकास सर्कल के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के कार्यालय का जबलपुर से नागपुर स्थानान्तरण

2494. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि पोस्ट मास्टर जनरल, सेन्ट्रल सर्कल के कार्यालय के भोपाल स्थानान्तरित हो जाने पर अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, तकनीकी तथा विकास सर्कल, जबलपुर के कार्यालय को नागपुर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को नागपुर स्थानान्तरित करने के लिये क्या समय निश्चित किया गया है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। इस सम्बन्ध में एक सुझाव पर अवश्य विचार किया गया था किन्तु प्रशासनिक कारणों से उसे छोड़ देना पड़ा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार विभाग के लिये प्रशिक्षण संस्था, नागपुर

2495. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नागपुर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि नागपुर से पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय (केन्द्रीय सर्किल) के भोपाल ले जाये जाने के बाद नागपुर में डाक और तार विभाग के लिये अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्था स्थापित कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया जा सकेगा ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : नागपुर के लोगों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। फिर भी डाक-तार महाध्यक्ष के कार्यालय को भोपाल ले जाने के फलस्वरूप खाली हुए स्थान में इंजीनियरी पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(ग) इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थी देशभर की विभिन्न डाक-तार यूनिटों से भेजे जाएंगे। प्रशिक्षण देने वाला अधिकांश स्टाफ तकनीकी होगा, हालांकि क्लर्क, दफ्तरी, चपरासी आदि जैसे ग़ैर-तकनीकी पद भी होंगे।

रेलवे डाक सेवा भवन, नागपुर

2496. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर में रेलवे डाक सेवा के कार्यालयों के लिये एक इमारत बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत क्या होगी; और

(ग) प्रस्तावित निर्माण को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग) : कुछ रेलवे मेल सर्विस कार्यालयों के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इमारत बनाने के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्तावित इमारत के नक्शे, अनुमानित लागत तथा संभावित किराये से सम्बन्धित सूचना की प्रतीक्षा है। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं कि प्रस्तावित निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा।

Number of Employees in various Industries

2497. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Alvares :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the total number of employees employed in manufacturing industry, mines and transport undertaking including road transport and railways, both in the public and private sectors;

(b) how many of them are paid dearness allowance linked with the cost of living index and how many received *ad hoc* dearness allowance or no dearness allowance at all ; and

(c) how many receive dearness allowance linked with cost of index which guarantees them 80 per cent or more neutralisation of the rise in the cost of living that has taken place after September, 1939 and 15th August, 1947 separately ?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) : A statement giving available information in respect of factories and mines is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-4903/65].** This statement is based on the Occupational Wage Survey, General Report (1958-59) published by the Labour Bureau. Information in respect of workers in railways is being collected and will be laid on the Table of the House in due course. Information is not available in respect of road transport workers.

(c) No precise information is available in this regard as the extent of neutralisation differs from industry to industry and also between different units in the same industry. According to the first Occupational Wage Survey, conducted by the Labour Bureau in 1958-59, the rate of D.A. was generally fixed at a level which would neutralise the rise in the cost of living to a given extent ranging from 60 per cent to 100 per cent in most of the centres.

Contribution to the Jawaharlal Nehru Fund

2498. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Alvares :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of industrial centres and factories in which the workers went to work even on the 15th August 1965 for contributing that days's wages towards Nehru Fund and the percentage of workers who went to work on that day;

(b) the total amount of wages for the day which was collected as contribution to the Jawahar Lal Nehru Fund;

(c) whether the industrialists have also agreed to contribute the entire profits earned on that day to the said fund; and

(d) if so, the total amount of profit for that day?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) to (d). The information is not readily available. The time and labour involved in collecting the information will in the opinion of Government not be commensurate with the object to be achieved.

सेना अधिकारियों को भूमि का दिया जाना

2499. **श्री बूटा सिंह :**
श्री राम सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व लगभग 30 सेना अधिकारियों और उनके परिवारों तथा अन्य सेना कर्मचारियों को सित्तारगंज क्षेत्र, जिला नैनीताल-1 (उत्तर प्रदेश) में भूमि दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1960 में उनसे उनकी भूमि छीन ली गई थी और उसके बदले में आज तक उनको कोई भूमि नहीं दी गई है ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन

2500. **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बैलग्रेड में हुए द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने किस रूप में भाग लिया ;

(ख) किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उसके क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग) : 30 अगस्त से 10 सितम्बर तक बेलग्रेड में हुआ दूसरा विश्व जनसंख्या सम्मेलन जनसंख्या और सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों का एक अन्तर अनुशासनीय तथा वैज्ञानिक अधिवेशन था। इस में भाग लेने वालों में जिस में भारत के विशेषज्ञों भी शामिल थे सम्बन्धित क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत रुप में हिस्सा लिया था न कि नामनिर्देशन करने वाली सरकारों संगठनों के प्रतिनिधियों के रुप में पता लगा है कि भारत से लगभग 40 विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इन में से केवल चार को सरकारी खर्च पर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिये नियुक्त किया गया था और अन्त में इन चारों के कुल व्यय के कुछ भाग को ही सरकार को उठाना पड़ा था।

कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन को सम्मेलन में चर्चा के लिये कार्यावलि में शामिल किया गया था नीचे दिये गये हैं :

(1) उर्वरता, मृत्युसंख्या, अस्वस्थ दशा, मृत्यु के कारण, प्रव्रजन, जनसंख्या का बर्हिवेशन आदि

(2) भविष्य में जनसंख्या की प्रवृतियां और उन की प्रत्याशंता। ग्रामिण और शहरी जनसंख्या का तथा आर्थिक तौर पर सक्रिय जनसंख्या का बर्हिवेशन।

(3) उर्वरता की प्रवृतियां और स्तर और उर्वरता पर प्रभाव डालने के लिये नीति के उपायों का असरदार होना।

(4) जन्म और मरण से सम्बन्धित आंकड़ों के पहलू :–

(क) श्रम सप्लाई और रोजगार;

(ख) शिक्षा का विकास

(ग) कृषि विकास और अन्न सप्लाई

(घ) नगर विकास और आवास

(ङ) बचत, विनिधान, औद्योगिकीय विकास और उद्योगीकरण, और आर्थिक विकास।

(5) विकास कर रहे देशों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का आर्थिक और जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन की समस्याओं को हल करने के लिये सहायता के तौर पर साधन होना।

(6) विकास कर रहे देशों में जन संख्या के अध्ययन की अनुसंधान में और प्रशीक्षण में उन्नति की समस्याओं।

(7) जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन।

(8) आर्थिक तौर पर सक्रिय जनसंख्या में रोज़गार, बेरोज़गारी और की परिभाषा और मापन।

(9) जनसंख्या और उस का आरम्भ। सम्मेलन में वास्तव में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निष्कर्ष निकले इन की जानकारी सम्मेलन की कार्यावाहियां प्राप्त होने पर मालूम होगी।

मोर्स-कास्ट प्रणाली का उपयोग

2501. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों और उच्च आयोगों को ये अनुदेश दिये गये हैं कि वे समाचार और संदेश भेजने के लिये मोर्स-कास्ट प्रणाली का प्रयोग बन्द कर दें ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों में हमारी सूचना सेवाओं की कार्य कुशलता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अधिक क्षमता, गति और किफायत के कारण टेलिप्रिंटर पद्धति को शुरू किया गया है।

(ग) जी नहीं। चूंकि विदेश-स्थित हमारे मिशन प्रसारणों (ट्रांसमिशन्स) को पहले से ज्यादा जल्दी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उनकी क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को चीन का समर्थन

2502. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण में पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन किया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में चीन और पाकिस्तान के मिशन बन्द करने का है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदशिक कार्य-मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत में चीनी राजदूतावास---जी नहीं।

भारत में पाकिस्तानी मिशन---

भारत यह नहीं समझता कि उसकी पाकिस्तान राज्य या वहां की जनता के साथ युद्ध की स्थिति है। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एलान किया है कि उनका देश युद्ध की स्थिति में है, तो भी पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की पहल अभी तक नहीं की है। स्थिति डावांडोल है और पाकिस्तान के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के सवाल पर घटनाओं को देखते हुए निगाह रखी जायगी।

उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन का गृहकार्य मंत्रालय को सौंपा जाना

2502-क. **श्री हेमराज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन किन कारणों से वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है ;

(ख) क्या यह निर्णय करने से पहले इस विषय में उन क्षेत्रों की जनता की इच्छा मालूम कर ली गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) प्रशासनिक सुविधा के लिये उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रशासन गृहकार्य मंत्रालय को पहली अगस्त, 1965 से सौंपा गया था।

(ख) इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में भर्ती अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार

2502-ख. **श्री म० वें० स्वामी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर में एक सहायक भर्ती अधिकारी तथा उसके सहायक को हाल में विशेष पुलिस संस्थान ने भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : हाल ही में सूचना मिली थी, कि गुंटूर के सहायक भर्ती अफसर, और उसके सहायक ने, एक उम्मीदवार से घूस मांगी थी, जो सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये प्रस्तुत हुआ था। मामला रजिस्टर कर लिया गया है, और विशिष्ट पोलीस सिब्बन्दी द्वारा जांचाधीन है।

किसानों के लिए हथियार शस्त्र आदि

2502-ग. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में लाइसेंसधारियों को शस्त्र कारतूस आदि (अमूनिशन) नहीं दिये जा रहे और इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी फसलों की रक्षा के लिये शस्त्र कारतूस आदि (अमूनिशन) नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) : आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् से असैनिक प्रयोग के लिए, गोलिबारूद के उत्पादन में कमी करना पड़ गई थी। परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारियों के लिये, गोलिबारूद की पूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर पाना संभव नहीं हो पाया।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT OF PRIME MINISTER

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री नवीनतम स्थिति के बारे में लगभग $3\frac{1}{2}$ बजे एक वक्तव्य देंगे।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTION OF PRIVILEGE (Query)

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : वित्त मंत्री तथा विधि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों के सम्बन्ध में मैं ने नियम 223 के अन्तर्गत एक विशेष विशेषाधिकार का प्रस्ताव तथा नियम 193 के अंतर्गत $2\frac{1}{2}$ घंटे की चर्चा के लिये एक अन्य प्रस्ताव दिया था। मैं उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप से एक अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त मैं $2\frac{1}{2}$ घंटे की चर्चा सम्बन्धी मामले को नहीं ले सकता। मुझे उसी विषय पर ऐसे ही अन्य विशेषाधिकार प्रस्ताव मिले हैं, मैंने किसी भी प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं दी है। यदि कोई गलत वक्तव्य दिया गया हो तो उसे एक ऐसे विवरण को जिसे सदस्य सही समझें, रखकर रद्द किया जा सकता है। यह कुछ इससे सम्बद्ध मामले के सम्बन्ध में था, इसलिए मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी। यदि महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में सरकार की ऐसी नीति होती तो मैं इसकी अनुमति दे देता। अतः मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। किन्तु आपके द्वारा भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि कागजात विधि मंत्री के पास भेज दिये गये हैं, जिन्होंने वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में छानबीन कर रहा हूं और मैं इस बारे में सभा को सूचित करूंगा।

सभा पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटलपर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4890/65 ।]**

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि लोक-सभा द्वारा 6 सितम्बर, 1965 को पारित किये गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 16 सितम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।"

सदस्य की पैरोलपर रिहाई
(म० ना० स्वामी)
RELEASE OF MEMBER ON PAROLE
(Shri M. Narayana Swamy)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे सेन्ट्रल जेल, हैदराबाद, के अधीक्षक का दिनांक 17 सितम्बर, 1965 का एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गई है कि लोक-सभा के सदस्य श्री माडला नारायण स्वामी को, जिन्हें भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था, दो मास के लिये पैरोलपर 17 सितम्बर, 1965 को रिहा कर दिया गया है ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
तिसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक--जारी
SEAMEN'S PROVIDENT FUND BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री राज बहादुर द्वारा 17 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि नाविकों के लिये भविष्य निधि संस्थित किये जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : परिवहन मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका अत्यधिक स्वागत है । प्रस्तुत विधेयक से 60,000 से भी अधिक व्यक्ति सीधे तौर पर सम्बन्धित है, जहां तक समाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का सम्बन्ध है, अब तक उन्हें सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया है । किन्तु अंशदान दर के सम्बन्ध में मुझे यह सुझाव देना है कि नाविकों को खतरनाक काम करना पड़ता है, अतः उक्त दर 6 प्रतिशत के बजाय $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत निर्धारित की जानी चाहिये जैसा कि अन्य उद्योगों के मामले

में है। उन्हें कई कठिनाइयों तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा यह सुझाव है कि आरम्भिक चरण में अंशदान की दर 8⅓ प्रतिशत होनी चाहिये और तत्पश्चात् धीरे-धीरे इस दर को बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक ग्रेच्युटी (उपदान) तथा भविष्य निधि का सम्बन्ध है, मैं एक सुझाव यह दूंगा कि इस सम्बन्ध में एक समेकित योजना होनी चाहिये जिसमें ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि को एक साथ वसूल करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि नाविकों के लिये यह सूत्र और अधिक स्पष्ट एवं सुनिश्चित हो सके।

जहां तक कुर्की अथवा जब्ती से बचाव तथा लेखा सम्बन्धी हस्तान्तरण के विशेषाधिकार का सम्बन्ध है, प्रस्तुत विधेयक में इस सम्बन्ध में काफी अच्छे खण्डों की व्यवस्था की गई है।

किन्तु 'नाविक' (Seamen) शब्द की परिभाषा में बहुत से लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस परिभाषा में मास्टर अथवा इंजिनियर अफसर, रेडिओ अफसर, कल्याण अफसर, चिकित्सा अधिकारी, पर्सर इलेक्ट्रिशियन, नर्स, संगीतज्ञ, चालक (पाइलट) आदि शामिल नहीं किये गये हैं। इन लोगों को भी नाविकों की भांति उसी तरह मुसीबतें तथा कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उक्त व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाकर उन्हें भी इस योजना से पहुंचने वाले लाभ का अधिकारी बना दिया जाए।

'मजूरी' शब्द की परिभाषा में समयोपरि भत्ता शामिल नहीं किया गया है। नाविकों को रात दिन एक भिन्न वातावरण में काम करना पड़ता है। इन लोगों के पास अपने गावों में निर्वाह करने के लिये कुछ नहीं होता है। इन लोगों के कार्य के स्वरूप को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें जीवन की और सुखसुविधायें देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आज पूर्वी क्षेत्र में जहाजों में नियुक्त नाविक अधिकतर पाकिस्तानी हैं, इनकी संख्या हजारों में है, इन सभी पाकिस्तानी नाविकों की सेवाओं को समाप्त करना आवश्यक है। जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तानी वहां पर काम करे।

प्रस्तुत विधेयक में हमारे नाविकों के लिए की गई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिये मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु मैं समझता हूं कि राष्ट्र के जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण भाग लेने वाले इन नाविकों को और अधिक सामाजिक तथा अन्य सुख सुविधायें प्रदान करने के लिये अन्ततोगत्वा इसे एक समेकित योजना का रूप दिया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : प्रस्तुत विधेयक मंत्रालय तथा नियोजकों के बीच हुए एक समझौते का परिणाम है। दुर्भाग्यवश यह समझौता केवल नियोजकों के हित में हो गया है। किन्तु इस उद्योग में काम करने वाले 50,000 अथवा उससे अधिक नाविकों के लिये जो दर निर्धारित की गई है, वह प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी है। अधिकांश उद्योगों में इस दर को बढ़ाकर 8⅓ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि समाज के समाजवादी ढांचे की आवश्यकताओं के अनुरूप इस दर में वृद्धि कर के अन्य उद्योगों में दी जा रही दर के बराबर कर दिया जाना चाहिये।

देश में व्यापारी बेड़े ने हमारी वायु सेना, स्थल सेना, अन्य उद्योग, बांध, सिंचाई परियोजनाओं आदि की तुलना में गत 18 वर्षों में बहुत कम प्रगति की है। हमें अपने व्यापारी बेड़े के सम्बन्ध में काफी प्रगतिशील नीति अपनाने की आवश्यकता है।

[श्री द० चं० शर्मा]

जहां तक तटीय व्यापार का सम्बन्ध है, जहाज रानी उद्योग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस ओर ध्यान न दिये जाने का कारण यह है कि हमें भारतीय अथवा विदेशी गैर-सरकारी क्षेत्र का भय है। गैर-सरकारी क्षेत्र कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो हमारे देश के राजनैतिक, नैतिक तथा आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। अतः यह समझौता श्रमिकों के हित में कल्याणकारी नहीं है।

हमारे जहाजों अथवा गोदियों में ही नहीं अपितु कलकत्ता के कई होटलों में भी पाकिस्तानी लोग काम करते हैं। साधारण परिस्थितियों में उनका काम करना अधिक खतरनाक नहीं है। किन्तु पाकिस्तान तथा वहां मुसलमानों के रूख को देखते हुए पाकिस्तानीयों को अपने गोदियों तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त करना वांछनीय नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना आवश्यक है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

'नियोजक' शब्द की परीभाषा व्यापक रूप से नहीं की गई है। कोयला खान भविष्य निधि विधेयक जो हाल ही में इस सभा द्वारा पारित किया गया है, उसमें कोयला खान में रूचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने की व्यवस्था की गई है, किन्तु प्रस्तुत विधेयक में व्यापारी बेड़े में रुचि रखने वाले व्यक्तियो को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि व्यापारी जहाजों को किसी भी रुप में चलाने वाले सभी लोगों को इससे कुछ लाभ पहुंचे।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम के अन्तर्गत 'नाविक' शब्द के अर्थ में कई अन्य वर्ग भी शामिल हैं, तथापि प्रस्तुत विधेयक में 'नाविक' शब्द की परिभाषा से 'नेवीगेटिंग सेरांग्स', मास्टर्स, इंजिन कक्ष चालक, नेवीगेटिंग इंजिनियरों, कल्याण पदाधिकारियों, पाइलटों, वायरलेस आपरेटरों, तथा अन्य कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। शेष कर्मचारी जिन पर नाविक भविष्य निधि लागू होगी, बहुत कम वेतन पाने वाले लोग हैं।

भारत सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को 300 मील लम्बी एक नहर द्वारा गंगा से जोड़ दिया जाये ताकि आसाम से शेष भारत के लिये यातायात भारतीय राज्यक्षेत्र से गुजर कर ही हो सके। समझ में नहीं आता कि इस में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। इस कार्य के हो जाने पर अन्य कर्मचारियों को ये सुविधायें देने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी।

यह एक तय हो गया तथ्य है कि कर्मचारी के वेतन से $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत कटौती की जानी चाहिये और नियोजक बराबर धनराशि देता है। अतः प्रस्तुत विधेयक में भी यही प्रतिशत दर की व्यवस्था की जानी चाहिये और कम्पनियों को भी वही धनराशि भुगतान करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। मजूरी शब्द के अर्थ में समयोपरि भत्ता तथा अन्य उपलब्धियां शामिल कर दी जानी चाहिये।

विधेयक में भविष्य निधि के अंशदान करने तथा बोनस के भुगतान दोनों के लिये अर्हता-अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। इसके पश्चात् यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए इस पर दिया जाने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा अथवा सरल ब्याज। सभी संस्थानों में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। इस तथ्य का विधेयक में विशिष्ट रुप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

जब भविष्य निधि की व्यवस्था होती है तो ग्रेचुइटी भी आवश्य दी जाती है। इसकी गणना की गई सेवा की कुल अवधि (वर्षों) के आधार पर की जाती है। इसके लिए सेवा की एक अर्हता अवधि निर्धारित की जानी चाहिये। किसी कर्मचारी के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को किस प्रकार भविष्य निधि का भुगतान किया जायेगा, इस सम्बन्ध में भी विधेयक में नियम, विनियमन अथवा खण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अन्तर्देशीय रिवरीन परिवहन सेवाओं तथा रेलवे फेरी क्रासिंग सेवाओं में कई पाकिस्तानी 'नेवीगेटिंग सेरांग्स्' आदि के रूप में काम कर रहे हैं जो स्थायी रूप से पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं किन्तु उन्हें सेवा मुक्त नहीं किया जा रहा है अथवा उन्हें 'वीज़ा,' देने में विलम्ब किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह उनके स्थायी रूप से पाकिस्तान वापस जाने की व्यवस्था कर दे अथवा यदि उनके स्थान पर प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकते तो उस स्थिति में उन्हें अविलम्ब 'वीज़ा,' दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि वे व्यर्थ में परेशान न हों।

भारतीय नागरिकों को पोतचालन (नेवीगेशन) तथा पत्तन सम्बन्धी अन्य काम के प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में सरकार की पहल सराहनीय है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह नाविकों की कठिनाइयों एवं मुसीबतों और उनके नीरस जीवन को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्ग के कर्मचारियों को इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रख देना चाहिये तथा सेवा उपदान (ग्रेच्युटी) योजना लागू कर दी जानी चाहिये।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Sir, I rise to support the Bill. It should have been brought long before keeping in view the seamens hazardous nature of work. While serving in Navy, a seaman has to support his family also and the meagre pay that he gets is not sufficient to maintain the same. It was, therefore, very necessary to introduce such a measure in the interest of the workers.

Now I would like to make some suggestions. The Bill has been brought forward with a view to improving the lot of the workers. The Board will comprise ten members and out of them three members appointed by the Government would be from amongst its officials. I would request the Government to appoint such Government officials as have a soft corner for the workers. I would also suggest that the number of persons representing the seamen should be increased so that they might command a majority in the Board and thus the purpose of the Bill will be served.

The Bill provides that 6 to 8 per cent of the pay will be deducted from the seamen's pay as provident fund and an equal amount contributed by the employer. But on the basis of my personal experience I can say that some employers deliberately shirk their responsibility and misuse the fund and invest it in their own interest and Government do not take any action against such defaulting employers. Something should be provided in the form of rules or clauses in the Bill itself to ensure the implementation of the Bill. Revenue officers should be appointed to collect funds both from the workers and the employers so that the money thus realised may immediately be deposited in the Treasury. Arrangements should also be made for the immediate payment of the provident fund to the worker immediately after his retirement or in the case of closure of an industry. Complaints are often received that cases are kept pending and payment delayed for years.

[Shri Tulsidas Jadhav]

Provision has also been made in clauses 16 & 17 for penalty and fine for the violation of the rules. But it is observed that employers are never sent to jails even when they commit serious offences and when fined, they are imposed a token fine only. Government should be very strict on the score of implementation of Rules & Regulations so that the employers might not misuse the funds for their own benefit.

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : इस विधेयक पर हुई चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कई मित्रों ने यह बात कहीं है कि इस विधेयक को सामाजिक सुरक्षा मंत्री क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे है? परिवहन मंत्री ही क्यों कर रहे हैं। जिस समिति ने यह सामाजिक सुरक्षा योजना का निर्माण किया है उसे राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। इस दृष्टि से यह सब के सम्मिलित प्रयासों का ही परिणाम है। काफी वर्षों तक इस दिशा में प्रयास किया गया है। यह शिकायत ठीक है कि विधेयक देरी से आया है, परन्तु आ गया है अतः हमें इस पर गर्व ही करना चाहिये।

इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि विश्व भर में इस तरह का विधान हमारे यहां ही आ रहा है जिससे कि नाविकों को भविष्य निधि तथा उपदान को सुविधा दी जा रही है। इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जहां कि नाविकों को निवृत्ति वेतन के अधिकार प्राप्त है। और किसी देश में भी ऐसा नहीं है। यह कहा गया है कि ब्रिटिश तथा अन्य नाविकों की तुलना में हमारे नाविकों को बहुत कम मजूरी मिल रही है। परन्तु हमारे नाविकों की मजूरी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसदर संख्या 109 में निर्धारित किये गये कर्मी तालिका के अनुसार है। इसके अनुसार ही नियोजित अतिरिक्त सदस्यों तथा ऐसे योग्यता क्रम निर्धारण पर सेवा नियोजन के फलस्वरूप वार्सिक टोली के खर्च में पड़े अन्तर जैसी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह जरूरी हो जाता है कि उनमें से अधिक से अधिक को रोजगार मिल जाये। इससे अतिरिक्त अन्य बात यह है कि जहां तक मजूरी का सम्बन्ध है यह एक द्विपक्षीय मामला है। उनके द्विपक्षीय निकार है। नाविको तथा जहाज मालिकों के प्रतिनिधि मिल कर मजूरी के बारे में निर्णय करते हैं।

अधिक समय के भत्ते के प्रश्न को नियमित मजूरी के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसे किसी भी भविष्य निधि के लिये हिसाब में नहीं लिया जाता है। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि योजना में भी अतिरिक्त समय भत्ते की मजूरी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता। जहां तक बोनस का प्रश्न है यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है कि नाविकों को संसार में कहीं भी बोनस नहीं मिलता है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार, वे लोग यथार्थ रूप में "औद्योगिक सेवा नियोजन" मंजूर नहीं है। बात यह है कि नाविक शद्व की परिभाषा से कुछ श्रेणिओं को बाहर रखने का कारण यह है कि वे पदाधिकारी जिनमें पैरवी करने वाले तथा इलेक्ट्रीशियन भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय समुद्रीय नौवहन बोर्ड के द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आते हैं तथा उनको पहले ही भविष्य निधि का लाभ प्राप्त है। गोदी के नाई को आप स्पष्ट शद्वों में नाविक नहीं कह सकते क्योंकि उसे नियमित रूप से मजूरी नहीं मिलती है।

इस दिशा में सब से पहले 6 प्रतिशत के दर से लागू करने का निर्णय परस्पर सहमति से हुआ था। यह अप्रैल 1964 से लागू है। हमें स्मरण होना चाहिये कि पोत मालिकों पर हमारे कानून लागू नहीं होते। उनके लिये यह अनिवार्य नहीं

है। उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे हमारे नाविकों को ही नियुक्त करें। इसमें मुकाबले की भावना से आने वाले बहुत देश है, जो अपनी नौवहन परम्पराओं के आधार पर इस बात के लिये समान रूप से उत्सुक रहते हैं कि उनके अपने व्यक्ति विदेशी पोतों पर तैनात किये जाये। इस स्थिति का ध्यान रखते हुए हमें अपने भीतर उनका मुकाबला करने की पूरी क्षमता का निर्माण करना है। इसके लिए हमें अपने नाविकों को उस स्तर के योग्य बनाना है। इसके दो लाभ होंगे। एक यह कि श्रम उत्पादन में कार्य-कुशलता बढ़ेगी और दूसरा सम्पूर्ण रोजगार सम्बन्धी योजना में अर्थशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके बिना पोत मालिक इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं देंगे। अतः एक समझौते की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक श्रमिकों के केवल 24 वर्गों के सम्बन्ध में ही 8 प्रतिशत दर दी जाती है। शेष वर्गों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार उपदान योजना है। इसे 1-6-1964 से लागू कर दिया गया है। इसके लिये किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच किये गये एक करार पर निर्भर है। इस बारे में कोई विस्तार से लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। और इसका कारण यह है कि ये अंशदान एक पक्षीय हैं तथा पोत मालिकों ने अंशदान की धनराशि लगभग 28 लाख रुपये प्रति-वर्ष होगी। इन शब्दों से मैं पुनः माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि नाविकों के लिये भविष्य निधि संस्थित किये जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है। मैं सभी खंडों को एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 से 24, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

खंड 1 से 24, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/ *Clauses 1 to 24, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री राज बहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

———

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES PROVIDENT FUND (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

बड़ा सरल और विवादहीन विधेयक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, के अन्तर्गत कारखानों तथा संस्थानों में अनिवार्य भविष्य निधि की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 101 उद्योग तथा संस्थान आते हैं। परन्तु इस प्रकार के संस्थानों को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट दी जा सकती है जिनमें पहले से दिये जा रहे लाभ इस लाभ की अपेक्षा कम नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की छूट केन्द्रीय सरकार द्वारा उन संस्थाओं के मामले में दी गयी है जो केन्द्रीय सरकार की है अथवा उसके नियन्त्रण में है अथवा रेलवे, बड़े पत्तन, खान, तेल क्षेत्र अथवा नियन्त्रित उद्योग से सम्बन्धित है। राज्य सरकार द्वारा भी जब कि वह अन्य मामलों में सम्बन्धित सरकार रही है। ऐसा विचार किया गया था कि ऐसे किसी संस्थान के सम्बन्ध में जिसके कई विभाग हैं अथवा जिनकी कई शाखायें विभिन्न राज्यों में विद्यमान हो। वंचन करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार के पास ही होगी। न कि अलग रूप से सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास। यह इसलिये आवश्यक है ताकि सभी वर्गों में एकरूपता लाई जा सके और किसी को कोई असुविधा न हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा मत है कि भविष्य निधि के प्रशासन को लागू करने में कुछ त्रुटियां हैं। आम तौर पर प्रबन्धक लोग नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। मेरे विचार में भविष्य निधि के पात्र होने के लिये किसी कर्मचारी द्वारा वर्ष में 140 दिन तक काम किया होना चाहिये और उसे स्थायी होना चाहिये। कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखने के लिये उद्योग उन्हें अस्थायी अथवा अनियमित रूप से रखने का प्रयत्न करते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि वह लाभ केवल 40 से 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को ही मिल पाता है। और बाकी के कर्मचारी इससे वंचित रह जाते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अधिनियम के उपबन्धों से बचने का एक और तरीका ठेके पर श्रमिकों की नियुक्ति है। क्योंकि ठेके पर रखे गये श्रमिक भविष्य निधि की सुविधाओं के क्षेत्र से बाहर हैं, उन श्रमिकों को लाभों से वंचित रखा जाता है। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये। एक शिकायत यह है कि प्रबन्धकों द्वारा की गई कटौतियों का उचित रूप से हिसाब नहीं रखा जाता है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये। बैंकिंग उद्योग को भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये क्योंकि इससे भारी मुनाफा हो रहा है। अस्थायी कर्मचारियों और आकस्मिक श्रमिकों के हितों की ओर भी देखा जाना चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें मंत्री महोदय के विचारार्थ रखना चाहता हूं। इस दिशा में मैं तीन बातें सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

भविष्य निधि की कटौतियों को उचंती लेखे (सस्पेंस अकाउंट) में रखा जाता है तथा उनका हिसाब नहीं रखा जाता है। सम्बन्धित कर्मचारियों को वास्तविक कटौतियों तथा उन की जमा राशि के बारे में कभी नहीं बताया जाता है। हिसाब पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिये तथा कर्मचारियों को उनकी जमा राशि के बारे में सूचित करने का हर प्रयत्न करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है और उससे अन्तिम लेखा करना होता है तो लेखा करने तथा राशि का भुगतान करने में काफी देर की जाती है जो कि उचित नहीं है।

इसमें अर्हता अवधि का भी प्रश्न उठता है। ठेके पर रखे गये मजदूरों को, उनकी कई वर्षों की निरन्तर सेवा के बावजूद भी, लाभ से वंचित किया जाता है। कर्मचारियों की मजदूरी से की गई कटौती तथा उस पर मिलने वाला ब्याज की बहुत सी राशि बन जाती है। अतः कम्पनी को अपने हित में राशि का उपयोग करने की पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिये परन्तु कर्मचारियों को उस राशि का कुछ हिस्सा भी देना चाहिये जिसका उपयोग वे अपने हित के लिये उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलने तथा अन्य योजनायें चालू करने के लिये कर सकें। यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले को अपने हाथ में ले रहा है।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मंत्री महोदय को ठेके पर रखे गये तथा आकस्मिक मजदूरों के मामले पर विचार करना चाहिये जिनको भविष्य निधि के लाभ से वंचित किया जाता है। ले लोग सारा वर्ष कार्य करते हैं परन्तु उनको थोड़ासा कालावधि के लिये निकाल कर लाभ से वंचित किया जाता है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लगाये गये मजदूरों को कार्य की निरन्तरता से वंचित न किया जाये जिससे वे भी भविष्य निधि का लाभ उठा सकें। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मैं विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं क्योंकि उन से कई राज्यों में शाखायें रखने वाले उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही कई कठिनाइयों का हल हो जायेगा। कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली कटौती प्रति मास जमा करानी होती है और उसमें प्रत्येक चूक को भू-राजस्व की अवशिष्ट राशि के रूप में माना जायेगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिक संघों को नियमित रूप से भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा स्थिति के बारे में सूचित किया जायेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में आलोचना उचित नहीं है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जहांतक भविष्य निधि की राशि के विनियोजन का सम्बन्ध है नियोजकों का उस में कोई हाथ नहीं है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह देखने के लिये कि क्या इस धन का उचित रूप से विनियोजन हुआ है, समिति से सम्पर्क करना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि कर्मचारी उसका स्वागत करे। जो कुछ मिल रहा है उसका ही स्वागत है। हमें यह देखना चाहिये कि निधि का इस प्रकार विनियोजन हो कि कर्मचारियों को लाभ पहुंच सके।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I support this Bill. The labour will be benefitted by this. But I feel that there are so many drawbacks in the administration of the Provident Fund Scheme. Those defects should be removed. I would like to

[Shri D. S. Patil]

to urge that whatever deductions are made must be brought to the notice of the workers. They must get back their amount whenever needed in time.

It is regrettable that this scheme has not been enforced on contract labour. Those poor people should also get benefit of this scheme. Government should find out a way so that they may also be brought under that scheme. Employees should not be allowed to indulge in any type of mal practices. I would urge upon the Minister that this scheme through this legislation should be very strictly inforced so that the scheme should give some benefit to the workers. Those workers who have even worked less than 200 days should also be given some benefit. I again urge that scheme should be properly implemented.

श्री वारियर (त्रिचूर) : योजना ठीक है, परन्तु उसे कार्यान्वित करने में दोष रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि भविष्य निधि सम्बन्धी योजना की कार्यान्विती तथा प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं यह उचित समझता हूं कि योजना कार्य का समय समय पर पुनरीक्षण कर लिया जाना चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है सारी बातों का विचार करके इस का दर निश्चित किया जाना चाहिए। श्रमिकों को स्थायी करना बड़ा आवश्यक है। इस समय लगभग 75 प्रतिशत मजदूरों को इस योजना से वास्तव में लाभ नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई अन्य क्रियात्मक पग उठाये। ऐसा करने पर ही भविष्य निधि सक्रिय बन पायेगी तथा इससे अधिक से अधिक लाभ कर्मचारियों को प्राप्त हो सकेगा।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि भविष्य निधि पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज बहुत कम है। उन्हें उस बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय करना चाहिए कि यह ब्याज बैंक दर के अनुसार होगी। इससे निश्चित ही श्रमिकों को कुछ लाभ पहुंच सकता है। हमें मजदूरी को विकासशील अर्थ व्यवस्था का लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उनके धन को सरकारी उपक्रमों में भी लगाया जाना चाहिए ताकि उन्हें कुछ लाभ हो सके।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : In the annual report for the year 1963-64 of the Employees Provident Fund Organisation it has been mentioned that the law is not implemented properly. Out of the total annual realisation of Rs. 10 crores for the last year from the factories an amount of Rs. 3 crores and 70 lakhs is still outstanding towards the factory owners. Some such machinery should be geared as would preclude the owners from keeping the deposit amounts with them.

The workers who are thrown out of employment in any manner and are not paid the provident fund by the employer should be paid from the Special Reserve Fund.

The case of Sholapur Spinning and Weaving Mills is pending with the Finance Department and the Department of Social Security for more than one and a half year. About four or five thousand workers have been affected. These workers are in miserable condition and it is therefore requested that their case should be disposed of early. The Government have not so far paid the bonus to those workers even though the employer has deposited his and their shares with the Government.

The question of paying provident fund out of the money realised through auction of a liquidated factory has not so far been decided. An early decision should be taken upon it.

If the amount of provident fund is to be sent to the workers by money order, the money order fee in respect thereof should be borne by the Government and not by the workers. Lately an amount of Rs. 31 lakhs of provident fund was sent to the workers in Sholapur. The workers had to bear the money order fee of the order of Rs. 30,000 and moreover it took about 6 months for the money to reach there. It is suggested that two or three officers should be sent there for the distribution of provident fund in future.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : This Bill has been introduced to favour more the owner than the worker. We had expected that just as we had a slogan "land must go to the tiller", in the same way we had thought that some provision will be made that "factories must go to the workers". The workers must be paid provident fund regularly and no money should be deducted from the wages of the workers in lieu of any holiday. The worker gets only one-third of the amount.

This Bill will help prolong the capitalism. Therefore, the hon. Minister should bring some Bill which may help the workers; the workers should be made permanent. Generally the owner terminates the services of the worker after four months so that he may not become permanent.

श्री कृ० ले० मोरे (हतकंगले) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मूल अधिनियम 1952 में पास किया गया था। इतने वर्ष बीतने के पश्चात भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत विधान प्रस्तुत नहीं किया है। बहुत से मजदूर इस समय इस लाभ से वंचित है इस लिये मेरा सुझाव है कि सरकार इस संबंध में कोई विस्तृत विधेयक लाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये इस सुझाव से भी सहमत हूं कि विस्तृत विधेयक आना चाहिये था।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कानपुर और अन्य बड़े शहरों के कारखाना मालिकों की ओर मजदूरों की भविष्य निधि संबंध में कितनी राशि बकाया है जिन्होंने कि भविष्य निधि कमिशनर के पास पैसा जमा नहीं कराया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने कारखाना मालिकों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई है। कानपुर के जितने भी पूंजीपति हैं वे सरकार के करों की चोरी करके बने हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इस सम्पूर्ण योजना में जो त्रुटि है मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल में केशव राम कॉटन मिल है जिसमें 10,000 मजदूर काम करते हैं। यह मिल उस राज्य की सब से बड़ी कपड़ा मिल है। हाल ही में इस मिल के एक हिस्से में आग लग गई थी और गोदाम आदि को कुछ नुकसान पहुंचा था। आग पश्चात प्रबन्ध ने घोषणा की कि मजदूरों के सभी रिकार्ड आग में जल गये हैं और यह पता नहीं चल सकता है कि किस मजदूर का कितना पैसा बकाया है। उस मिल के मजदूर स्थानीय भविष्य निधि आयुक्त के पास गये। उसने कहा कि चूंकि वह मिल ऐसी है जिसको छूट मिली हुई है इसलिए मेरे पास कोई रिकार्ड नहीं है और मैं जांच नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता हूं कि उन मजदूरों के रिकार्डों को ठीक करने के लिये क्या किया जा रहा है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि छूट दिये गये कारखानों के संबंध में सरकार को अधिनियम में संशोधन करना चाहिये जिससे कि वे कारखाने प्रत्येक मजदूर को उसके भविष्य निधि लेखे का विवरण दें और कारखाने का प्रबन्ध और भविष्य निधि आयुक्त भी इसका हिसाब रखें।

Shri Balmiki (Khurja) : The condition of the employees working in autonomous institutions, municipal Corporation and municipal Committees is very miserable. No proper accounts are maintained of their deductions. The laws which are enacted for the benefit of the factory workers should be made applicable to the municipal employees also. They are the most disgruntled lot of the society. They are never told about their accounts. It takes them 3 to 6 years get their dues and they have to produce innumerable certificates. There are many obstacles in the way of these brothern of ours to whom you are trying to isolate. If they are brought under the purview of this Bill, they will definitely get a great relief. I hope the hon. Minister will pay attention to them and take necessary steps.

श्री जगन्नाथ राव : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बहुत लाभदायक सुझाव दिये गये हैं। 1952 का अधिनियम आरंभ में केवल 6 उद्योगों पर लागू किया गया था। इस समय वह 101 उद्योगों तथा अन्य संस्थानों पर लागू है। हाल में इसे कुछ मौसमी फैक्ट्रियों पर भी लागू किया गया है।

इस विधेयक में "कर्मचारी" शब्द के अर्थों में ठेके पर रखे गये मजदूर भी शामिल हैं। अब उनको भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ होगा। हम सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि कोई भी पक्ष गड़बड़ न करे। इस अधिनियम के उपबन्धों में छूट बहुत कम विषयों में की जाती है। जब यह देखा जाता है कि कर्मचारियों को इस अधिनियम की अपेक्षा अन्य योजनाओं द्वारा अधिक लाभ है तो उस संस्थान या फैक्ट्री को इस कानून के लागू करने छूट दे दी जाती है।

बैंक के कर्मचारियों के लिये इस सम्बन्ध एक अलग योजना है। उस के विषय में कभी शिकायत नहीं हुई। इसलिये उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को उन के जमा धन का एक ब्यौरा उनको दिया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा है कि कानपुर में बहुत से मालिकों ने निधि में धन जमा नहीं कराया और यह देय राशि 30 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की गई है और कुछ एक मालिकों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही भी की गई है। साथ साथ बहुत से धन की वसूली भी कर ली गई है। श्री जाधव ने शोलापुर की मिल के बारे में कहा है। इस मिल के मजदूरों को 17 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। और 4,000 मजदूरों का खाता पूरा कर दिया गया है। इस मिल का परिसमापन (लिक्विडेशन) हो गया है। हम इस का ध्यान रखेंगे कि मजदूरों को अपना अंश वापिस मिल जाये।

हम एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे जिस के अनुसार विधेयक की एक त्रुटि को दूर किया जायेगा। वह त्रुटि यह है कि जब किसी फर्म आदि का समापन हो तो सब से पहले मालिकों ने जो राशि देनी उसका तथा कर्मचारियों को दिये जाने वाले धन का भुगतान किया जाना चाहिये। हम इस बारे में एक व्यापक विधान लाने के बारे में सोच रहे है। मुझे आशा है कि जो दोष दृष्टिगोचर होंगे उन्हें दूर कर दिया जायेगा।

श्री वारियर ने ब्याज के बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग विचार कर रहा है। जो योजना इस समय विचाराधीन है उस में वृद्धावस्था की पेंशन और उपदान का भुगतान आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 2 was added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY BILL

संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 3 सितम्बर, 1965 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने संबंधी विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

श्री अंजप्पा, श्री फ्रैंक एन्थनी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती कमला चौधरी, राजा पू० चं० देव भंज, श्री शिवचरण गुप्त, श्री हेम बरुआ, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्री लहरी सिंह, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री फ० ह० मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री वि० तु० पाटिल, श्री रेंगा, श्रीमती रेणुका राय, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री म० प० स्वामी, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री भीष्म प्रसाद यादव, तथा प्रस्तावक"।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के आने के कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। यहां की जनसंख्या 1946-47 में 7 लाख थी। यह दो वर्षों में बढकर 14 लाख हो गई। उसके पश्चात् भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार 1980 में उनकी संख्या 60,000 हो जायेगी और 60 कालेज होंगे। ऐसी स्थिति में वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1960 में ऐसी ही बात कही थी। और सिफारिश की थी कि दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। उनका आशय यह था कि शिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिये।

[श्री भक्त दर्शन]

यह अनुभव किया गया है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को देश के महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू के स्मारक के रूप में बनाया जाये। इसी लिये इसके नाम को उन के नाम पर रखा गया।

शिक्षा मंत्रालय ने 1963 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रीमंडल ने अगस्त 1964 में मंजूरी दी।

नया विश्वविद्यालय अन्य विषयों के अतिरिक्त बहुत से विषयों के बारे में विशेष रूप से कार्य करेगा।

इस में अध्ययन तथा वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय की भांति सम्बद्ध कालेज होंगे। इसमें चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक विषयों के बारे में विशेष अध्ययन-कार्य होगा।

इस विश्वविद्यालय के लिये दक्षिण दिल्ली में मुनीरका गांव के निकट भूमि अर्जन करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस भूमि का विकास करने के लिये 1965-66 के आयव्ययक में 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

मंत्रालय का अभिप्राय इस विश्वविद्यालय को उच्चतर शिक्षा की एक अनुपम संस्था बनाना है। चूंकि हाल ही में संसार में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास हुआ है और उन्नत देशों में विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा में अब आमूल परिवर्तन आ गया है अतः हम चाहते हैं कि इन सभी नये विचारों तथा प्रयोगों को इस विश्वविद्यालय के विद्या-सम्बन्धी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों में रखा जाये। इसमें मानव शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अनुपम समन्वय होगा और इसमें सार्वभौमिकता की भावना को बढावा दिया जायेगा ताकि यह विश्वविद्यालय हमारे महान नेता की यादगार में यह एक उपयुक्त स्मारक बन सके। इस विश्वविद्यालय में कालेज शिक्षा का एक विभाग होगा जो सम्बद्ध कालेजों के कार्य का अधीक्षण करेगा। इस विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 36 में से 17 कालेज आयेंगे जिनमें लगभग 13,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और शेष 19 कालेज वर्तमान विश्वविद्यालय के अधीन ही रहेंगे। इन कालेजों में शिक्षा के स्तर को कायम रखने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सम्बद्ध कालेजों का इस नये विश्वविद्यालय पर अधिक बोझ न पड़े, ऐसी संस्थाओं की प्रशासनिक तथा विद्या सम्बन्धी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये एक विशेष संगठन स्थापित किया जायेगा। इस विश्वविद्यालय की दूसरी अनुपम बात यह होगी कि इस उन स्वायत्त संस्थाओं को अपने साथ सम्बद्ध करने की शक्ति होगी। जो स्वतः अपने ही अधिनियम के अन्तर्गत काम करती रहेंगी और वह इस नये विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन उसके अंगभूत एककों के रूप में काम करती रहेंगी। निम्नलिखित संस्थाओं को ऐसा करने के लिये कहा जा सकता है जोकि अपनी स्वायत्तता तो बनाये रखेंगी परन्तु आपसी विचार-विमर्श तथा उपाधियां आदि देने के प्रयोजनों के लिये इस नये विश्वविद्यालय के अधीन रहेंगी :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी), नई दिल्ली।

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसेंज)।

(तीन) कृषि अनुसंधान संस्था (इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल रीसर्च), नई दिल्ली।

(चार) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल (इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज)

(पांच) भारतीय लोक प्रशासन स्कूल (इंडियन स्कूल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)।

(छः) जामिया मिलिया।

इस विश्वविद्यालय को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह दिल्ली से बाहर स्थित किसी भी शिक्षा संस्था को, उस राज्य में चालू विधियों के अन्तर्गत जिससे कि ऐसी संस्था स्थित है, सम्बद्ध कर सकेगा। यह एक बिल्कुल ही नयी बात होगी।

इस विश्वविद्यालय में विद्या-सम्बन्धी कार्यक्रमों में ब्रिटेन तथा अन्य उन्नत देशों के नये विश्वविद्यालयों में अपनाये गये ढंगों तथा प्रणालियों के आधार पर मानव शास्त्र तथा विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल किये जायेंगे और इस प्रकार यह विश्वविद्यालय अवरस्नातक अध्ययन के नये ढांचे की व्यवस्था करेगा। इस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन तथा अनुसन्धान की पूरी सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी। इस में आन्तरिक अनुशासन अध्ययन पाठ्यक्रम की भी सुविधायें दी जायेंगी जो कि अन्य किसी संस्था में उपलब्ध नहीं हैं। अध्ययन तथा अनुसन्धान के विभिन्न विभागों के लिये इन क्षेत्रों में प्रमुख शिक्षा विशारदों तथा विशेषज्ञों को ढूंढने के प्रयत्न किये जायेंगे। हालांकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर स्तर पर नये विश्वविद्यालय के मुख्य विषय होंगे, फिर भी सामाजिक विज्ञान तथा न केवल भारतीय भाषाओं में अपितु विदेशी भाषाओं में भी विशषता प्राप्त करने की भी व्यवस्था होगी ताकि इसमें विज्ञानों तथा मानव शास्त्रों दोनों का समान रूप से विकास हो सके। अपने विकासशील राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिये अलग अलग संस्थायें स्थापित की जायेंगी।

विधेयक को जान बूझकर संक्षिप्त तथा सुचारु रूपसे कार्यान्वित किया जा सकने वाला इस लिये बनाया गया है ताकि इस नये विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिये पर्याप्त गुंजाइश रहे। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पहली संविधियां सरकार द्वारा बनाई जायेंगी और उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ताकि संसद यह जान सके कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार कार्य हो रहा है। यह एक अविवाद्य विधेयक है और इस के अतिरिक्त सभा को इस पर ब्योरेवार विचार करने का पर्याप्त समय मिलेगा जब यह संयुक्त समिति द्वारा लौटाया जायेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सभा मेरे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 3 सितम्बर, 1965 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने संबंधी विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये, अर्थात् :— श्री अंजनप्पा, श्री फ्रैंक एन्थनी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती कमला चौधरी, राजा पू० चं० देव भंज, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरुआ, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्री लहरी सिंह, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री फ० ह० मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री वि० तु० पाटिल, श्री ना० गो० रंगा, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री म० प० स्वामी, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री भीषण प्रसाद यादव और श्री भक्त दर्शन।"

श्री प्रभात कार (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मेरे विचार में तो इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का स्पष्ट तथा सरल उद्देश्य केवल यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्य को कुछ हल्का किया जाये क्योंकि इसमें कार्य इतना बढ़ गया है कि प्रबन्धको के लिये इसे सुचारु रूपसे चलाना असम्भव हो गया है। चूंकि इस विश्वविद्यालय के साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू का नाम सम्बद्ध किया जा रहा है इसी लिये माननीय उपमंत्री ने कहा है कि यह उस महान विभूति का एक उपयुक्त स्मारक होना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू

[श्री प्रभात कार]

स्मारक समिति और न्यास आदि की स्थापना कर के तथा निधि खोलकर इस बारे में जो इतनी आशाएं बांधी गई थीं उन सब पर पानी फिर गया है। प्रत्येक गली में बच्चों के केन्द्र स्थापित करने या उनकी कहावतों को अशोक स्तम्भ की तरह चट्टानों पर खुदवाने और न जाने क्या क्या करने के लिये कहा गया था। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के भार को हल्का करने के लिये एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है तो उसके साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नाम को सम्बद्ध किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कोई स्वप्नवत बातें कही जा रही हैं। मैं नहीं जानता हूं कि यह स्वप्न कब वास्तविकता में परिवर्तित होंगे। एक ओर तो कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रौद्योगिकी में उच्चतर शिक्षा, उच्च स्तर के कार्यालयों तथा विभिन्न प्रकार के अध्ययनों की व्यवस्था की जायेगी और दूसरी ओर वही बातें, जो सामान्य विश्वविद्यालयों में होती हैं इस नये विश्वविद्यालय में भी होगी जैसे कालेजों को सम्बद्ध किया जाना, परीक्षाओं का लिया जाना तथा उपाधियों का दिया जाना आदि। जो आदर्श हमारे समक्ष रखें गये हैं उनको कभी पूरा किया जा सकेगा इसमें मुझे सन्देह है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी उल्लेख किया गया है। जहां तक मुझे याद आता है आयोग ने विश्वविद्यालय केन्द्रों को स्थापित करने की तो बात कही है, परन्तु एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कभी नहीं कहा है। आयोग तो विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने के विरुद्ध है।

हम यह नहीं चाहते कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय। वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कभी भी विश्वविद्यालयों की संख्या में और अधिक वृद्धि करने के लिये नहीं कहा। वे केवल यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाय। यह सच है कि विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये अब इतना काम संभालना असम्भव है और इसके लिये एक अन्य विश्वविद्यालय भी बनाया जाय। अच्छा होता यदि उपमंत्री महोदय उक्त आधार पर एक अन्य विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश करते। इसकी बजाय उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि श्री जवाहरलाल नेहरू के लिये एक उपयुक्त स्मारक बनाना अपेक्षित है। क्या इस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र-वृत्तियां भी दी जायेंगी ताकि संसार भर से, विशेषत: अफ्रीकी-अशियाई विद्यार्थी यहां आ सके जबकि विश्वविद्यालय का नाम एक महान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्ति के नाम पर रखा जा रहा है? इसे केवल ऐसे विश्वविद्यालय का रूप न दिया जाय जो केवल उपाधियां ही प्रदान करे। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें विश्व के सभी भागों से विद्यार्थी आयें और हर मित्र देश की सरकार के साथ विशेष व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री नेहरू ने इस देश में अनेक कमियों के होते हुए विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास का बडा प्रयत्न किया। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विश्वविद्यालय से अमरिका और रूस से आनेवाले प्रोफेसरों को सम्बद्ध किया जाना चाहिये ताकि इस दिशा में विद्यार्थियों को उचित शिक्षा दी जा सके।

इस विश्वविद्यालय का अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा भिन्न प्रकार से विकास किया जाए। जैसा कि विश्वभारती में है, हमें उन आदर्शों का इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विकास करना चाहिए।

यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है और जो कुछ उपमंत्री महोदय ने कहा है यदि उसका 10 प्रतिशत भी किया जाये तो इस विधेयक में समूचा परिवर्तन करना पडेगा इस आशा से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि संयुक्त समिति इस मामले पर विचार करेगी और सरकार इसको एक मामूली विश्वविद्यालय नहीं बनाएगी।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पेश करने के लिये मैं शिक्षा मंत्रालय को बधाई देता हूं।

विश्वविद्यालय का नाम विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से उस व्यक्ति के नाम पर रखा जा रहा है जिसने माननीय विचारों और बौद्धिक कार्य के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान दिया है और उनपर अपना प्रभाव छोडा है। अतः मैं चाहता हूं कि उनका नाम केवल एक शिक्षा संस्था से ही नहीं बल्कि कला, साहित्य, चित्रकारी और सभी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

दिल्ली मे एक दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में बहुत समय से विचार किया जा रहा था। हम उनका नाम इस विश्वविद्यालय से इसलिये सम्बद्ध कर रहे हैं क्यों कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस महान व्यक्ति ने जो योगदान किया है उनके प्रति न्याय किया जाना चाहिए।

पंडित जी के विचार और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल टैगोर जैसा था। जब टैगोर ने अपना विश्वविद्यालय स्थापित किया तो उन्होंने उस पर लिखा: यत्र विश्वम् भवत्येक नीऽम् अर्थात् एक ऐसी संस्था जहां संसार के सभी योग्य व्यक्तियों को समान स्थान मिलेगा। मेरा विश्वास है और मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में भी संसार के सभी भागों के विद्यार्थियों को आने, चर्चा करने और एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान करने का समान अवसर मिलेगा।

पंडीत जवाहरलालजी के चरित्र में कुछ विशिष्ट बातें थी। एक थी विभिन्न बातों पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना तथा दूसरी बात थी उनके चरित्र की गतिशीलता, केवल यही नहीं उनका दर्शन तथा विचारधारा उनकी अपनी ही थी। ये सभी बातें इस विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, विद्यार्थियों को पढाने के तरीकों, उनको प्रशिक्षण देने और उनके चरित्र निर्माण के तरीकों में उपलक्षित होनी चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से पढकर निकलने वाले विद्यार्थियों को एक ऐसे चरित्र का विकास करना चाहिए जिससे उनकी अपनी एक विशेषता होगी जो इस बात का द्योतक होगा कि वे इस विश्वविद्यालय से पढ कर निकले हैं। पिछले जमाने में भारत ने इसी प्रकार से अपनी विशिष्ट संस्कृति और शिक्षण प्रणाली का विकास किया।

विद्यार्थियों के चरित्र का इस प्रकार तथा इस विशेष तरीके से निर्माण केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो पण्डित नेहरू के आदर्शों में निष्ठा रखते हैं और जो उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं जो कि उनमें थी और जिससे वह राष्ट्र को प्रेरित करना चाहते थे।

मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय केवल ऐसा स्थान नहीं होगा जहां उच्च पदों पर आसीन और उच्च वेतन पाने वाले व्यक्तियों का प्रभाव होगा। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय एक रूढिगत संस्था ही नहीं होगी बल्कि यह इससे बढ कर होगी जिसमें महान कार्य होंगे।

मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसे एक ऐसा रूप दे सकेगी जिसमें पण्डित जी के अपने आदर्श उपलक्षित होंगे जो वह चाहते थे कि इस राष्ट्र के युवकों को अपने जीवन में अपनाने चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि हमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा करने का अवसर मिला है। यह विधेयक विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्य विधेयकों से कुछ भिन्न है।

[डा० मा० श्री० अणे]

इस विश्वविद्यालय को जो नाम दिया जा रहा है वह बिल्कुल नई बात है। अब तक विश्वविद्यालय का नाम उन स्थानों के नाम पर होता था जहां वे स्थापित किये जाते थे। भारत में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के नाम पर हो।

श्री जवाहरलाल नेहरू का यह मत था कि विश्वविद्यालय व्यक्तियों के नाम पर न हो। निस्सन्देह शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्र उनका आभारी रहेगा। पता नहीं क्या यह विचलन भविष्य के लिये एक पूर्वदृष्टांत बनेगा; पता नहीं कि भविष्य में जब भी कोई नया विश्वविद्यालय बनेगा क्या उसके साथ किसी व्यक्ति का नाम जोडा जाएगा क्यों कि यदि ऐसा किया जायेगा तो इस देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर भारत में अनेक विश्वविद्यालय हो जायेंगे। मुझ केवल यही भय है।

इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ विशेष बात है। अब तक हमने जितने भी विश्वविद्यालय विधेयकों पर चर्चा की है वह मुख्य तौर से विश्वविद्यालयों के उस ढांचे से सम्बन्धित होते थे जो कि वहां पर होना चाहिय जैसे कि कोर्ट, सिंडीकेट, कार्यकारी परिषद, शिक्षा परिषद आदि और इन विधेयकों से उनकी रचना के बारे में पता चलता था। इससे पता चलता था कि कार्य किन व्यक्तियों को सौंपा जाएगा। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति विश्वविद्यालय के नाम से ही नहीं हो जाती बल्कि उन व्यक्तियों के जरिये होती है जिनको मुख्य कृत्य सौपे जाएं। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक एक कोरी चैक ही है। विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शिक्षा परिषद आदि की रचना तथा उनके कृत्यों के स्वरूप को परिनियमों द्वारा निश्चित तथा निर्धारित किया जायगा। इसका मतलब यह है कि यह मामले इस सभा द्वारा निश्चित नहीं किये जायंगे बल्कि किसी अन्य निकाय द्वारा निश्चित किये जायंगे। परिनियम सरकार द्वारा स्वयं निर्धारित किये जायंगे। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इन उपबंधों पर बडी गम्भीरता से विचार करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार का विचलन न होने दिया जाय तथा इन निकायों जैसे कोर्ट, कार्यकारी परिषद, और शिक्षा परिषद के स्वरूप और गठन और उनके कृत्य के बारे में मुख्य मुख्य बातें अवश्य बतायीं जाये।

दिल्ली में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार बडा अच्छा है। दिल्ली एक ऐसा स्थान हैं जहां कई उद्योगपतियों ने संस्थाएं खोल रखी हैं और अपने प्रभाव से वे उन्हें कालिज के रूप में मान्यता प्राप्त करा लेते हैं। शिक्षा संस्थाएं बढना अच्छी बात है लेकिन संस्थाएं अपने तरीके से, पृथक रूप में किसी केन्द्रीय संस्था के नियंत्रण के बिना नहीं बढ़ने दी जानी चाहिए। यदि इन सब संस्थाओं को किसी उत्तरदायी निकाय के अन्तर्गत लाया जा सके तो यह एक महान सेवा-कार्य होगा।

अतः इन सभी संस्थाओं को अपने नियंत्रणाधीन लाने वाले विश्वविद्यालय के नियंत्रण निकाय में ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो बडे ज्ञानी हो, जिनका अनुभव बडा व्यापक हो और जिन्हें संसार भर की मौजूदा शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो।

यह विश्वविद्यालय एक ऐसा शिक्षा का केन्द्र होना चाहिये जिसमें अध्ययन करने के लिये अफ्रीका तथा अन्य देशों के विद्यार्थी आयें और जहां लोग यह समझ सकें कि वे यहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की जिम्मेवारी और भी बढ जाती है कि यह विश्वविद्यालय उच्चतम स्तरों को बनाये रखे।

केवल एक विश्वविद्यालय से किसी महान व्यक्ति का नाम सम्बद्ध होने से ही बाहर से लोग आकर्षित नहीं हो जायेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह ऐसा केन्द्र हो जहां बाहर से व्यक्ति आयें तो इसके बडी उच्च संस्कृती और ज्ञानोपार्जन का केन्द्र बनाना होगा। केवल तब ही उनमें

इस विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास होगा। संस्कृति, विभिन्न विज्ञानों, मानवशास्त्र आदि क्षेत्रों में अध्यापन कार्य के लिये बहुत ही योग्य व्यक्ति रखने चाहिये ताकि इस विश्वविद्यालय के प्रति लोगों को आकाषत किया जा सके और इसको इस के नाम के अनुरूप योग्य बनाया जा सके।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेल्लि) : दिवंगत नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रस्तावित विश्वविद्यालय एक उपयुक्त स्मारक है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे जिन्होंने विश्व के औद्योगिक और वैज्ञानिक मानचित्र में भारत का स्थान बनाया और भारत को एक महान राष्ट्र बनाया। पंडित नेहरू मानवशास्त्र और विज्ञान के महान ज्ञाता थे। उनको अंग्रेजी साहित्य और प्राकृतिक विज्ञान का पूरा ज्ञान था। वह सदैव हर क्षेत्र में मानव-ज्ञान की वृद्धि में आगे रहे। उन्होंने अनुसंधान और विज्ञानपर अत्यधिक बल दिया।

यह बिल्कुल उपयुक्त है कि इस नये विश्वविद्यालय का नामकरण वैज्ञानिक और साहित्यिक ज्ञान के एक महान प्रेमी तथा प्रोत्साहनदाता के नाम पर हो।

एक दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिये आवश्यक है कि दिल्ली की जनसंख्या 1947 में सात लाख से बढ़कर 1965 में 26 लाख हो गयी है। फलस्वरूप दिल्ली के कालिजों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 1947 में 4500 से बढ़ कर 1965 में 30,000 हो गयी है। दिल्ली में कालिजों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या में हर वर्ष लगभग 2000 की वृद्धि हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की इस बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने में असमर्थ है।

1960 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक पेचीदा विश्वविद्यालय बनता जा रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को गिरने से रोकने के लिये दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करना आवश्यक है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक प्रशासनिक और शैक्षणिक आधार पर नये विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन किया है।

नये विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा देनी होगी तथा अनुसंधान के लिये व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक दिशा में यह विश्वविद्यालय भारत के सपूत श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम रौशन करेगा। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि उनका विस्तार बहुत अधिक हो गया है, अतः एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना करना बड़ा ही आवश्यक है। इसी लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर विचार किया। इस संस्था का काफी महत्व होगा।

इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय पर 9 करोड़ रुपये का व्यय होगा। और फिर 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता रहेगा। जहां तक संस्थाओं का सम्बन्ध है, इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने वाली संस्थाओं की संख्या 17 है। दिल्ली के अजमेरी गेट के दक्षिण में स्थित 17 कालिजों को इस से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। केवल यही संस्थायें नहीं प्रत्युत इन कालिजों के अतिरिक्त अन्य स्वतन्त्र संस्थाओं तथा भारतीय टैकनोलाजी संस्था, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, कृषि अनुसन्धान संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था, भारतीय लोक प्रशासन संस्था को भी इसके सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जन संचार संस्था तथा, रूसी अध्ययन संस्था को इस के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान होगा और विशेष प्रकार के समाज विज्ञान के विषय पढ़ाये जायेंगे और उन पर अनुसंधान भी किया जायेगा। इसे विश्व ससैक विश्वविद्यालय की तरह चलाया जायेगा।

विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षण पाठ्क्रम को चालू करना बहुत ही अच्छी बात है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कल्याण कार्य भी होंगे इस दृष्टि से काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे उन्हें काफी लाभ पहुंच सकेगा। विश्वविद्यालय की सारी शक्ति कोर्ट, कार्यपालिक परिषद और शिक्षा परिषद। कार्यपालिक परिषद के हाथ में विश्वविद्यालय के प्रशासन का काम रहेगा

[श्री मुथिया]

विश्व विद्यालय में आये लोग विश्वविद्यालय की इमारत के अतिरिक्त प्रयोग शालायें तथा अन्य सामान भी देख सकेंगे। दलबन्दी को भी दूर रखने का प्रयास किया जायेगा। अन्त में मेरा कहना यह है कि यह विश्वविद्यालय अन्य देश के विश्वविद्यालय की नकल ही नहीं होगा, यह नये परिमाण निर्माण करेगा और एशिया और अफ्रिका का मिलन संगम बन जायेगा।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : शिक्षा मंत्री ने हमें बताया कि आरम्भ से ही सरकार का विचार इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही रखने का था। वैसे भी यह ठीक ही कहा गया है कि दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता थी। यह बात भी शिक्षा उपमंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कही है। प्रत्येक दृष्टि से दिल्ली के लिए एक और विश्वविद्यालय की अपेक्षा थी। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसका नाम भारत के एक महान सपूत के नाम पर रखा जा रहा है। नाम के सम्बन्ध में कोई विवाद बहुत उचित नहीं प्रतीत होता। यह किसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने इसे रंग देने का प्रयास किया है।

मंत्री महोदय ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक नमूने का विश्वविद्यालय अधिनियम निर्माण किया है। यदि उनके इस दावे का तनिक विश्लेषण किया जाय और विधेयक पर सरसरी दृष्टि डाली जाय तो प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास हो जायेगा कि विधेयक उस पर तैयार नहीं किया गया जिस प्रकार की तैयार होना चाहिए था।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विधेयक के कुछ उपबन्ध पूर्णतः दोषपूर्ण हैं तथा किसी संगठित सरकार के योग्य नहीं है। उदाहरणार्थ "विजिटर" जो भारत के राष्ट्रपति होंगे की शक्तियों को भी, स्पष्टतः कार्यपालिका परिषद् द्वारा पारित किये जाने वाले परिनियमों के अन्तर्गत रख दिया गया है जो अधिकतम सीमा तक असंगत है। वास्तव में विधेयक की समस्त योजना परिनियमों पर जोकि दोषपूर्ण ढंग से परिभाषित है, आधारित है, परिणामस्वरूप, विधेयक उपहासजनकसा हो गया है। यह ढांचे को निर्धारित नहीं करता, और इसके संगठन आदि के बारे में भी कर्तव्य निर्धारित नहीं करता तथा शक्तियां नहीं देता है। यह एक भारी त्रूटि है। आशा की जाती है कि संयुक्त समिति इस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार करेगी।

जैसा कि कहा गया है कि यह एक आदर्श विश्वविद्यालय होगा अतः सरकार को इसमें कई एक भाषाओं की संस्था स्थापित करनी चाहिये जैसी कि सोवियत संघ में है जिसमें हम अपनी भाषा सम्बन्धी समस्या को सुलझा सकें। इस विश्वविद्यालय में सेना सम्बन्धी विज्ञान तथा विषयों का अध्यापन किया जाना चाहिये जोकि अभी तक हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नहीं है।

इसी संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना कि देशमुख ने इस निकाय से अपना सम्बन्ध किस परिस्थितियों में तोड़ा था जिसको इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिये स्थापित किया गया था।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। जैसा कि हम कल्पना करते है कि भविष्य के वि विद्यालय का होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि इस विधेयक में कई अन्य बातों को शामिल किया जना चाहिये जोकि इस में उस समय नहीं थीं जिस समय इसे सभा के समक्ष रखा गया था।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : दिल्ली में एक विश्वविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी विधेयक का स्वागत है क्योंकि इसका खोला जाना बहुत ही आवश्यक है। परन्तु मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में यह नहीं बताया कि इस विशेष विश्वविद्यालय को एक बड़े नेता श्री जवाहरलाल

नेहरू के नाम पर क्यों स्थापित किया जा रहा है जिनको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यदि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का यही नाम उपयुक्त है तो इस के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री नेहरू के नाम पर खोले जाने वाले विश्वविद्यालय के उद्देश्य उन उद्देश्यों से कहीं अधिक व्यापक होने चाहिये, जिनका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। इसमें केवल दिल्ली के विद्यार्थियों को ही दाखिला नहीं मिलना चाहिये परन्तु इसका दरवाजा विश्वभर के सभी विद्यार्थियों के लिये खुला रहना चाहिये। इसमें विद्यार्थियों को केवल उपाधियां प्राप्त करने के लिये ही प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिये परन्तु उन्हें इन्सान बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जैसा कि एक सुविख्यात प्राध्यापक ने कहा है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये संसार के सभी भागों के से सुविख्यात प्राध्यापकों को बुलाया जाना चाहिये। ऐसे विश्वविद्यालय के लिये उतनी राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये जितनी कि उसके लिये आवश्यक है। यदि कोई विद्यार्थी कार्य नहीं करता है तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाना चाहिये। जब तक यह सभी धारणायें नहीं होंगी तब तक इस विश्वविद्यालय के साथ श्री नेहरू के नाम को जोड़ना अर्थहीन होगा।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : With this present Bill we will have another university in Delhi, but it has not been mentioned in the Bill as to what would be the curriculam of the proposed university. Whatever has been stated only relates to the number of officers. I am also of the opinion that the establishing of a second university in Delhi cannot be called a proper step, unless we are able to do the same in other parts of the country. This is a clear discrimination with the other parts of the country.

As far as the naming the university after the name of Shri Nehru is concerned, it has been stated that Shri Nehru himself was also against this. He did not like that a university should be named after his name. In fact, he was of the opinion that a university should not be named after a person who is living. I think it does not also mean that we can associate any name with a university just after two or three years of his death. The historical value of a person can only be assessed after 200 years. It is after this period that the name of any person is proper to be associated with any university. I am of the opinion that Government is setting up a bad precedent in this direction.

I am of the opinion that the name of Shree Nehru should be disassociated from their proposed university. The curriculum should also be laid down in the Bill in its final form. The medium of instruction of the new university should be an Indian Language. It will be quite good if the students from foreign countries—especially African and Asian are admitted and they are made to learn the Indian Languages. New university should not be in a deplorable state.

Shri Shree Narayan Das (Darhavya) : I whole heartedly support this move for referring their university Bill to the Select Committee. I am of the opinion that by associating the name of our beloved leader Shri Jawaharlal Nehru with the university is very appreciable. In a way we are paying a humble tribute to his great personality. This would add to the importance of the university.

Together with that the special features of the proposed university should also have been mentioned in the statement of Objects and Reasons. It is really regrettable that the Bill does not reflect the special traits of the proposed university.

[Shri Shree Narayan Dass]

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

Ordinarily if Delhi is in need of another University it can be provided with usual way. But the university with Nehru's name should be unique. Here the students from all over the world should come for study and research. The world sanskrit university with which the name of Shri Nehru may be associated should receive encouragement and help from the Government.

I may also state that the proposed university should create such an atmosphere that the students do original thinking and produce original works in their mother tongues and other regional languages. I am of the opinion that it should be a resident university and should produce ideal students. These students should come out of the university with new zeal for universal brotherhood. We should live up to the ideal of Nehru, if we are associating his name with it.

With these words I support the name to refer their Bill to the select committee.

Shri Onkarlal Berwa (Kotah) : So far as the question of referring this Bill to the Joint Committee is concerned, I have no objection to that. But the decision to set up the proposed university in Delhi where already there is one seems to be contrary to reason. Apart from that there is dearth of all things in Delhi—water, electricity, accommodation, foodgrains etc. Nehruji's name is already associated with the defeat which we had to suffer on the Kashmir and Nagaland fronts as also against China. It would be better if his name is replaced by that of Dr. Rajendra Prasad.

This university will become an intriguing place for the foreigners as is the case with Aligarh Muslim University. Only the aristocrats and rich people can afford to send their sons to this university. It would have been better provision had been made for the admission of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Engineering College in Jodhpur and the Agricultural College in Udaipur are getting only Rs. 12 lakhs per year from the centre in the form of grants. Vikram University of Madhya Pradesh is given only Rs. 66,000 per year. The proposed university is being set up with the initial expenditure of Rs. 70 lakhs. Discrimination to such an extent is most unfair on the part of the Central Government. It is also provided that five universities will be under the Nehru University. It is not good to burden one university with the laws of another university.

It appears to me that professors and Vice-Chancellor are being called from outside to join this university. This is very bad. I do not like the concentration of all the educational facilities in Delhi only. You like keeping all your eggs in one basket is not a wise thing. In all such matters primary consideration should be given to the interests of the farmers and the poor people. It would be better if this university is opened in Rajasthan because here it is the shortage of everything, water, sugar, land, electricity etc.

Shri Balmiki (Khurja) : The ideals and ideology of Jawahar Lal Nehru have not been incorporated in the Bill. The proposed university has been named after the name of Shri Jawahar Lal Nehru. In this university, therefore, his system of life, his ideas, his courage, his prowess, his natural wrath, his art and his culture should be reflected.

I hope this university will go a long way in improving the standards of education in this country. The educational standards have fallen miserably in our country at present. The universities are just like factories manufacturing graduates fit to work as clerks in offices only. I hope this university will be big and great.

In a letter which I circulated to the vice-chancellors of the various universities I had stated that today in our country nepotism and favouritism are on the increase and degrees are distributed under the influence of certain ideas. We do not want these factories manufacturing graduates. This university should not be of the type of other universities. It should excel all our present universities. If it does not reflect the ideas of Jawahar Lal Nehru we will not be able to inculcate his greatness. I want the Joint Committee to consider this point.

I am sorry to say that Hindi has not been made the medium of instruction in this university. I strongly recommend that Hindi should be made the medium of instruction in this Jawahar Lal Nehru University so that the students studying there can do justice to his name. Shri Jawahar Lal Nehru had a great love for the down trodden and the Harijans and therefore, the poor, the backward people and the persons belonging to the weaker sections of society and minority should be given more opportunities in this university to develop their faculties. It is a matter of great sadness that even today wisdom is the monoply of a few people. The vested interest has been created in this field also. The vested interest should be kept away from the universities. With these words I support the Bill.

Shri Surjoo Pandey (Rasra) : The Hon. Education Minister had stated in this House that Jawahar Lal University will be a model universitv. But we feel disgusted when we look at the Bill.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

We had great hopes that this university would produce engineers, technicians, Scientists who will be available for the service of the country comparatively on lower salaries. But we do not find any difference between this university and other universities like other universities, there will be Vice-chancellor, Chancellor, Executive Council etc. in this university. Education in our country is very costly. The standards of education have gone to the lowest ebb. Indiscipline is increasing in the universities. Government should give a guarantee that it will be within the easy reach of the poor people to have their children education in this university.

My second suggestion is that this university should be a residential university. Thirdly, the medium of instruction should be such as can be understood by majority of students.

I do not find any such thing in the character of this university which distinguishes it from the rest of the universities of the country. I want the Education Ministry to bring a comprehensive Bill permeated with the sentiments and ideas of Nehruji. I hope the Joint Select Committee will suggest necessary changes in the Bill in the light of the above observations.

चीन की अन्तिम चेतावनी के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : CHINESE ULTIMATUM

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order. After the Prime Minister has spoken more of us will be permitted to ask a question or speak. This is contrary to Article 105 of the constitution, Article 105 reads as follows :

"इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा" ।

The rule of the Rules of Procedure which you read out that day does not apply here, in the first place, because a rule which is repugnent to Article 105 is bad and secondly whenever we give Calling Attention Notices and the Ministers give their statement thereon, that Section cannot apply which you had read out. If our right of freedom of speech is taken away in this manner then this Lok Sabha has no meaning.

Mr. Speaker : He was going to make the statement not on the Calling Attention Notice, but of his own accord. As regards the freedom of speech, that is undoubtedly there, but it is regulated and not a free licence. His statement cannot be discussed now. Unless there is a motion to raise the discussion that cannot be raised.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : मैं, कल पीकिंग में हमारे कार्यवाहक दूत को दिये गये एक और नोट को सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4904/65 ।]**

चीन ने जो उत्तर भेजा है उससे स्पष्ट है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिल कर अपनी आक्रमणकारी कार्यवाहियों के लिये बहाना तलाश कर रहा है । हमारी राय में चीन ने अल्टीमेटम का समय इसलिये बढ़ाया है कि वह देखना चाहता है सुरक्षा परिषद में हुई बहस का क्या परिणाम निकलता है ।

चीनने अपने पत्रों में ऐसे आरोप लगाये हैं कि कोई भी सभ्य देश उनको लेकर लड़ने की नहीं ठानेगा । यदि चीन के क्षेत्र में कोई सैनिक प्रतिष्ठान थे तो उनको हटाने के लिये चीन सरकार को किसी ने रोका थोड़ा ही है । हमारे लिये उनको हटाना तो केवल उनके प्रदेश में जाकर ही संभव हो सकता है । इसी प्रकार कोई भी यह नहीं सोच सकता है कि कोई सरकार किसी दूसरी सरकार को इस बात पर डराये धमकायेगी कि उसके भेदियों को ले जाया गया है या यह कि यहां पर हजारों तिब्बती शरणार्थियों में से दो चार को उनकी मर्जी के विरुद्ध रोका जा रहा है ।

चीन एशिया में अपनी धाक बैठाना चाहता है और कोई भी स्वाभिमानी देश इस चीज़ को मानने के लिये तैयार नहीं है । काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस संबंध में हम चीन के इस दावे को नामंजूर करते हैं कि हमें वहां पर क्या करना चाहिये अथवा क्या नहीं करना चाहिये । हम छोटे मोटे मामलों पर मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने के लिये अब भी तैयार हैं । चीन के आक्रमक इरादे तो इसी बात से स्पष्ट है कि जहां चीनने अपने नोट में अल्टीमेटम की समय-सीमा 72 घंटे और बढ़ा दी है, वास्तव में वहां उसने सिक्किम और लद्दाख में हमारी सीमान्त चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी है ।

यदि चीन हम पर आक्रमण करता है तो हम पूरी ताकत के साथ अपनी रक्षा करेंगे।

सुरक्षा परिषद में पास किये गये प्रस्ताव का पूरा पाठ हमें प्राप्त हो गया है और मैं कल उसपर वक्तव्य दूंगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमन् जी, प्रधान मंत्री ने कहा कि चीनियों ने सीमा पर गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम केवल विरोधपत्र भेज कर ही रह जायेंगे अथवा जवाब में गोलियां चलायेंगे।

श्री लाल बहादूर शास्त्री : हम मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विधेयक---जारी

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY BILL—*Contd.*

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Speaker, Sir, I rise to support this Bill. Pandit Jawahar Lal Nehru enthused the people of this country with the spirit of service and sacrifice. Simple living and high thinking should be the guiding principle of this university.

In our country, universities like Taxila and Nalanda in the past have produced king like Chandragupta and diplomats like Chanakya. To-day we have ordinary universities in our country which are influenced by the Western civilization. This university should uphold the Indian Culture and give us men like Arjun and Abhimanyu.

Pandit Nehru was a noble soul. This university should become a model university and produce many Jawahar Lal Nehrus. We want that this university should inspire the people of India and the world at large.

The Hon. Member Shri Balmiki advocated for giving more opportunities to the poor. I want that this university should give free education to every body. There should be no discrimination between a Harijan, a Mohmedan, a Hindu and a Brahmin. All should be treated alike.

Pandit Nehru had once said that it is necessary for a student of Indian culture to study sanskrit literature. Sanskrit, should, therefore, be made a subject of compulsory study in this university. This will go a long way in solving our language problem.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलोजी के विषयों पर शिक्षा दी जायेगी।

यदि हम अमरीका, रूस और ब्रिटेन में शिक्षा को देखें तो हमें पता लगेगा कि वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। वहां पर अब नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र के अध्यायन पर जोर दिया जाने लगा है। हमने शिक्षा के संबंध में जो धारणा बनाई है वह पूर्ण नहीं है।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि शिक्षा के नैतिक आधार पर जोर दिया जाना चाहिये। जब तक एसा नहीं होगा हम अपने आप को तबाही से बचा नहीं सकते।

[श्री दी० चं० शर्मा]

पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक "Discovery of India" में भारतीय संस्कृति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। श्री जवाहर लाल नेहरू एक ऐसा फूल थे जिसको हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई और अन्य संस्कृतियों ने सींचा था। इस विधेयक में इस देश के सांस्कृतिक पहलू का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पंडित नेहरू ने हमें भारतीय संस्कृति का जो महान संदेश दिया था क्या सरकार उसके संबंध में कुछ करने नहीं जा रही है ? कुछ समय पहले हमने यह कहा था कि श्री जवाहरलाल नेहरू की वसीयत बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको पंजाब में पढना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये इस विधेयक में भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

यह विश्वविद्यालय भारत के एक महान प्रधान मंत्री की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में लोगों पर कैसे धारणा जमा सकेगी जब कि यह कहा गया है कि दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हो गयी है तो किस प्रकार ऐसा कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय इस प्रयोजन से स्थापित किया जा रहा है ? अतः यह विश्वविद्यालय तो दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये स्थापित किया जा रहा है। यदि ऐसी बात है तो इसका नाम पंडीत नेहरू के नाम पर क्यों रखा जा रहा है। यह भी कहा गया है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है। यदि शिक्षा का स्तर गिरा है तो वह समूचे भारत में गिरा है। केवल दिल्ली में ही ऐसा नहीं हुआ है।

*रंगून स्थित भारतीय दूता वास के पास जमा किये गये आभूषण

**JEWELLERY DEPOSITED WITH INDIAN EMBASSY IN RANGOON

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बर्मा में भारतीय नागरिकों द्वारा रंगून स्थित हमारे दूतावास में जमा किये गये जेवरात के बारे में इस महीने की 13 तारीख को प्रश्न संख्या 580 के उत्तर से उत्पन्न कुछ मामलों पर आधे घंटे की चर्चा उठाता हूं।

[**श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए**
SHRI TIRUMALA RAO *in the Chair*]

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत हर दूतावास को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार होते हैं जो एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दिये जाते हैं। इन अधिकारों में दो अधिकार प्रमुख होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है राजनयिक अभिकर्त्ता और उसके कार्यालय के सदस्यों को व्यक्तिगत अनपकार्यता (इनवायोलेबिलिटी) का अधिकार। इस अनपकार्यता (इनवायोलेबिलिटी) को, दो सरकारों में मतभेद हो जाने पर, उनमें युद्ध छिड़ जाने पर भी, बनाये रखा जाता है। दूसरा यह है कि राजनयिक अभिकर्ता का निवास, कार्यालय तथा सामग्री उस देश का राज्य-क्षेत्र माना जाता है जिस देश का वह दूतावास हो। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार रंगून स्थित हमारा दूतावास, उसके पदाधिकारी और सामग्री भारत का राज्य-क्षेत्र है। और राजदूत किसी भी तरह से बर्मा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह बात निर्विवाद है।

मंत्री महोदय ने पहले दिन बताया था कि हमारे दूतावास, हमारे मंत्रालय और बर्मा सरकार के बीच हुए एक करार के अनुसार ऐसा किया गया और जेवरात जमा कराने वाले भारतीय नागरिकों को इस बारे में बता दिया गया था। अब सभा

*आधे घंटे की चर्चा।
*Half-an-hour Discussion.

यह जानना चाहती है कि पहले तो ऐसा समझौता किया ही क्यों गया। भारतीय दूतावास भारत का अंग है, यह भारत का राज्य क्षेत्र है और इसलिये भारतीय नागरिकों ने वहां अपने जेवरात जमा कराये।

मेरी जानकारी यह है कि जब वे रंगून स्थित अपने दूतावास में जेवरात जमा कराने गये तब उनको यह नहीं बताया गया कि इस बारे में बर्मा सरकार को जानकारी दे दी जायगी अन्यथा वे वहां जेवरात जमा न कराते। इसलिये सरकार ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की, न केवल उन्होंने अपने विशेषाधिकारों को छोड़ा, न केवल उन्होंने एक घुटने-टेक रवैया अपनाया बल्कि उन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ बड़ा विश्वासघात भी किया।

मैं चाहता हूं कि जेवरात की जो सूची बर्मा सरकार को दी गयी वह सभा पटल पर रखी जाय। बर्मा सरकार एक मित्र-राष्ट्र है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस बात के लिये दबाव डाला होगा कि वे उनको सूची दें। मैं समझता हूं कि यह हमारी अपनी सरकार की परम्परागत नीति है ताकि कुछ विदेशी सरकारों को अपने पक्ष में किया जा सके। इस बारे में चीन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है। जिन देशों के साथ हमने भलाई की वे आज हमारे शत्रु हैं और जिनकी हम आलोचना करते रहे वे हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि बर्मा सरकार को बताये जाने के फौरन बाद बर्मा सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि दूतावास में जमा कराये गये किसी भी जेवरात को उनकी अनुमति के बिना वापिस नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सरकार को हर बार बर्मा सरकार के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे कि "फलां व्यक्ति जेवरात वापस लेना चाहता है, कृपया आज्ञा दें"। और फिर बर्मा सरकार बड़ी उदारता से कहेगी, "अच्छा, हम यह अहसान कर रहे हैं"।

यह सब इसलिये हुआ कि इस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया गया कि भारतीय दूतावास भारतीय राज्य-क्षेत्र है और भारतीय नागरिकों को वहां हर चीज, जो वह चाहें जमा कराने का अधिकार है। मैं और सभा तीन बातें चाहती है; पहली तो यह कि बर्मा सरकार को बतायी गयी पूरी सूची सभा पटल पर रखी जाये जिसमें जमा कराने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और जमा कराये गये जेवरातों का ब्योरा हो। दूसरे, समझौते अथवा व्यवस्था की क्या शर्तें थीं? इसमें पहल किसने की? इसकी मांग किसने की, हमने या बर्मा सरकार ने और यह समझौता किसने बनाया? इसके पक्ष कौन कौन थे? यदि लिखित समझौता नहीं है तो क्या कोई मौखिक समझौता है? यह एक गोपनीय मामला है। यह भारतीय नागरिकों के साथ विश्वासघात हुआ है। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन अपराध किया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पाकिस्तानी दूतावास अपने नागरिकों के लिये पूरी पूरी राहत प्राप्त करने में सफल हुआ है और पाकिस्तानी नागरिकों की पाकिस्तानी करेंसी और जेवरात बचा लिये जब कि हमारा दूतावास, भारतीय नागरिकों को उनके जेवरात की — सुरक्षा करेंसी नहीं और उन्होंने 10 लाख रुपये लेकर केवल 43,000 रुपये दिये—की आश्वासन देकर भी इस से पीछे हट गया और इससे उनको गहरा धक्का लगा और भारतीय नागरिकों को करोड़ों रुपये की हानि हुई।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले पर वास्तविक स्थिति देख कर विचार करे। सभा को ज्ञात है कि बर्मा में भारतीय नागरिक और भारतीय उद्भव है के व्यक्ति बड़ी संख्या में रह रहे हैं। अचानक बर्मा सरकार ने उन व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया जिनमें भारतीय नागरिक काफी संख्या में लगे हुए थे। यह कहना ठीक है कि हमें विदेशों में अपने नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहिये लेकिन हमें यह देखना है कि अन्य देशों में अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में हम उन देशों के सार्वभौमिक अधिकारों का हनन न करें। उन देशों के भी कुछ सार्वभौमिक अधिकार हैं।

बर्मा सरकार ने राष्ट्रीयकरण का अधिनियम पास किया। हमें अपने नागरिकों के लिये क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है और हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बर्मा सरकार की इस कार्यवाही से बहुत से व्यक्ति वहां आजीविका नहीं कमा सकते थे और वे यहां आना चाहते थे। उस समय बर्मा में 80,000 भारतीय नागरिक थे जिनमें बहुत से नागरिक ऐसे थे जिन्होंने बर्मा की नागरिकता के लिये प्रार्थनापत्र दिये हुये थे और उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिनकी स्थिति पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं थी। अचानक काफी लोगों ने निराश होकर पुनः भारत में लौटने की इच्छा प्रकट की। यह सभा भी यह चाहती थी कि उनको इस देश में वापस लाने के लिये हर सम्भव उपाय किया जाय और परिणामस्वरूप हमें उन लोगों को, जिनकी संख्या काफी थी, सहायता प्राप्त दरों पर विमान से लाने के लिये अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ी और बहुत से व्यक्तियों को लाने के लिये जहाज भी भेजने पड़े। इस अवधि में हम एक लाख से भी अधिक व्यक्तियों को यहां लाये हैं।

क्योंकि इन लोगों को बर्मा छोड़ना था इसलिये उन पर बर्मा सरकार द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। जो उनके धन, सम्पत्ति और जेवरात के बारे में थी। फिर भी वे लोग वहां से तुरन्त आना चाहते थे। अब प्रश्न यह था कि दूतावास किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता था। हमारा प्रमुख कर्त्तव्य उनको वहां से लाने में सहायता करना था। वे स्वयं अपनी सम्पत्ति के बारे में इतने चिंतित नहीं थे जितना कि वे बाहर जाने के लिये चिंतित थे क्योंकि उनकी पास अपनी जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था।

उनमें से कुछ के पास बहुत जेवरात थे जिसका उनको पता नहीं कि क्या किया जाये क्यों उनको ले जाने पर प्रतिबन्ध था। सामान्य रूप से कोई दूतावास एक बैंक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जोखिम भी होता है और हम कभी भी अधिक मात्रा में बहुमूल्य वस्तुए वहां रखने को प्रोत्साहन नहीं देते। फिर भी इन लोगों की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए हमने यह महसूस किया कि दूतावास को उनके जेवरातों को अस्थायी रूप से रख लेना चाहिये। यह एक अस्थायी उपाय था क्योंकि दूतावास भी जेवरातों का कुछ नहीं कर सकता था।

मैं यह स्पष्ट बता दूं कि इस दूतावास के लिये राजनयिक आवरण के अन्तर्गत इन जेवरातों को उस देश से बाहर भेजना एक गलत बात होती क्योंकि ऐसा करना उन देश के कानून के विरुद्ध हो सकता था। लगभग 400 व्यक्तियों ने अपने जेवरातों को मुहरबन्द डिब्बों में रखा हुआ था। जेवरातों के साथ वे लोग सामान्यतः एक सूची भी छोड़ गये थे। कहीं पर सूची में जेवरातों का कुल मूल्य दिया गया था और कहीं पर मूल्य के बारे में कुछ नहीं था। हम न जेवरातों को गिन सकते थे और न उनकी जांच कर सकते थे और न हमने ऐसा किया। हमने उन डिब्बों को उसी प्रकार मुहरबन्द हलत में रखा।

जब बर्मा सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने बाहर जाने वाले लोगों पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये क्यों कि उन्होंने कहा कि वे लोग जो उस देश को छोड़ रहे थे उन्हें कुछ सीमा शुल्क निकासी की व्यवस्था करनीं चाहिये तथा बाहर जाने से पूर्व बर्मा में अपनी अस्थियों की घोषणा करनीं चाहिये। उन्होंने जो जेवरात भारतीय दूतावास में जमा कराये थे उनके बारे में कुछ भी बात गुप्त नहीं थी। दूतावास में एक लम्बी कतार लगी हुई थी और लोगों के हाथ में डिब्बों थे। समाचार पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था। किसी ने भी इस बात को गुप्त नहीं रखा कि वे वहां रखने के लिये जेवरात ला रहे हैं।

बर्मा सरकार यह चाहती थी कि उनको जाने देने की अनुमति देने से पहले इस बात की सन्तुष्टि कराई जाये कि उन्होंने जो घोषणायें की हैं, वे सच हैं। हमारे सामने कठिनाई यह थी कि बड़ी संख्या में लोगों को बर्मा से आने से रोक दिया जाता क्यों कि बर्मा सरकार को यह सुनिश्चित नहीं था कि कौन व्यक्ति जेवरात रख रहा है। वे वहां किसी व्यक्ति को तो तैनात कर नहीं सकते थे जो उनके नाम लिखता रहा। अतः इससे संदेह उत्पन्न हुआ। हमने उस बारे में बर्मा सरकार से बातचीत की है और यह महसूस किया गया कि इन व्यक्तियों को बाहर जाने के लिये कुछ सुविधायें दी जायं। एक तो तरीका यह था कि यह सब जेवरात और सम्पत्ति बर्मा सरकार को सौंप दिया जाय और दूसरा यह कि लोगों से कहा जाय कि वे अपने जेवरात किसी बैंक में जमा करा दें। वे फौरन ही बर्मा छोड़ रहे थे और इसलिये हमने समझा कि हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। एक विचार यह था कि वे यह बैंक में जमा करा दें और उसकी सूची बर्मा सरकार को दे दें। उन्होंने अपनी सम्पत्ति की सूची बर्मा सरकार को दे दी और इसलिये इस जेवरात के बारे में जानकारी गुप्त नहीं रही।

यह बात मानने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय नागरिकों ने कोई गलत घोषणा की है। अतः उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस मामले पर विदेश सचिव और राजदूत ने इस समुदाय के कुछ नेताओं से बातचीत की। यह महसूस किया गया कि उनको यह जेवरात ले जाने दिये जायें और वे चाहे फिर किसी बैंक में जमा करें या उनका कुछ भी करें। अनेक व्यक्तियों ने अपने जेवरात वापस ले लिये। वास्तव में हमारे पास केवल 13 डिब्बे रह गये हैं।

यह कार्य नागरिकों के हित में किया गया है और उन्होंने भी इस बात को माना है क्योंकि इससे उनको वहां से आने में सुविधा मिली है। इससे उनको कोई कठिनाई नहीं हुई है। इसमें विश्वास की कमी का भी कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह जेवरात उनको वापस कर दिये गये थे। इसमें प्रभुसत्ता के त्याग का भी कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा समाप्त होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 21 सितम्बर, 1965/30 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Tuesday, September 21, 1965/Bhadra 30, 1887 (Saka).

भा० स० मु०—से० 1—38 लोक सभा/65—12-7-66—600